सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

28 जुलाई, 2021

सप्तदश विधान सभा | बुधवार, तिथि 28 जुलाई, 2021 ई0
पंचदश सत्र | 06 श्रावण, 1943(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हमलोग कल भी चर्चा किये थे, आज कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाइए और सदन की कार्यवाही चलाइए महोदय, पहले कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाईए महोदय ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए । आपके सभी लोग आ जायं ।
अब ललित जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं ?

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, हमलोगों का शुरू से यही मांग है कि आपके आश्वासन पर आपने नेता, प्रतिपक्ष को भी उस दिन कहा था कि आज शोक सभा है, उसके बाद रखिए । कल जैसे आपने कहा, उसके अनुसार नेता, प्रतिपक्ष ने अपना प्रस्ताव रखा । महोदय, फिर हमलोग इतना ही चाहते हैं कि सदन में जो घटना घटित हुई 23 मार्च को , उस पर चर्चा हो महोदय, बस हमलोग इतना ही आपसे मांग रखते हैं । महोदय, अभी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाइए और तत्काल सदन को स्थगित करिए । कार्य मंत्रणा समिति में जो भी निर्णय कीजिए, उसके बाद बताइए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आसन से आग्रह किया जाता है, आसन को निर्देश नहीं दिया जाता है, यह नियमावली में प्रावधान है । माननीय सदस्य, आसन से अनुरोध करें, आसन को कोई डायरेक्शन नहीं दें कि इस कार्य को किया जाय ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महादेय, हमने यही कहा, आपके बुलावे पर हमलोग आपके कार्यालय कक्ष में गये थे और यही बात हुई कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और बैठक के पश्चात् जो भी निर्णय हो महोदय, लेकिन हमलोग आपसे अनुरोध करते हैं, माननीय मंत्री जी को शॉक लगा हुआ है, ये नहीं समझ पा रहे हैं, पूरी तरह से ये समझें, माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करने में क्या कठिनाई है, ये गार्जियन हैं, ये हाऊस के कस्टोडियन हैं । ये पूरे सभा के, मंत्रिपरिषद् के भी अभिभावक हैं और विपक्ष के भी हैं । पूरे सदन के अभिभावक हैं, इसलिए मुझे अनुरोध करने में कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आज तो सुबह में जब हमलोगों ने अखबार में देखा कि हमारे सम्मानित सदस्य विपक्षी दलों के सदन का बहिष्कार करेंगे तो मन बड़ा उदास हो गया था । इसलिए कि भाई आप नहीं रहते हैं तो सरकार को मन कहां लगता है लोगों का काम करने में । इसलिए हम सबसे पहले आसन को भी धन्यवाद देते हैं सरकार की तरफ से जो आसन ने पहल करके, माननीय नेताओं से बात करके इनको सदन में आने का मार्ग प्रशस्त किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आप सभी माननीय सदस्य जो फिर से आ गये तो हम आपलोगों का स्वागत भी करते हैं सरकार की ओर से और भविष्य में भी कभी नहीं चाहते हैं कि आपलोग हमलोगों को छोड़कर बाहर रहिए । सदन में आप भी रहते हैं और सभी लोगों का मकसद तो एक ही होता है बिहार की जनता का हित करना ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक उस दिन की घटना का जिक्र है । हमलोगों ने पहले भी सरकार की तरफ से हमलोगों की सोच है, वह हमलोगों ने जाहिर कर दी है कि जो भी घटना घटी है, वह आसन के सामने है । जो भी घटना घटी है, चाहे सदन के अन्दर या चाहे सदन के बाहर, व्हाईट लाईन के अन्दर वह विशिष्ट और वह विशेष क्षेत्राधिकार है आपका । उसमें न कोई सरकार का जोर चलता है और न इस क्षेत्र में सरकार की कोई भूमिका होती है । यह हमने सरकार की तरफ से शुरू में ही स्पष्ट किया है और आज भी यही कहना है ।

वैसे पब्लिक अगर सब जानती है तो वह आपका वाला छोड़ कर नहीं जानती है, वो आपका वाला भी जानती है और वो पब्लिक ने सब कुछ देखा है । सदन के अन्दर जो हुआ है और सदन के बाहर जो हुआ है, इसीलिए महोदय हमने कहा था कि कुछ घटनायें सदन के अन्दर घटी और कुछ सदन के बाहर घटी । महोदय, मैंने कल भी कहा था कि मूल रूप से सान्द्र रूप में, कॉन्संट्रेटेड रूप में प्रजातंत्र तो इस सदन में निवास करता है । महोदय, प्रजातंत्र की आत्मा तो इस सदन में निवास करती है और इस सदन में उस दिन जो कुछ हुआ वो आपकी नजरों के सामने में है । हमने कहा कि हमलोग आसन के नियमन के साथ हैं । अध्यक्ष महोदय, इनको अपनी बात छोड़कर के किसी की बात अच्छी नहीं लगती है । इसलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे, वैसे जो आसन का निर्णय होगा, वह मान्य होगा ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की नियमावली है, ये बैठे-बैठे बोल रहे हैं ....

अध्यक्ष : बैठे-बैठे कोई भी बोलेंगे, उनकी कोई भी बात प्रोसिडिंग्स के पार्ट नहीं बनेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, हमलोग भी चाहते हैं कि सदन की गरिमा बने, आसन का भी गरिमा बने । हमलोगों की मांग है कि आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाइए और उसपर बहस कराइए, हमलोगों का सिर्फ इतना ही कहना है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी, संक्षिप्त में दो शब्द में अपनी बात कहें ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 23 मार्च की जो घटना है, उसपर हमलोग बहस चाहते हैं और यह परिपार्टी नहीं बने कि आप कार्रवाई एकतरफा करें । इसपर बहस होने के बाद जो आपका निर्णय होगा, वह सर्वमान्य होगा । कार्यमंत्रणा की बैठक आप कब करना चाहते हैं, इसके बारे में आप आसन से बताइए । हमलोग सदन को चलाने के लिए तैयार हैं । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन चले, जिस जनता के विश्वास को लेकर हम लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में आते हैं और विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए बड़ी गंभीरता और सजगता के साथ हमलोग लगे रहते हैं । मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि सदन चले और आपलोगों ने सदन के अन्दर आये, यह अच्छी बात है । .... क्रमशः ....

टर्न-2/शंभु/28.07.21

अध्यक्ष : क्रमशः... सकारात्मक वातावरण बनाने में सबकी भूमिका होती है और हमें सदन नेता, प्रतिपक्ष के नेता सभी लोगों का जिस तरह से सहयोग और कॉपरेशन मिलता है और मिलेगा तभी सदन चलेगा और सभी ने सकारात्मक वातावरण के लिए सहमति दी है । मैं आपकी भावनाओं को स्वीकार करते हुए आज दिनांक 28.07.2021 को 1 बजे अप0 में मेरे कार्यालय कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और आपकी जो भावना है, आज बिजनेश कम है । यहां की बैठक के बाद हमको लगता है कि सभी का सकारात्मक वातावरण मन के अंदर है । यह बिहार के लिए शुभ है और हमलोग प्रश्नोत्तर काल के बाद बैठेंगे और चलेगा । मन के अंदर दुविधा- ललित जी, मन के अंदर दुविधा का भाव न रखें, प्रश्नोत्तर काल में सभी सदस्य भागीदारी करें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आप स्थगित करके कार्यमंत्रणा की बैठक बुला लीजिए ।

अध्यक्ष : प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है यह आप भी समझते हैं, चलने दीजिए । जब आसन का आप सम्मान कर रहे हैं और आसन पर विश्वास कर रहे हैं तो सदन की गरिमा और सदन के बिजनेश में बेहतर ढंग से भागीदारी कीजिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आपने पहल किया था, हमलोग आपके कार्यालय कक्ष में गये और आपने कहा कि.....

अध्यक्ष : आपकी बात को हमने स्वीकार कर लिया है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आसन सर्वोपरि है और यदि आसन का निर्णय यही है तो हम आसन का सम्मान करते हैं ।

अध्यक्ष : बैठिए । अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-7(श्री समीर कुमार महासेठ)क्षेत्र सं0-36 मधुबनी

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-115(श्री गोपाल रविदास)क्षेत्र सं0-188 फुलवारी

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बादशाही नाला कच्चा नाला है । प्रत्येक वर्ष भारी वर्षा तथा पानी के बहाव से बादशाही नाला में मिट्टी भरने की कोई समस्या नहीं है । बादशाही नाला के पटना शहरी क्षेत्र से गुजरने के कारण शहर का कचरा, सीवर, जलकुंभी इत्यादि गिराये जाने के कारण उक्त नाला का उड़ाही प्रत्येक वर्ष करने की आवश्यकता होती है । इस वर्ष भी बरसात के पूर्व बादशाही नाला की सफाई करा दी गयी है । फिलहाल जल प्रवाह में कोई रूकावट नहीं है । जल संसाधन विभाग द्वारा बादशाही नाला के दोनों तरफ पक्कीकरण कार्य के लिए विस्तृत योजना प्रतिवेदन डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु कन्सलटेंट बहाल करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है । जल संसाधन विभाग बादशाही नाला के दोनों तरफ पक्कीकरण कार्य कराने का विचार रखती है ।

श्री गोपाल रविदास : कब तक ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी बता दिये आपको विस्तार में कि किया जा रहा है ।

श्री गोपाल रविदास : टाइम टेबुल कहां बताया गया है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कब तक ?

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : आपको तो बता दिये कि कन्सलटेंट बहाल हो रहा है वह देगा पूरा डी0पी0आर0 उसके बाद काम शुरू हो जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-116(श्री नीतीश मिश्रा)क्षेत्र सं0-38 झंझारपुर

(लिखित उत्तर)

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1 - आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय उच्च पथ अधिसूचित होने के उपरान्त मधुबनी जिलान्तर्गत बिन्देश्वर स्थान से झंझारपुर-रामपुर चौक-मोहन पथ कुल लम्बाई 11.70 किलो मीटर में से 6.60 किलो मीटर पथांश रा0उ0प0 उप-भाग को विभाग से दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को हस्तांतरित कर दिया गया है । शेष पथांश 5.10 किलो मीटर कैथिनियां रेलवे गुमटी से लंगड़ा चौक, राम चौक होते हुये मोहना चौक, एप0एच0 57 तक पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधुबनी के अधीन है, जिसका चौड़ाई 3.75 मीटर है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- विषयांकित पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2021-22 में RIDF-XXVII नाबार्ड योजना में शामिल करने हेतु विभागीय पत्रांक 3101 (एस) डब्लू0ई0, दिनांक 2 जुलाई, 2021 द्वारा प्रस्तावित है । इसकी प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त चौड़ीकरण कार्य कराने की कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर प्राप्त है, पूरक पूछिए ।

श्री नीतीश मिश्रा : माननीय मंत्री जी से विशेषत: सिर्फ यह जानना चाहूंगा, पहले तो मुझे लगा कि माननीय मंत्री को मैं धन्यवाद दूं इनके खंड-3 को पढ़ने के बाद जिसमें मुझे लगा कि इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि सड़क का निर्माण ये करेंगे । लेकिन मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ अध्यक्ष महोदय पढ़ने के बाद मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि विभाग के पत्रांक इन्होंने कुछ दिया है कि इसके द्वारा नाबार्ड के तहत यह प्रस्तावित है । दूसरा इन्होंने कहा है कि प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत तो इतनी समझ मुझे भी है अध्यक्ष महोदय कि प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत ही यह कार्य होगा । यह सड़क झंझारपुर का लाइफलाइन है और अभी मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि झंझारपुर को एक मेडिकल कॉलेज प्राप्त हुआ है और उसके कन्सट्रक्शन के कारण और पूरे हमारे अनुमंडल मुख्यालय की प्रमुख आबादी वहीं से गुजरती है । 2012 में इस सड़क का निर्माण हुआ था उसके बाद यह सड़क नहीं बनाया गया है तो चौड़ीकरण का प्रस्ताव जो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रस्ताव है तो नाबार्ड के तहत इसको करवाना चाहते हैं, कब तक यह करा देंगे यह स्पष्ट कर दें और जब तक ये करायेंगे तब तक जो सड़क की स्थिति है अगर वह मेनटेनेन्स में है तो उसको मोटरेबुल बनाने की भी कार्रवाई वे करें । यही माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा ।

श्री नितिन नवीन,मंत्री : ये नाबार्ड योजना के तहत इसी वर्ष के लिए प्रस्तावित है और उसको इसी वित्तीय वर्ष में हमलोग इस योजना को स्वीकृति प्रदान करनेवाले हैं । इसीलिए मैंने माननीय सदस्य को जानकारी दी है कि इस वर्ष नाबार्ड योजना के अन्तर्गत हमलोग इस वित्तीय वर्ष की योजना में इसको शामिल कर लिये हैं । जहां तक मेनटेनेन्स की बात है चूंकि पूरे सड़क के वाइडेनिंग और मेनटेनेन्स का काम है तो जो भी एजेंसी को मिलेगा उसके थ्रू हमलोग इसको मोटरेबुल करायेंगे ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय वर्ष में 8 माह शेष है और हमने यह स्पष्ट कहा कि सड़क बहुत आवश्यक है । माननीय मंत्री जी के ही उत्तर में है कि इसका आधा हिस्सा नेशनल हाइवे ने ले लिया है तो मात्र साढ़े 5 कि0मी0 अवशेष है जो इनके एम0डी0आर0 के तहत वह आता है तो इस साढ़े 5 कि0मी0 से एक प्रमुख आबादी को लाभ होगा । यह नेशनल हाइवे को भी कनेक्ट करता है, अगर झंझारपुर के कोई भी लोग नेशनल हाइवे पर जाना चाहेंगे एन0एच0-57 पर तो इसी मार्ग से वे जा सकते हैं, अगर अस्पताल जाना है तो इसी मार्ग से आयेंगे, कोर्ट जाना है, अनुमंडल कार्यालय जाना है तो 8 माह में ये उसकी स्वीकृति करेंगे, फिर प्रोसेस होगा तो ये जो हमारा वित्तीय वर्ष 2021-22 तो पूर्णत: निकल जायेगा और इसमें यह कार्य संपादित नहीं हो पायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से पुन: आग्रह करूँगा कि अगर संभव हो तो जितना शीघ्र इस रोड की स्वीकृति प्रदान करें, बहुत लंबी सड़क नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होगी ।

श्री नितिन नवीन,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि हमलोग प्रक्रिया में हैं और माननीय सदस्य के सवाल की जो गंभीरता है उसको ध्यान में रखे हुए हैं । इसीलिए उसको प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष ही लेंगे उसको ।

तारांकित प्रश्न सं0-117(श्री अनिरूद्ध कुमार)क्षेत्र सं0- 180 बख्तियारपुर

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-118(डा0 रामानुज प्रसाद)क्षेत्र सं0-122 सोनपुर

(लिखित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखंड अन्तर्गत वर्मा चैक से चैसिया, खरीका होते हुए पहलेजाघाट तक कच्ची सड़क है जो रेलवे की निष्क्रिय पूर्व के रेलवे लाइन है । इस पथ की सम्पूर्ण लंबाई में रेलवे की जमीन है । यह पथ किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है । प्रश्नाधीन पथ के आरेखन पर अवस्थित बसावट चैसिया को पी0एम0जी0एस0वाइ0 पथ चैसिया रेलवे लाइन से चैसिया पथ, बसावट भरपुरा को एन0एच0-19 से तथा बसावट

खरिका एवं कसमर को पी0डब्लू0डी0 पथ बजरंग चक से गोविन्द चक पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । अत: प्रश्नाधीन पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, ऑनलाइन आया हुआ है, पूरक पूछिए ।

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है अपने उत्तर में कि ये कोर नेटवर्क में नहीं है जबकि कोर नेटवर्क बन रहा था तो मैं इस सड़क को जोड़ने के लिए कई बार अनुशंसा करता रहा हूँ । दूसरा मंत्री जी का जवाब है कि यह रेलवे की जमीन है, रेलवे का वह प्रयोग में नहीं होनेवाली भूमि है और उसका एन0ओ0सी0 लेकर के मैंने खुद विभाग को दिया है । रेलवे के डिविजन कार्यालय से एन0ओ0सी0 लेकर के मैंने दिया है और मंत्री जी का इसपर भी विभाग जो जवाब बनाकर भेजा है वह गलत है । तीसरा मेरा है कि मंत्री जी द्वारा जो यह जवाब में बताया गया है कि उसपर जो बसावट है उसको रास्ता उपलब्ध है । इसमें रास्ता उपलब्ध है लेकिन 10 कि0मी0 की दूरी पर पड़ता है । ये रास्ता 5 से 7 गांव और 4 पंचायत के लोगों को न सिर्फ अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय से जोड़ता है बल्कि पहलेजा घाट धाम से जोड़ता है । इसलिए मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी उस जवाब का पुन: ये कर लें ।

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

डा0 रामानुज प्रसाद : पूरक मेरा यही है कि इसपर एन0ओ0सी0 नहीं देने की बात ये रेल की जमीन है, मैंने दिया है । मंत्री जी का इसपर क्या कहना है ? दूसरा मेरा पूरक है कि ये कोर नेटवर्क में नहीं होने की बात है तो मैं बार-बार लिखकर देता रहा हूँ, कोर नेटवर्क में कब तक जुटेगा और जुटेगा ये सड़क इसकी जॉंच......

अध्यक्ष : मंत्री जी तो जवाब दे दिये उसपर क्या पूरक है वह बताइये ।

डा0 रामानुज प्रसाद : मंत्री जी का जवाब बिलकुल गलत है और इसी में मेरा सजेशन के साथ पूरक है ।

अध्यक्ष : सुझाव है ?

डा0 रामानुज प्रसाद : सुझाव भी है और यह भी है कि यह सड़क बने, जवाब चाहते हैं ।

अध्यक्ष : जवाब आया है, पूरक क्या है, पूरक संक्षिप्त में बोलिये ।

डा0 रामानुज प्रसाद : पूरक इसमें यही है कि इस सड़क को नहीं बनाने की बात सरकार कर रही है कि विचाराधीन नहीं है और इसमें जो कारण गिनाये गये हैं वह जायज नहीं है । जो विभाग लिखकर मंत्री जी को दिया तो क्या मंत्री जी इसपर सफाई देंगे, कार्रवाई करेंगे ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में बिलकुल स्पष्ट कर दी गयी है और जिन गावों की चर्चा माननीय सदस्य ने की है उन गांवों में

एकल संपर्कता दी गयी है और माननीय सदस्य का कहना है कि जो रेलवे की जमीन है उसपर सड़क का निर्माण करा दिया जाय तो जब तक रेलवे एन0ओ0सी0 नहीं देता है या जिनकी जमीन नहीं है तो सड़क कैसे बनाया जा सकता है

क्रमशः

टर्न-3/ज्योति/28-03-21

क्रमशः

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : और जब सरकार की नीति है एकल सम्पर्कता की महोदय, तो एकल संपकर्ता प्रदान किया गया है उन गांवों को तो वहॉ पर सड़क बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यही मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि एन.ओ.सी. मैंने खुद लेकर दिया है । यह विभाग के लोगों की लापरवाही जवाब देने में है माननीय मंत्री जी इसलिए मैंने कहा है कि आप पुन: जॉच करायें । मैंने एन.ओ.सी. लेकर के रेलवे का डिवीजन कार्यालय हमारे यहॉ है उससे एन.ओ.सी. लेकर मैंने खुद दिया है । जहॉ तक बसावट को सम्पर्कता प्रदान करने की बात आप कर रहे है तो दोनों तरफ से एन.एच. है । एक तरफ से आर.सी.डी. की रोड है और एक तरफ से एन.एच. है और बीच का जो बसावट है उसमें कोई सम्पर्कता नहीं है इसी से लोग चलते हैं और बारिश में लोगों का आना जाना दुभर हो जाता है ।

अध्यक्ष : ठीक है, देखवा लीजिये ।

श्री श्रवण कुमार , मंत्री : देखवा लेते हैं । माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको मैं देखवा लेता हूँ, उसको दूर करेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या -119 श्री इजहारुल हुसैन-(क्षे.सं.54 किशनगंज)</u>

श्री नितिन नवीन, मंत्री : ग्रामीण कार्य विभाग को स्थानांतरित है ।

श्री ललित कुमार यादव : ग्रामीण कार्य विभाग का जवाब कब होगा यह समय बतला दीजिये ।

श्री इजहारुल हुसैन : एक समय बताया जाय सर । आज हो जाय सर ।

अध्यक्ष : सरकार की सजगता और संवेदनशीलता दिखायी पड़ रही है ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय वीरेन्द्र जी पुराने सदस्य हैं । इनका तो सब रोड और पुल बन गया है तब तो चिंता इनको है नहीं और दूसरे का जब प्रश्न उठता है तो इनको लगता है कि इनका नहीं हो तो अच्छा है ।

अध्यक्ष महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल के एक तरफ अवस्थित खड़खड़ी चौक की सम्पर्कता पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किशनगंज तैयबपुर, ठाकुरगंज -गलगलिया पथ से प्राप्त है । एवं दूसरी तरफ अवस्थित बसावट मोहगर बीस टोला की सम्पर्कता शीर्ष ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजनान्तर्गत 3.04 से हल्दा गांव पथ से प्राप्त है । विभाग द्वारा संप्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथ से एकल सम्पर्कता दिया जाना है । प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदत्त है अत: प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री इजहारुल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं इस सिलसिले में कि इस पुल के बारे में केवल सवाल उठाया गया है लेकिन अबतक कोईसुनवायी नहीं हो रही है । क्या वजह है इसका ? सबसे बड़ी बात है वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक धरोहर दिया गया है एग्रीकल्चर कॉलेज के तौर पर जहॉ जाने के लिए पॉच किलोमीटर के बदले हमलोगों को लगभग 25 से 30 किलोमीटर जाना पड़ता है इतना बड़ाा धरोहर देने के बार वहॉ पहुंच नहीं पाते हैं बहुत बड़ी दिक्कत है इसलिए माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूॅ कि वहॉ की जनता की परेशानी को देखते हुए इसको जितनी जल्दी हो इसको बनाने की कोशिश करें।

अध्यक्ष : ठीक है, मंत्री जी देखवा लेंगे । श्री जीतेन्द्र कुमार ।

श्री अख्तरुल ईमान : महोदय, 30 किलोमीटर की दूरी तक कोई पुल नहीं है खड़ीखड़ी घाट पर और वहॉ पर मैं समझता हूॅ डेली तीन से चार हजार लोगों की आवा जाही है । कश्ती के डूबने से कई बार वहॉ पर लोगों की मृत्यु हो गयी है और आज कश्ती पर लद लद कर आते हैं मार्केट हो, हौस्पिटल हो सभी को लद लद कर जाना पड़ता है । पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है और हमलोग देख रहे हैं कि गंगा नदी पर भी पॉच किलोमीटर की दूरी पर नये नये पुल बन रहे हैं क्या सीमांचल के तीस किलोमीटर और चालीस किलोमीटर पर नहीं बन सकता है । मैं कह रहा हूॅ कि पुल बन रहा है मैं सरकार के काम की सराहना कर रहा हूॅ लेकिन क्या सीमांचल को छोड़कर सर तीस किलोमीटर पर चालीस किलोमीटर पर सबसे घनी नदियॉ पुलो से वंचित तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूॅगा कि अगर माननीय मंत्री जी आप विचार नहीं रखते हैं तो एक मर्तबा जॉच करवा लीजिये कम से कम सीमांचल में कि इसतरह के कितने पुलों की जरुरत है अगर हमलोग कोई गलत यहॉ पर क्वेश्चन करें तो हमलोगों के सवालात को रोक दीजिये लेकिन सर उसके बारे में सार्थक जवाब चाहेंगे । काफी संवेदनशील

हैं सर माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार लोगों ने गुहार लगाया है । शहनवाज साहेब वहाॅ के एम.पी. रहे हैं, मैं समझता हूॅ कि आपके कान में गवाही देंगें माननीय मंत्री हमारे । यह बहुत जरुरी है कुछ यकीन दिलाईये सर। आप विश्वास दिलाये सर तब ही हमलोग बैठेंगे नहीं तो हमलोग वहाॅ बैठेंगे सर ।

अध्यक्ष : चलिए अब बैठ जाईये।

तारांकित प्रश्न संख्या 120 श्री जितेन्द्र कुमार(क्षे0सं0-171 अस्थावाॅं)

(लिखित उत्तर)

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : 1-स्वीकारात्मक है ।

विहित प्रक्रिया एवं निधि उपलब्धता के आधार पर प्रश्नगत योजना के जीर्णोद्धार कार्य पर विचार किया जायगा ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि निधि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा और मुझे कहना है महोदय, कि 16वीं विधान सभा का मैं सदस्य था और उसमें भी यही प्रश्न किया था और इसी सदन में माननीय लघु सिंचाई मंत्री जो तत्कालीन मंत्री रहे थे नरेन्द्र नारायण यादव जी ने भी यही उत्तर दिया है, यानी 25-11-19 को महोदय, और उन्होंने भी कहा था कि सर्वेक्षण कर जल,जीवन, हरियाली अभियान के तहत प्रक्रिया अपना कर एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर कार्य किया जायेगा और इसी प्रकार सेम उत्तर आज भी दो साल के बाद भी आया है तो हम यह जानना चाहते हैं कि कबतक इसकी प्रशासनिक स्वीकृति होगी और कबतक इसका निर्माण होगा क्योंकि हमारा मुख्य एजेन्डा है जल, जीवन, हरियाली के तहत आहर, नहर, पईन की खुदायी तो मैं जानना चाहता हूॅं कि समय सीमा निश्चित करें ताकि प्रशासनिक स्वीकृति हो और कार्य शुरु हो ?

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर देना चाहता हूॅ कि इस वित्तीय वर्ष में इस कार्य को पूरा कर लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : अब धन्यवाद तो दे दीजिये ।

श्री जितेन्द्र कुमार : धन्यवाद तो देते ही है काम तो होता ही है लेकिन महोदय अभी जुलाई है और मार्च तक होता है एक वित्तीय वर्ष किस महीने तक इसका डी.पी.आर. बनाकर इसका कार्य पूरा करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : चलिए, अब हो गया । श्री कुमार सर्वजीत ।

तारांकित प्रश्न संख्या 121 श्री कुमार सर्वजीत(क्षे.सं. 229 बोधगया अ.जा.)

(लिखित उत्तर)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिये ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : 1-स्वीकारात्मक है ।

प्रश्नाधीन योजना का प्रारंभिक सर्वेक्षण कराया गया है ।डी.पी. आर. तैयार कराकर विहित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, 2015-16 में माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार पॉच पईन का हमको आदेश मिला था । उसमें 2015 से यह पेन्डिंग है और माननीय मंत्री जी से हमारा यही आग्रह रहेगा कि यह जो क्षेत्र है इनके पिता जी की कर्म भूमि रही है और इन्होंने लिखा है कि डी.पी.आर. तैयार कराकर हम प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेंगे और अब जिनके पिता जी का वह कर्म भूमि रही हो उसमें मंत्री जी को तो कह देना चाहिए कि भाई हम इतने दिनों के अंदर बना देंगे भाई हम इतने दिनों के अंदर बना देंगे । यही मंत्री जी से जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : यह सुझाव पहले क्यों नहीं मिलकर कह दिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : पहले मिलकर दे भी दिया है अध्यक्ष महोदय । मंत्री जी बता दें कि कबतक हो जायेगा एक समय सीमा तय कर दें ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझसे मिलकर हमको दिए थे । मैंने वहाँ के कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द डी.पी.आर. बना दिया जाय । जैसे ही डी.पी.आर. आ जायेगा हम लोग ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देकर कार्य को कराने का कार्य करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या -122 श्रीमती वीणा सिंह(क्षे.सं.129 महनार)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या -123 श्री इजहारुल हुसैन(क्षे.सं.-54 किशनगंज)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है ऑन लाईन।

श्री इजहारुल हुसैन : हमको नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : आपने देखा नहीं । आपने प्रयास नहीं किया ।

श्री इजहारुल हुसैन : जवाब दे दिया जाय सर ।

अध्यक्ष : लेकिन इसको निकलवा कर देख लिया कीजिये । माननीय मंत्री जी, जवाब दे दिया जाय ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल के तरफ अवस्थित बागरानी मिर्जापुर, मिर्जापुर वीरपुर, कटहलडांगी बसावट की संपर्कता शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत निर्मित पक्का मौलाना मिर्जापुर जनता

हाट से मिर्जापुर तक पथ एवं बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत निर्मित दलुआ हाट से वीरपुर तक पथ से प्राप्त है एवं दूसरे तरफ अवस्थित बागरानी, कुशियारी एवं पोखरिया आदिवासी टोला बसावट की संपर्कता शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत निर्मित बेलवा रामग्रंज पथ से बागरानी कुशियारी पथ से प्राप्त है । विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है । प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को एकल संपर्कता प्रदत्त है । अत: प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

टर्न-4/अभिनीत-पुलकित/28.07.2021

<u>तारांकित प्रश्न सं0-124, श्री महानंद सिंह (क्षेत्र सं0-214, अरवल)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री नितिन नवीन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत है । पथ अधिग्रहण की नयी नीति पत्रांक- 1548 (एस), दिनांक- 25.02.2020 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन स्वयं कराया जाना है । उक्त पथ का पथ निर्माण विभाग के द्वारा अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, यह जो उत्तर दिया गया है, हालांकि उत्तर इसमें संलग्न है कि प्रश्नाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग को, मैंने भी प्रश्न किया था उन्हीं से लेकिन जवाब पथ निर्माण विभाग द्वारा दिया गया है । यह अरवल के सोनतटीय इलाके में, आप जान रहे हैं कि कई जिलों में बालू बंद था और अरवल में बालू चालू था, इसका नतीजा यह हुआ कि सभी जगहों के ट्रक वहां पहुंच गये सोनतटीय इलाके में जहां बालू निकल रहे थे । सोहसा, बाथे, कमता से लेकर अरवल और दूना छपरा तक सारे इलाके में...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछिए ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, यह पूरक में ही है । यह संदर्भ समझ लेने पर ही पूरक समझ में आयेगा सर । मैं संदर्भ रख दे रहा हूँ ।

अध्यक्ष : पूरक के लिए भूमिका की जरूरत नहीं पड़ती है ।

श्री महानंद सिंह : हां, तो उसमें ग्रामीण कार्य विभाग से जो सड़कें बनती हैं और उसमें ज्यादा वजन वाले जो बालू लादकर लोग ले जाते हैं तो, ट्रैफिक भी बढ़ गया है महोदय, ट्रैफिक बढ़ जाने से महोदय वह सड़क तुरंत खत्म हो जा रही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर पूरक नहीं पूछिएगा तो आगे बढ़ जाने पर फिर आपको समय नहीं मिलेगा । और भी माननीय सदस्य इंतजार कर रहे हैं ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, पूरक में यही है कि वे सड़कें जो ग्रामीण कार्य विभाग से बनायी गयी हैं 9 टन भार वाले, उससे वह सहन नहीं होता है, पथ निर्माण विभाग से वे सड़कें बनायी जायं, जो मानक होता है ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न तो पथ निर्माण विभाग से ही किया था और जो सवाल का उत्तर दिया गया है, उसमें स्पष्ट है कि जो अधिग्रहण नीति है, ग्रामीण कार्य विभाग से पिछले वर्ष 25.02.2020 को यह निर्णय हुआ कि अब ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें ग्रामीण कार्य विभाग ही बनायेगा और जिस स्तर के सड़क का प्रस्ताव आपको देना है आप ग्रामीण कार्य विभाग को ही देंगे, इसलिए अधिग्रहण का कोई सवाल हमारे यहां नहीं आ पायेगा ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, मेरा कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग बनायेगा तो क्या वही 9 टन भार वाला ही बनायेगा ? उससे तो सड़क तुरंत खत्म हो जायेगा ।

अध्यक्ष : चलिए,

माननीय सदस्य श्री राम विशुन सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-125, श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र सं0-197, जगदीशपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : 1-अस्वीकारात्मक ।

जिला पदाधिकारी, बक्सर का पत्रांक- 1387, दिनांक- 23.07.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 2001 में हुए परिसीमन में ग्राम उम्मेदपुर को ग्राम पंचायत गहौना में जोड़ा गया । नये परिसीमन 2011 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

2-स्वीकारात्मक ।

3-अस्वीकारात्मक ।वस्तुस्थिति यह है कि ‘‘बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11 (1) के प्रावधानों के अनुसार यथासंभव सात हजार के निकटतम जनसंख्या वाले क्षेत्र को ग्राम पंचायत घोषित किया जा सकता है ।

राज्य में ऐसे ग्राम पंचायतों की संख्या काफी है (लगभग 6000), जिनकी जनसंख्या सात हजार की मानक जनसंख्या से बहुत ज्यादा हो चुकी है । जनसंख्या को आधार मानकर किसी ग्राम पंचायत विशेष को एक से अधिक ग्राम पंचायतों में पुनर्गठित करने से अन्य ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव भी प्राप्त होने लगेंगे जिससे कई तरह की समस्याएं पैदा होंगी । वर्तमान में पंचायती राज

संस्थाओं के संस्थागत सुदृढ़ीकरण हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिसमें पंचायतों हेतु पंचायत सरकार भवन, पंचायत के कर्मियों की व्यवस्था, वार्ड सभाओं को संस्थागत तरीके से सुदृढ़ करना सन्निहित है । ये सभी कार्य वर्तमान ग्राम पंचायतों के संख्या के आधार पर किये जा रहे हैं जिसे पूरा होने में समय लगेगा । इस दृष्टिकोण से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन करना सरकार द्वारा उचित नहीं समझा गया है ।

इसे दृष्टिपथ में रखते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 127 में यह प्रावधान किया गया है कि जबतक 2021 की जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि 2011 की जनगणना पर विनिश्चित पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या का पुनर्निर्धारण करे ।

वर्ष 2016 के पंचायत आम चुनाव वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर गठित पुराने निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं में कोई परिवर्तन किये बिना वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कराये गये हैं । राज्य सरकार वर्ष 2021 की जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन होने तक राज्य में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का विचार नहीं रखती है ।

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, मुझे यह पूछना है कि उम्मेदपुर ग्राम पहले हरनाथपुर/महुआर पंचायत में था, अभी नया परिसीमन में है, गहौना पंचायत में कर दिया गया है । इस गांव की आबादी 800 है । नदी के पार, एक गांव को उस पार कर दिया गया है, जनता को आने-जाने में काफी कठिनाई होगी । 2021 के जनगणना के आधार तक इसको रोका जाय और पूर्व के पंचायत में ही उम्मेदपुर गांव को रखा जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि 2011 के बाद परिसीमन नहीं किया गया है और जो परिसीमन में उम्मेदपुर को ग्राम पंचायत गहौना में जोड़ा गया है । जिलाधिकारी, बक्सर के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है, हम इसको दिखवा लेते हैं अगर नदी के उस पार होगा तो इसकी समीक्षा करके इसको ठीक करवा देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0- 126 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0- 33, खजौली)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : 1-स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कमला पश्चिमी मुख्य नहर से नि:सृत किंग्स नहर के आर0डी0- 55.00 से 58.00 के दोनों ओर लगभग

900 मीटर में मधुबनी जिला अंतर्गत बासोपट्टी प्रखंड के कोरियानी, भैयापट्टी, दक्षिणवारी टोला का बसावट है ।

2-स्वीकारात्मक है । मुख्य अभियंता, सिंचाई सजृन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को विभागीय पत्रांक 659, दिनांक 22.07.2021 द्वारा प्राक्कलन तैयार कर विभाग में समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है । प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में तीनों खंडों को स्वीकार किया है, स्वीकारात्मक है और इसमें उनके द्वारा जो बताया गया है मैं जानना चाहता हूं कि प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । महोदय, पुल के निर्माण से संबंधित यह प्रश्न है और विभाग ने स्वीकार किया है कि 900 मीटर लगभग एक किलोमीटर में नहर के इस पार और उस पार नहर के अति पिछड़ा वर्ग की बसावट है और लोगों को स्कूल, कॉलेज या कहीं भी जाना है तो उस नहर में भीगते हुए, तैरते हुए, पार करके जाना पड़ता है । मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने प्राक्कलन के लिए जरूर लिखा है, लेकिन प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत क्या वह इस वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण करा देंगे ? क्योंकि माननीय मंत्री जी भी उसी जिले से, उसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, इसलिए मेरा विशेष अनुरोध है कि वह प्राक्कलन के बाद सिर्फ कार्रवाई विमर्श में न लायें बल्कि उसके निर्माण की दिशा में वह क्या कार्य करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जब आपके पड़ोसी हैं तो आपको इतना जिक्र करने की क्या जरूरत पड़ी । माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी के क्षेत्र में इतना बड़ा काम हो रहा है, बैराज बन रहा है पूरे नेपाल बॉर्डर पर और पूरी कमला नहर की जो बाढ़ (फ्लड) आती है, आधा बाढ़ का पानी उसी से रुक जायेगा, टेन्डर भी हो गया है । महोदय, काम इसी साल शुरू हो जायेगा, लेकिन यह जो प्रश्न किये हैं वह बिल्कुल सही है, वहां पर पुल नहीं रहने की वजह से दिक्कत होती है । प्राक्कलन के लिए हमलोगों ने कह दिया है, जैसे ही आयेगा, इमीडीयेट्ली काम उस पर शुरू कर देंगे ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि माननीय मंत्री जी ने बाढ़ नियंत्रण के लिए मेरे क्षेत्र को ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार को भी एक बड़ी परियोजना देने का काम किया है । जयनगर कमला जहां निकलती है, उस कमला नहर में 495

करोड़ का बैराज स्वीकृत किया गया है और वह टेन्डर की प्रक्रिया में है । इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सहित पूरी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं ।

(व्यवधान)

उसी के बाद तो कुछ-कुछ मिलना शुरू होगा, लेकिन मैं यह माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि क्या वह इस वित्तीय वर्ष में इस पुल की स्वीकृति करा देना चाहते हैं ? क्योंकि आठ महीने शेष है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम करवा देंगे, इसका प्राक्कलन हम जल्दी मंगवाकर के इसी वित्तीय वर्ष में काम शुरू करवा देंगे ।

अध्यक्ष : चलिये । श्री छोटे लाल राय ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0- 127 (श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र सं0- 121, परसा)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न सं0- 128 (श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्र सं0-100, बरौली)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : 1-स्वीकारात्मक ।

2-आंशिक स्वीकारात्मक ।

प्रश्नगत सी0डी0 संरचना का निर्माण वस्तुतः छपरा शाखा नहर के वि0दू0 13.70 पर प्रस्तावित है ।

3-उक्त स्थल के अपस्ट्रीम में बरसात के समय जल-जमाव होता है । परन्तु जल-जमाव के कारण धान की फसल की क्षति नहीं होती है ।

प्रश्नगत स्थल पर सी0डी0 संरचना का निर्माण कार्य पश्चिमी गंडक नहर पुनर्स्थापन एवं विस्तारीकरण कार्य योजना के ग्रुप सं0 5 में सम्मिलित है। संवेदक द्वारा संरचना का अपस्ट्रीम फेस वॉल का निर्माण किया गया है । कोविड 19 के संक्रमण एवं लॉक डाउन के उपरांत संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है ।

वर्तमान में खरीफ सिंचाई हेतु नहरों में जलश्राव प्रवाहित किया जा रहा है । खरीफ सिंचाई अवधि 2021 के पश्चात् सी0डी0 संरचना के अवशेष कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा ।

श्री रामप्रवेश राय : अध्यक्ष महोदय, जवाब की प्रति मिली हुई है और जवाब जो आया है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न कुछ है और जवाब कुछ है । क्या इस जवाब से माननीय मंत्री जी संतुष्ट हैं ? जवाब में एक जगह लिखा है

कि यह योजना प्रस्तावित है और एक जगह लिखा गया है कि संवेदक द्वारा संरचना का अपस्ट्रीम फेस वॉल का निर्माण किया गया है, फिर लिखा गया है कि कोवडि 19 के संक्रमण एवं लॉक डाउन के उपरांत संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है । अध्यक्ष महोदय, यह नहर के नीचे से साईफन निर्माण की योजना है, इस साईफन के अभाव में हजारों एकड़ धान की फसलें डूब जाती हैं । इसी उद्देश्य से कुछ वर्षों पूर्व मेरे द्वारा प्रयास करके इस योजना को लाया गया था, काम प्रारंभ हुआ और जहां पर यह स्थल है वहां न तो कोई कोविड है और न कोई लॉक डाउन है, देहाती इलाके में, ग्रामीण इलाके में । बिहार में इतनी योजनाएं चल रही हैं, कोई योजना कोविड-19 के कारण और लॉक डाउन के कारण कहीं रोकी नहीं गई है । एक छोटा सा काम, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना की लागत राशि कितनी है, यह कब शुरू हुई और कब इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा ? एक प्रश्न के रूप में जवाब चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, इसकी डिटेल तो अभी मेरे पास नहीं है । लेकिन ये मैंने जरूर कहा है कि कोविड-19 को लेकर के और लॉक डाउन तो था ही, एक महीना काम जरूर स्लो हुआ है लेकिन खरीफ सिंचाई अवधि 2021 के पश्चात सी0डी0 संरचना के अवशेष कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा । ये मैंने अपने जवाब में जरूर कहा है कि खरीफ सिंचाई वाला जब हो जायेगा तो उसके बाद उस काम को पूरा करा लिया जायेगा।

श्री रामप्रवेश राय : अध्यक्ष महोदय, इस कार्य का पूर्ण होना बहुत आवश्यक है किसानों के हित में, हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो जाती हैं । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने नहर विभाग के, मेरा तो यह भी आग्रह होगा कि जल संसाधन से कम से कम नहर प्रणाली को अलग कर दिया जाय । हम विभाग के सारे मंत्री से लेकर के पदाधिकारियों का ध्यान बाढ़ नियंत्रण पर ज्यादा रहता है और रहना भी चाहिए लेकिन नहर व्यवस्था पर सरकार का ध्यान बहुत कम हो गया है, जिसका प्रतिफल है कि पूरे बिहार में कई नहरों में पानी नहीं है, कहीं पानी है तो.. ...

अध्यक्ष : अभी आपका पूरक क्या है ?

श्री रामप्रवेश राय : खैर हमारा यही कहना है कि यह काम प्रारंभ हुआ है, माननीय मंत्री जी व्यक्तिगत रूचि लेकर के दिखवा लें । यह काम कितना शुरू हुआ, उसको शीघ्र पूरा करा दें ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री मनोज कुमार यादव ।

टर्न-5/हेमन्त-धिरेन्द्र/28.07.2021

तारांकित प्रश्न सं0-129(श्री मनोज कुमार यादव, क्षेत्र सं0-16, कल्याणपुर)
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-130(श्री गोपाल रविदास, क्षेत्र सं0-188, फुलवारी(अ0जा0))

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2019 में पुनपुन नदी में आयी बाढ़ के समय पूर्व से निर्मित ग्राम सुरक्षा बांध के जाहिदपुर-मनोहर सहित अनेक स्थानों पर ओवरटोपिंग के कारण आसपास की बस्ती में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया था ।

अत: बाढ़ वर्ष 2020 के पूर्व इस बांध को ऊंचा किया गया है । बांध को ऊंचा करने के क्रम में कुछ जगहों पर पूर्व निर्मित सम्पर्क पथ के ऊपर भी मिट्टी का कार्य कराया गया है । सम्पर्क पथ वर्तमान में ग्राम सुरक्षा तटबंध के रूप में काम कर रहा है । यदि सड़क निर्माण से संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है तो जल संसाधन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी । चूंकि हम लोग रोड बनाते नहीं हैं नॉर्मली ।

तारांकित प्रश्न सं0-131(श्री उमाकांत सिंह, क्षेत्र सं0-7, चनपटिया)
(लिखित उत्तर)

श्री नितिन नवीन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि पथ प्रमंडल बेतिया अन्तर्गत वर्तमान में लौरिया से सुगौली पथ जिसकी लम्बाई 43.90 कि0मी0 है, जो CMBD अन्तर्गत पथ संधारित है । पथ के चैनेज 0.00 से 14.700 (14.70 कि0मी0) Intermediate Lane है । पथ के चैनेज 14.70 से 43.900 (कुल लम्बाई 29.200 कि0मी0) Single Lane (3.75 मी0) है ।

संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर चौड़ीकरण कार्य का निर्णय लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये ।

श्री उमाकांत सिंह : अध्यक्ष महोदय, कब तक ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान स्थिति में, पूरे जवाब के क्रम में मैंने बताया है कि 5.5 मी0 की सड़कें 14 कि0मी0 की हैं । लौरिया से कैथोलिया तक और कैथोलिया से लेकर सुगौली के बीच में, जो प्रश्नकर्त्ता माननीय उमाकांत जी का विषय है । हम लोगों ने कहा है कि जिस प्रकार से संसाधन की उपलब्धता होगी, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में उसको टेकअप कर पायें ।

तारांकित प्रश्न सं0-132(श्री पवन कुमार यादव, क्षेत्र सं0-155, कहलगांव)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 अंतर्गत एकरारनामा कर लिया गया है । संबंधित अधीक्षण अभियंता के द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत स्थल के अनुरूप पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त कर लिया गया है । पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृति की प्रक्रिया में है । तदोपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

2- खंड-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

3- खंड-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्राक्कलन तैयार किया गया था 2018 में और एकरारनामा भी कर लिया गया है संवेदक के द्वारा । अगर इस तरह से एक-एक काम में चार-चार साल अगर रिवाईज स्टीमेट बनाने में लगेगा तो रोड की प्रक्रिया कब पूरी होगी, उस पर पब्लिक कब चलेगी साथ ही साथ ऐसे प्राक्कलन तैयार करने वाले पदाधिकारी को आगाह किया जाय कि वह जाकर स्थल का निरीक्षण करके, गांव और रोड का निरीक्षण करे और तब स्टीमेट तैयार करे । इस काम में 74 परसेंट की वृद्धि हुई है स्टीमेट में । इस पर अंकुश लगना चाहिए । घर में बैठकर स्टीमेट तैयार किये हैं इसलिए 74 परसेंट की वृद्धि हुई है इस काम में ।

तारांकित प्रश्न सं0-133(श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0-20, चिरैया)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया प्रखंड के खड़तरी मध्य पंचायत के पटजीलवा ग्राम में लालबेगिया नदी का बांध नहीं है । वस्तुत: इस भाग में 12.00 कि.मी. लम्बाई का तियर-सिकरहना-सिजुआ लूप नामक तटबंध सिकरहना नदी के बायें तटबंध पर निर्मित है । पटजीलवा ग्राम इस तटबंध के नदी भाग में अवस्थित है, जिसके कारण सिकरहना नदी के जलस्तर में वृद्धि की स्थिति में प्रश्नगत ग्राम में पानी का फैलाव होता है ।

तियर-सिकरहना-सिजुआ लूप में तीन बिन्दुओं पर स्लूईस गेट के निर्माण हेतु जगह छोड़ी हुई है, जिससे बाढ़ के दिनों में नदी का पानी फैलता है ।

सिकरहना, बूढ़ी गंडक नदी एवं इसकी सहायक नदियों पर निर्मित तटबंधों का उच्चीकरण, सुदृढीकरण तथा नये तटबंध निर्माण हेतु योजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है, जिसमें प्रश्नगत स्थल पर स्लूईस गेट का निर्माण भी प्रस्तावित है ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कब तक इसको करवा देंगे । महोदय, बहुत कष्ट हो जाता है पानी आने पर ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : यह जल्द ही करायेंगे इस बार बाढ़ में भी, क्योंकि वहां बांध नहीं है और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी भी जा कर देखे हैं पूरी उस बेल्ट को, सिकरहना नदी पर । उसका पूरा डी.पी.आर. बन गया है, जल्द ही इसको हमलोग लेकर जा रहे हैं ।

अध्यक्ष : जल्दी ही कर देंगे ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कब तक इसको करवा दिया जायेगा ?

अध्यक्ष : मंत्री जी ने तो कहा, जल्द ही करवा देंगे ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, करोड़ो रुपये की क्षति होती है, स्लूईस गेट का काम छोड़ा हुआ है, उससे जनता को करोड़ो रुपये की क्षति होती है । इसलिए, हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसी वित्तीय वर्ष में उसका काम करवा दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रोजेक्ट लंबा है और बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन हमलोग सिकरहना नदी का पूरा डी.पी.आर. बनाये हुए हैं । जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी क्षेत्र सटा हुआ है । उस छोड़े हुए भाग के कारण पांच पंचायत पूरा फ्लड इफेक्टेड होता है । माननीय मंत्री जी से हमलोगों का सामूहिक आग्रह होगा कि इस वित्तीय वर्ष में उसको कृपया करवा दिया जाय । माननीय मंत्री जी इस वित्तीय वर्ष में हो जायेगा और आप बोल दीजियेगा तो लोग भी आश्वस्त हो जायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसको दिखवा लेते हैं, जितना जल्द होगा, इसको करवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं.-134 (श्री मनोज यादव, क्षेत्र सं.-163, बेलहर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- इस संदर्भ में उल्लेखित है कि प्रश्न में उठाये गये मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी जाँच मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी से कराई जा रही है । जाँच के फलाफल के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

2 - खंड-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री मनोज यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है । चूंकि, बिहार के रेवेन्यू का सवाल है और पहले भी मैंने विभाग को लगभग चार-पांच माह पहले लिख कर दिया था और उसके बाद सदन में इस क्वेश्चन को लाया हूँ । यह गंभीर विषय है, माननीय मंत्री जी इसको प्राथमिकता में रखकर कितने दिनों के अंदर इसकी जाँच करवा लेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को देखा जाय, यह 2015-16, 2016-17 एवं 2018-19 का मामला है । महोदय, यह लंबे समय का मामला है, इसमें तो समय लगेगा । विभाग ने मुख्य अभियंता के स्तर के अधिकारी से जाँच कराने का निर्णय लिया है । माननीय सदस्य जिनसे जाँच कराने के लिए कहेंगे, मैं उनसे जाँच करवा दूंगा, महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं.-135 (श्रीमती प्रतिमा कुमारी, क्षेत्र सं.-127, राजापाकर(अ०जा०))

(लिखित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2 - वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल का प्राक्कलन प्राप्त है, जिसकी तकनीकी समीक्षा की जा रही है । समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिये ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : कब तक ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है कि प्राक्कलन प्राप्त हो गया है । इसकी तकनीकी समीक्षा की जा रही है और समीक्षा उपरांत अग्रेतर कारवाई की जायेगी । महोदय, सरकार ने स्वीकार किया है कि

काउजवे क्षतिग्रस्त है, उसको ठीक करवाया जायेगा और जल्द से जल्द ठीक करवाये जाने की दिशा में कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न सं.-136 (श्री हरि नारायण सिंह, क्षेत्र सं.-177, हरनौत)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2 - स्वीकारात्मक है ।

3 - राज्य सरकार सभी नवसृजित एवं पुराने वैसे प्रखंड जिनके जीर्णोद्धार एवं मरम्मती की आवश्यकता है । उनके कार्यालय एवं आवासीय भवन तथा परिसर विकास के लिए कृतसंकल्पित है । अब तक 79 प्रखंडों में प्रखंड-सह-अंचल सह-आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है । साथ ही 101 प्रखंडों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता हेतु प्रखंड सूचना प्रद्यौगिकी केन्द्र का भी निर्माण कराया जा रहा है । इसके अतिरिक्त निगम एवं भवन निर्माण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में 11+46 कुल 57 प्रखंडों में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय भवन का परिसर विकास योजना के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । शेष प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से प्रखंड कार्यालय एवं आवासीय भवन तथा परिसर विकास करने की सरकार की योजना है । प्राथमिकता के आधार पर नालंदा जिले के चंडी प्रखंड को अगले चरण में शामिल किया जा सकेगा ।

टर्न-6/संगीता-सुरज/28.07.2021

श्री हरि नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, चंडी प्रखण्ड कार्यालय के साथ ही साथ आवासीय भवन का निर्माण हुए लगभग 50 वर्ष हो गये और प्राय: प्रतिवर्ष बरसात में सारा सिपेज हो जाता है । मानिये उसमें बैठना मुश्किल है न कोई कर्मचारी का आवास ठीक है, न पदाधिकारी का आवास ठीक है और प्रखंड मुख्यालय का जो मुख्य भवन है वहां तो बैठ कर काम भी नहीं किया जा सकता है तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि कम-से-कम आपका तो पूरे बिहार का जवाब आ गया प्रायोरिटी में लेते हुए इसको चंडी प्रखंड के जो प्रखंड कार्यालय है, उसका आवास है उसके घेराबंदी का काम शीघ्र ही कराने की व्यवस्था करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, मैंने प्रश्न के जवाब के उत्तर में माननीय हरिनारायण बाबू से कहा है इसको प्रायोरिटी में हमने लिया है, लिखा है हमने । नालंदा जिले के चंडी

प्रखण्ड को अगले चरण में शामिल कर लिया जायेगा । ये प्रायोरिटी में आ गई है और इसके पहले भी जो विधानसभा में प्रश्न आए हैं वह भी प्रायोरिटी में है हमारी ।

श्री हरि नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा एक बात कहना है कि प्रायोरिटी नहीं, जीर्णोद्धार नहीं बल्कि पूरे भवन को तोड़कर नया भवन बनाने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभाग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो प्रखंड भवन है, जो अंचल कार्यालय है और आवासीय भवन है जो प्रखंड परिसर है उसके बारे में रिपोर्ट मांगी गई है महोदय और जहां-जहां इस तरह के भवन की हालत होगी, जर्जर होगी अगर वह मरम्मति के लायक होगी तो मरम्मति कराई जायेगी और मरम्मति के लायक नहीं होगी तो नये भवन के निर्माण की दिशा में कार्रवाई की जाएगी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-137 (श्रीमती शालिनी मिश्रा, क्षेत्र संख्या-15, केसरिया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दो महत्वपूर्ण मार्ग 1. रामजानकी मार्ग 227A एवं 2. साहेबगंज अरेराज 139W केसरिया के लालाछपरा से प्रस्तावित है । दोनो मार्गों की ज्यामिति और कम से कम विस्थापन को ध्यान में रखकर आरेखन मार्गो का निर्धारण किया गया है । स्थल का निरीक्षण एन0एच0ए0आई0 और जिला भू-अर्जन एवं स्थानीय पदाधिकारियों के साथ किया गया जिसमें परामर्शदाता के प्रतिनिधि भी शामिल थे । परामर्शदाता के प्रतिनिधि द्वारा प्रदर्शित किया गया कि वर्तमान मार्ग की ज्यामिति के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कतिपय जगहों पर संभव नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग को 80 से 100 कि0मी0 प्रति घंटा की गति के लिए डिजाइन किया जाता है । कर्वेचर को smooth रखने हेतु ही वर्तमान सड़क को छोड़ा गया है ।

साथ ही चार लेन सड़क और दूसरे दो लेन सड़क का जंक्शन वर्तमान सड़क पर बनना तकनीकी रूप से और विस्थापन के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है । विस्थापन के दृष्टिकोण से भी वर्तमान सड़क की चौड़ीकरण की स्थिति में ज्यादा क्षति संभावित है । वर्तमान में रामजानकी मार्ग हेतु लालाछपरा में 13 आवासीय खेसराओं का आंशिक या पूर्ण अधिग्रहण किया जा रहा है । वर्तमान सड़क की चौड़ीकरण की स्थिति में विस्थापितों की संख्या ज्यादा होगी ।

अध्यक्ष : श्रीमती शालिनी मिश्रा जी उत्तर संलग्न है पूरक पूछिये । आज पथ निर्माण विभाग का सौ प्रतिशत जवाब आया हुआ है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहती हूं कि जो उत्तर आया है उसमें कहा गया है कि जो 13 खेसरा है जिसमें लोग विस्थापित हो रहे हैं । 13 खेसरा में लगभग 50 परिवार हैं तो 50 परिवारों को विस्थापित करना बहुत ही मुश्किल काम है । अध्यक्ष महोदय, दूसरा मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिय ज्यामिति समीकरण के हिसाब से यह मुश्किल है कि वहीं पर ही बन जाय । मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि अभी स्टेट हाइवे वहां पर है और ऑलरेडी वहां पर लोग जा रहे हैं । जगह काफी है लोगों को विस्थापित नहीं होने देना यह हम सबों का आग्रह है और हमलोगों का कर्तव्य भी है । आपसे आग्रह है माननीय मंत्री जी एक बार आप हमारे साथ आएं, उस क्षेत्र को देखें । काफी लोग बेघर हो रहे हैं, काफी लोगों को नुकसान हो जाएगा । आपसे आग्रह है कि एक बार आप आकर उसका समाधान करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप पूरे सवाल को देखेंगे तो दो बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग रामजानकी मार्ग 227A और साहेबगंज अरेराज 139W । ये दोनों वहां से गुजरने वाला है और उससे पूरे एलाइन्मेंट को जो देखा गया है उसमें कम-से-कम विस्थापन को देखते हुए ही बनाया गया है और एन0एच0ए0आई0 के लोग, जिला प्रशासन के लोग और परामर्शदाता के लोग । ये तीनों लोग स्पॉट पर गए थे और तब इसका पूरा रेखांकन हुआ है तो मेरा मानना है कि जो माननीय सदस्या की चिंता है उससे विभाग भी चिंतित है लेकिन राज्य के हित में अगर कुछ निर्णय करने होते हैं तो उसमें यह भी निर्णय है लेकिन विस्थापन की उनकी जो सोच है उसको जरूर ध्यान में रखा गया है कि कम-से-कम विस्थापन कर हम मार्ग बना पाए ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री महानंद सिंह । हो गया अब तो माननीय मंत्री जी इतना पॉजिटिव बोले ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय मंत्री जी से फिर भी आग्रह है कि हमलोग पिछले 8-9 महीनों से कोशिश कर रहे हैं एक बार और उसको दिखवा लें । कोशिश करें कि विस्थापन न हो ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-138 (श्री महानंद सिंह, क्षेत्र संख्या-214, अरवल)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बलिदाद लॉक से निकलने वाले आर0पी0 चैनल-1 एवं अरवल लॉक से निकलने वाले आर0पी0 चैनल-2, जो महावलीपुर लॉक तक जाता है की खरीफ/रब्बी सिंचाई के दौरान मरम्मति कराकर

अंतिम छोर तक पानी उपलब्ध कराया जाता है । इन चैनलों के पुनर्स्थापन का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । तदोपरान्त कार्यान्वयन की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, हमको कहना है कि नहर के चैनलों का जो हालत है उसमें विक्रम लॉक के नीचे लाइनिंग हो गया है...

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, डायरेक्ट पूरक पूछिए ताकि अधिक से अधिक सदस्यों का प्रश्न आ सके ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, मेरा पूरक यह है कि अभी इसमें जवाब दिया गया है कि मरम्मति करके नीचे छोर तक पानी पहुंचाया गया है लेकिन बेलसार लॉक से ऊपर और खोखड़ी के पास अभी भी टूटा हुआ है चैनल...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री महानंद सिंह : उसमें वे टूटे हुए चैनलों को कब तक मरम्मत करेंगे पहला यह है और दूसरा जितने भी चैनल हैं यरारजवा से लेकर अन्य अर्थवर्ग के लिए भी डी0पी0आर0 बनेगा या नहीं, चूंकि नीचे तक पानी नहीं पहुंच रहा है...

अध्यक्ष : भूमिका मत बनाइये, बैठ जाइये । माननीय मंत्री ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में कहा है कि रबी सिंचाई के दौरान मरम्मति कराकर अंतिम छोर तक पानी उपलब्ध कराया जाता है । इन चैनलों के पुनर्स्थापन का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है और इस बरसात के बाद उस पर काम शुरू हो जायेगा ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, तीन जगह पर टूटा हुआ है अभी तक मरम्मत नहीं हुआ है जबकि इस समय मरम्मति और धान के फसल के लिए पानी नहीं पहुंच रहा है । खोखड़ी के पास, बेलसार के पास और प्रसादी इंग्लिश के पास । इन तीन जगहों पर मरम्मति की जरूरत है अभी ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : उसी का प्राक्कलन बन रहा है, उस पर काम शुरू करवा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-139 (श्री राजेश कुमार गुप्ता, क्षेत्र संख्या-208, सासाराम)

(लिखित उत्तर)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक है । यह पथ सोलिंग पथ है जो आंशिक रूप से खराब है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ में पड़ने वाले बसावट नया गाँव को सम्पर्कता देने हेतु नया गाँव मोड़ से प्राथमिक विद्यालय उचईला भाया नया

गाँव एवं उचईला कुम्हार टोली तक पथ जिसकी लम्बाई 1.20 कि0मी0 है का सर्वेक्षण विभागीय ऐप द्वारा कराया जा चुका है । समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : माननीय मंत्री जी, कब तक करायी जायेगी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : समीक्षा करा करके ये प्रायोरिटी में है, प्रायोरिटी में इनके पथ का निर्माण किया जाएगा ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : महोदय, समय-सीमा होना चाहिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या-140 (श्रीमती अरूणा देवी, क्षेत्र संख्या-239, वारिसलीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सकरी सिंचाई योजनान्तर्गत नवादा जिला के सकरी नदी पर पौरा वीयर निर्मित है । इसके दायां मुख्य नहर के 0.24 किलोमीटर से बेल्धा वितरणी नि:सृत है । इस वितरणी से नवादा प्रखंड के पौरा एवं वारसलीगंज प्रखंड के हाजीपुर ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है ।

सकरी सिंचाई योजनान्तर्गत मुख्य नहर एवं इससे नि:सृत वितरण प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है । योजना प्राक्कलन में बेल्धा वितरणी का जीर्णोद्धार कार्य भी सम्मिलित है । प्राक्कलन तैयार हो जाने के पश्चात इसके कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

श्रीमती अरूणा देवी : मंत्री जी बता दें कि कब तक होगा ?

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, मैंने बताया कि इस पर प्राक्कलन तैयार होगा फिर उस पर निर्णय लिया जायेगा लेकिन यह वितरणी भी उसमें शामिल है जो बेल्धा वितरणी कहते हैं ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : अध्यक्ष महोदय, एक संवेदनशील मुद्दा है थाना प्रभारी के द्वारा दलितों की बस्ती में घुसकर मांझी परिवार के लोगों को बेरहमी से मारा गया और महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया । एक मुदई...

अध्यक्ष : जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब शून्यकाल होंगे ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री सिद्धार्थ सौरव वेल में आ गए)

अध्यक्ष : पहले अपने स्थान पर जाइये । आप अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री सिद्धार्थ सौरव अपने स्थान पर लौट गए)

अध्यक्ष : बैठ जाइये सब लोग । अनुमति लेकर खड़ा होइये । बोलिये और स्थिर से बोलिए ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : अध्यक्ष महोदय, अभय कुमार नाम का एक सरकारी अधिकारी गया थाने में चोरी का एफ0आई0आर0 कराने गये तो उसी को मुदाले बनाने का प्रयास किया गया । बारह घंटा सी0सी0टी0वी0 में कैद है, बंधक रखा गया और पुलिस संवेदनहीनता दिखा रहे हैं पटना के एस0एस0पी0 । मारने के लिए लाठीचार्ज करने के लिए । आज मांझी जी बैठे हुए हैं, इन्हीं की जाति के लोगों को, महिलाओं को घर में घुसकर घर तोड़ दिया गया । इतनी बेरहमी से मारा गया है बिना कोई कारण के और मुदई को मुदाले बनायेंगे कहां है पटना के एस0एस0पी0, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, क्या कार्रवाई किये हैं इस पर...

अध्यक्ष : ठीक है । आप अपने विषय को रखे, बैठ जाइये । सरकार संज्ञान में ले ली । श्री मिथिलेश कुमार ।

टर्न-7/राहुल/28.07.2021

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिए जाएंगे ।

<u>शून्यकाल</u>

श्री मिथिलेश कुमार : बिहार सरकार द्वारा 22 दिसम्बर, 2011 को प्रकाशित गजट के पृष्ट संख्या-07 के अध्याय IX के अनुरूप समय सीमा में, लोकहित में समाहरणालय, सीतामढ़ी द्वारा प्रेषित ज्ञापांक-1991/रा0, दिनांक- 12.07.2021 को सूची का दाखिल-खारिज अविलंब कराने का उपाय करें ।

श्री इजहारूल हुसैन : किशनगंज जिलांतर्गत ठाकुरगंज प्रखंड में Grid Sub Station प्रस्तावित है अब तक कार्य सम्पूर्ण नहीं होने के कारण बिजली आपूर्ति ठाकुरगंज एवं पोठिया प्रखंड में निरंतर बाधित रहता है जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । Grid Sub Station बनाने की मांग करता हूं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : पठन-पाठन, औद्योगिक विकास, रोजगार एवं आकस्मिक चिकित्सीय सुविधा हेतु हवाई सेवा आवश्यक है । महात्मा गांधी को संत बनाने वाले चंपारण से अभी तक हवाई सेवा शुरू नहीं हुई है । पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत मोतिहारी से हवाई सेवा प्रारंभ किये जाने की मांग करती हूं ।

श्री राकेश कुमार रौशन : नालंदा जिला के इस्लापुर प्रखण्ड साधन सेवी प्रखण्ड संसाधन केंद्र का स्थानान्तरण हेतु जिला स्तरीय निगरानी समिति की अनुशंसा के आलोक में

पत्रांक 3561 दिनांक 14.06.2021 के जिलाधिकारी नालंदा के पत्र के निर्देश का अनुपालन कराया जाय ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : पूर्वी चम्पारण जिले में मोतिहारी एवं रक्सौल हवाई अड्डा को विकसित कर उड़ान सेवा शुरू करने की जोरदार मांग समस्त चम्पारण की जनता कर रही है । मैं राज्य सरकार से पूर्वी चम्पारण को उड़ान सेवा में शामिल कर एयरपोर्ट को चालू करने का अनुरोध करता हूं ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : पूर्वी चम्पारण जिला के पिपरा विधान सभा के मेहसी एवं तेतरिया प्रखंड में बाढ़ से एवं चकिया प्रखंड में जल-जमाव से सभी फसल बर्बाद हो गयी है । अत: किसानों को फसल क्षति का मुआवजा देने का सरकार से मांग करता हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : बक्सर जिला के चौगाई महादलित बस्ती के सुरेश मुसहर पिता स्व0 टेंगर मुसहर के विक्रमगंज उप-कारागृह में हुई मौत की न्यायिक जांच एवं आश्रितों को अविलंब मुआवजा का भुगतान करने की मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : राज्य के सभी विभागों में लाखों पद रिक्त हैं । मैं सरकार से इस सदन के माध्यम से अविलंब रिक्त पदों पर बहाली करने की मांग करता हूं ।

श्री संजीव चौरसिया : आर0 ब्लॉक-दीघा रेलवे ट्रैक को हटाकर सिक्स लेन सड़क निर्माण मे दौरान ट्रैक के किनारे बसे लगभग 500 परिवारों को हटा दिया गया एवं सहगड्डी मस्जिद के पास स्थित स्लम के झोपड़ियों को भी हटाने की चेतावनी दी गई है । मैं उक्त परिवारों को पुनर्वासित कराने की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : पूर्णिया रंगभूमि में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्माण हेतु निविदा में दो निविदा प्राप्त हुई थी जिसे तकनीकी कारण से रद्द किया गया । उक्त नियम अन्य राज्य में लागू नहीं है । अत: मैं सरकार से उक्त ट्रैक निर्माण हेतु बिहार मे निविदा नियम में संशोधन कर शीघ्र निविदा कर निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

टर्न-8/यानपति-अंजली/28.07.2021

श्री महानंद सिंह: अध्यक्ष महोदय, पटना जिला पुलिस बल के बहुत से बीमार पुलिसकर्मियों के इलाज चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि का आवंटन के अभाव में नहीं हो पा रहा है । मैं चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि के आवंटन की मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंह: अध्यक्ष महोदय, अनुमंडलीय अस्पताल बिक्रमगंज का चाहरदिवारी कार्य कराया जाय ।

अध्यक्ष: चलिए, सात शब्द में आपने अपनी बात रखी, बहुत-बहुत धन्यवाद

श्री रामबली सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत शाहो बिगहां बाजार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री विनय कुमार चौधरी: अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के बहेड़ा पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक की पदस्थापना हो ।

अध्यक्ष: चलिए, आपका 9 शब्द में है, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी: अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला के कोचाधामन विधान सभा अंतर्गत बिजली आपूर्ति में जर्जर तार के कारण प्राय: बाधित रहता है । जिसके कारण आमजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि विभागीय अभियंता द्वारा सभी फीडर का निरीक्षण कराकर अविलंब जर्जर तार को बदलने की प्रक्रिया को पूरी की जाय ।

श्री अखतरूल ईमान: अध्यक्ष महोदय, अमौर एवं बैसा प्रखंड में तार, खम्भे, ट्रांसफार्मर्स, तकनीकी सहायकों की कमी एवं अयोग्यता के कारण विद्युत आपूर्ति लचर हो गई है । भीषण गर्मी में मात्र 04 से 05 घंटा बिजली मिल पाती है । जिस कारण आमजनों में काफी आक्रोश है ।

अत: मैं बिजली व्यवस्था के सुधार की मांग करता हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी: अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 2019 में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु दो वर्ष पूर्व जमीन उपलब्ध करायी गई थी, बावजूद कोरोना महामारी में भी आज तक कार्य प्रारंभ नहीं होने से लोगों में भारी नाराजगी है । मेडिकल कॉलेज के शीघ्रताशीघ्र निर्माण की मांग सदन से करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के 1128 कोटी मदरसा में बहाल विज्ञान शिक्षकों की कुल सं0-190, जिससे 119 शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया गया है । 71 शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होने से उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है ।

अत: जनहित में वेतन भुगतान की मांग करता हूं ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के अरविंद कुमार नालंदा जिला में दनियावां प्रखंड में पद स्थापित थे । 11.00 बजे दिन में उनको गोली मार दिया और स्थानीय लोगों ने पुलिस पदाधिकारी को गाड़ी नंबर भी दिया । महोदय, अभी तक पीड़ित मौत से जूझ रहे हैं पी0एम0सी0एच0 में, अभी तक पुलिस, सरकार लापरवाह है । महोदय, इसको संज्ञान में लिया जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है । श्री कुंदन कुमार ।

श्री कुंदन कुमारः अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डा का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, प0 चम्पारण समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में भूखमरी के शिकार बाढ़ पीड़ित गरीब परिवारों के घरों में 72 घंटे पानी नहीं लगने का मानक बनाकर राहत कार्य नहीं चलाया जा रहा है । उक्त मानक में बदलाव कर राहत कार्य चलाने की मांग करता हूं ।

श्री कृष्णनंदन पासवानः अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि विधान सभा के हरसिद्धि एवं तुरकौलिया प्रखंड में बाढ़ के पानी एवं जलजमाव से धान की रोपनी नहीं हुई है जिसके कारण किसानों में तबाही का आलम है । मांग करता हूं कि फसल क्षतिपूर्ति एवं आगामी रबी फसल के लिए बीज, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करावें ।

श्री रामचंद्र प्रसादः अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत सहोड़ा आनन्दपुर पंचायत के लक्ष्मीपुर (डयोढ़ी) स्थित पौराणिक मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसके जमीन को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है ।

अतः सरकार से मांग करता हूं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करते हुए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाय ।

श्री सुधाकर सिंहः अध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-3/स्था0 पद सृजन चालक 01/2010-118, दिनांक-26.03.2011 के आलोक में कैमूर जिला के विभिन्न अंचलों में पूर्व से कार्यरत दैनिक पारिश्रमिक पर चालकों को संविदा पर बहाल करावें ।

श्री चन्द्रहास चौपालः अध्यक्ष महोदय, गांधी मैदान थाना कांड-150/17 के सी0आई0डी0 द्वारा दिये गये निर्देश का वरीय पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा पूर्णतः आदेश का पालन/पटना पुलिस पुर्नअनुसंधान कर या सी0आई0डी0 द्वारा पुर्नअनुसंधान करने का राज्य सरकार से मांग करता हूं ।

सुश्री श्रेयसी सिंहः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020 में कोरोना महामारी से कठिनाइयों के आलोक में अन्यान्य कारणों से बिहार खेल सम्मान समारोह में जो आवेदन नहीं कर सके, वैसे योग्य खिलाड़ियों को वर्ष 2021 में बिहार खेल सम्मान समारोह में शामिल होने का मौका देने की मांग करती हूं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादवः अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला में गोविन्द मांझी को 19 जुलाई को पारसविगहा पुलिस ने गिरफ्तार किया, 22 जुलाई को जेल में मृत्यु हो गई । उल्टे महिला पुलिस के मृत्यु के आरोप में महादलित को तंग कर रही है । तत्काल दोषी पुलिस पर जांच एवं कार्रवाई करें ।

श्री ललित नारायण मंडल: अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद् सुलतानगंज जिला भागलपुर के विभिन्न वार्डों से जल-जमाव की समस्या यथाशीघ्र दूर किया जाय ।

श्री प्रणव कुमार: अध्यक्ष महोदय, परिवहन निगम की मुंगेर स्थित बस पड़ाव एवं डिपू का भवन काफी जर्जर अवस्था में है जो कभी भी ध्वस्त हो सकता है तथा पड़ाव की भूमि भी अतिक्रमित है ।

अत: सरकार से बस पड़ाव के भवन एवं डिपू का निर्माण एवं अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग करता हूं ।

श्री गोपाल रविदास: अध्यक्ष महोदय, कुमारी रंजनलता महादलित शिक्षिका उत्क्रमित उ0वि0 कटरा कला, भभुआ को कैमूर डी0ओ0 तथा वर्तमान स्कूल प्रिंसपल ने प्रताड़ित कर वेतन पर भी लंबे समय से रोक लगा रखा है । न्याय और वेतन चालू कराने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मुधबनी जिलान्तर्गत जयनगर के बेलही पूर्वी पंचायत के कमलावाड़ी गोठ में NH-227 के निर्माण के कारण भारी जल जमाव से पूरी आबादी तबाह है । शीघ्र जल जमाव से निजात दिलाकर NH के किनारे नाला निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल': अध्यक्ष महोदय, कांड सं0-33/2021 नया रामनगर थाना मुंगेर, भाजपा प्रवक्ता अजफर शम्सी को दिन दहाड़े जमालपुर कॉलेज कैम्पस में गोली मारी गई थी लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक शूटर को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई । स्थानीय पुलिस शूटर को पकड़ने में सक्षम नहीं है ।

श्री मुरारी मोहन झा: अध्यक्ष महोदय, केवटी विधान सभा क्षेत्र के केवटी प्रखंड में NH-527 बी कोयला स्थान लैयला चौर होते हुए चक्का लहवारपथ जिसकी दूरी 9 कि0मी0 है । बाढ़ आने के कारण पुल एवं सड़क क्षतिग्रस्त है । इस पथ में तीन पुल का होना आवश्यक है । जन कल्याण हेतु इस सड़क को बनाने की कृपा करें ।

श्री ललन कुमार: अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत इंटरस्तरीय उच्च विद्यालय शेरमारी के प्रभारी प्रधानाध्यापक (चंद्रशेखर आजाद ने) द्वारा विद्यालय का लगभग 7,00000/- (सात लाख) रुपए गबन कर लिया है । सरकार से उक्त भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: अध्यक्ष महोदय, नवरत्न ज्वेलर्स बोरिंग रोड, पटना के धीरज कुमार द्वारा दर्जनों लोगों से पैसा ठगा गया है। ललन कुमार द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर आर्थिक अपराध इकाई, पटना में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कराने की सरकार से मांग करता हूँ।

श्री संदीप सौरभ: अध्यक्ष महोदय,पटना जिलान्तर्गत पालीगंज प्रखंड के जरखा पंचायत के समदा गांव में पुनपुन नदी पर पुल निर्माण से 50 से अधिक गांवों को जहानाबाद, अरवल, गया और पटना को जोड़ा जा सकता है। प्रसिद्ध समदा मेला को इससे काफी बल मिलेगा। समदा में पुल निर्माण की मांग करता हूँ।

श्री पवन कुमार यादव: भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखंड के सनोखर एवं आसपास के पंचायतों के लगभग दो दर्जन गांवों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बड़ी आबादी रहती है। इनके शैक्षणिक विकास हेतु एस0टी0 आवासीय विद्यालय के निर्माण की सरकार से मांग करता हूँ।

श्री विनय बिहारी: अध्यक्ष महोदय, बेतिया मनुआपुल योगापट्टी भाया नवलपुर रतवल पथ यातायात योग्य नहीं है। इसे शीघ्र यातायात योग्य बनाया जाय।

श्री सुर्यकांत पासवान:अध्यक्ष महोदय, टी0एम0 वर्क्स यूनियन एक पंजीकृत मजदूर यूनियन है इसका रजिष्ट्रेशन नं0 68 आई0टी0सी0, मुंगेर है। पिछले 2011 से मजदूर का चुनाव नहीं हुआ है। अत: हम सरका से यूनियन के चुनाव की मांग करते हैं।

श्री मनोज कुमार यादव:अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी में एक नये मेडिकल कॉलेज एवं होस्पीटल की स्थापना करने की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष: अब ध्यानाकर्षण सूचना लिये जायेंगे।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री ललित कुमार यादव,आलोक कुमार मेहता एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार(कृषि विभाग)की ओर से वक्तव्य।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव अपनी सूचना को पढ़ेंगे।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, राज्य में समय पूर्व अतिवृष्टि होने से किसानों के धान का बीचड़ा(बीज) गल जाने के कारण किसानों को धान रोपाई में अधिक कठिनाई हो रही है। धान की रोपनी समय पर नहीं होने से धान उपज में प्रतिकुल प्रभाव पड़ने के डर से किसानों में भारी आक्रोश है।

अत: किसानों के बीचड़ों की क्षति की भारपाई एवं किसानों की अन्य समस्याओं पर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

अध्यक्ष: सरकार आपको उत्तर भी भेज चुकी है ऑनलाईन, आपने नहीं देखा है। माननीय मंत्री जी।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में जून माह में सामान्य वर्षापात 167.7 मि0मी0 की तुलना में वास्तविक वर्षापात 354.3 मि0मी0 हुई है जो 111 प्रतिशत अधिक है । इस अत्यधिक वर्षापात के कारण राज्य के कुछ जिलों यथा पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर एवं मधुबनी में धान के बीचड़े रोपे गये धान तथा अन्य फसलों के क्षति संबंधी जिलों के जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित की गयी है । पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण में नष्ट हुए धान की बीचड़ों तथा अन्य फसल की क्षति की भरपाई हेतु धान 6739.45 क्विंटल एवं गोभी 1 क्विंटल के बीजों का मुफ्त वितरण कराया जा रहा है, अब तो कराया जा चुका है। शेष वर्णित तीन जिलों में बीज आपूर्त्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है । प्राकृतिक आपदा एवं आकस्मिक स्थिति से निपटने तथा कृषकों के सहायतार्थ 30 करोड़ रू0 आकस्मिक फसल योजना स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है। योजना स्वीकृति की प्रत्याशा में आकस्मिक फसलों के बीच जल्द ही अन्य जिलों में कृषकों के बीच वितरित करने की कार्रवाई भी की जा चुकी है और की जा रही है ताकि फसल अच्छादन का लक्ष्य प्राप्त हो सके तथा कृषकों को नुकसान से बचाया जा सके । सरकार किसानों को हर आपदा में मदद करने के लिए मजबूती के साथ खड़ी है तथा इस प्रयास में राशि की कोई कमी आड़े नहीं आयेगी। सरकार सभी माननीय सदस्यों को भी आश्वस्त करती है कि जिस जिले से भी फसल क्षति की सूचना मिलेगी वहां आपदा प्रबंधन के मापदंड के अनुरूप कृषकों को हर संभव सहायता प्रदान की जायेगी।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने..

अध्यक्ष: इतना पोजेटिव आपको जवाब दिये हैं।

श्री ललित कुमार यादव: ठीक है महोदय, सकारात्मक जवाब दिये हैं तो सकारात्मक प्रश्न भी पूछने का मुझे मौका दिया जाय महोदय। महोदय, माननीय मंत्री जी ने पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी कुछ जिला का नाम बताये हैं। महोदय, हम कह रहे हैं उत्तर बिहार में, अतिवृष्टि वारिश होने से महोदय दरभंगा जिला और सुपौल जिला यानी उस इलाके में लेकिन दरभंगा जिला से आते हैं, हम दावे के साथ कहते हैं कि पूर्वी चम्पारण, मधुबनी और मोतिहारी से कहीं कम वारिश नहीं हुई है। दरभंगा समस्तीपुर में भी अत्यधिक वारिश हुई है । हम ये मांग करते हैं माननीय मंत्री महोदय से, एक तो दरभंगा का नाम आप अपने जवाब में नहीं पढ़ा है दूसरा, महोदय इन्होंने कहा है कि बीचड़ा, अब महोदय धान रोपनी का करीब करीब समय खत्म हो गया, अभी भी महोदय खेत में दो फीट, तीन फीट पानी है । अभी भी धान की रोपनी नहीं हो सकती है महोदय, तो हम माननीय मंत्री से यह

मांग करते हैं, आप और जिला का जांच करवा लीजिये और जहां जहां किसान की धान रोपनी नहीं हुई बीचड़ा गल गया है तो कम से कम से कम किसान को जो एकड़ पर लागत हो, जितना फसल लोग किसान करते हैं उतना मुआवजा देने का कम से कम पांच हजार एकड़ मुआवजा देने का किसानों को विचार रखते हैं या नहीं, माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे महोदय।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,मंत्री: महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को भी और माननीय सदस्य को भी बताना चाहता हूॅ कि जिन जिन जिलों से बीचड़े नष्ट हो गये, ऐसी सूचना या आकलन जो भी और उस रिपोर्ट के आधार पर उन जिलों में किसानों को हमने वहां आवश्यक बीज बंटवा दिया है और तुरंत उसका वितरण करवाया गया है । ऐसा नहीं कि उसमें देरी हुई है, इस बार बीज वितरण की कहीं कोई शिकायत नहीं है लेकिन दरभंगा जिले में कहीं भी बीचड़ा और नष्ट हो जाने की शिकायत हमें नहीं प्राप्त हुई है । अगर ऐसी सूचना हो तो आप बतायें, हम निश्चित रूप से अब उसमें क्या किया जा सकता है देखेंगे।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, सरकार कितना संवेदनशील है। उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा अतिवृष्टि दरभंगा जिला में हुआ और बाढ़ का भी पानी आया, अभी तक महोदय चार फीट, सात फीट, दस फीट तक पानी लगा हुआ है इलाके में महोदय और ये कह रहे हैं कि दरभंगा जिला से कोई प्रतिवेदन ही इनको प्राप्त नहीं हुई तो सरकार कितना गंभीर और संवेदनशील है महोदय, इसी से पता चलता है महोदय, महोदय हम कह रहे हैं कि जिस जिला से प्रतिवेदन नहीं आया है, माननीय मंत्री एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन मंगवाकर उस जिला में उचित मुआवजा देने का विचार रखते हैं या नहीं ?

श्री आलोक कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के हसनपुर और बिथान में, हसनपुर और बिथान पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है और समस्तीपुर जिला ऐसे भी छः नदियों से घिरा हुआ है, आसपास के क्षेत्र में जो धान की बुआई हुई है, वह पूरी तरह से प्रभावित है । आप धान जब बोयेंगे और उसमें फसल क्षति होगी तो उसका मुआवजा देंगे लेकिन जहां बीचड़ा ही गल गया, उस पर सरकार क्या विचार कर रही है । ऐसे ही धान की जो क्षति है, उस क्षतिपूर्त्ति के लिए पता चलता है कि एक एक ब्लौक को छोड़ दिया जाता है कि यहां कोई क्षति नहीं हुई है, आपके सर्वे सिस्टम में कहीं कोई कमी तो नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत है और उसको ढंग से जहां भी यदि छोटा एक पूरे जिला के दो ब्लौक में भी यदि क्षति हुई है तो उस दो ब्लौक को पंचायत वाईज उसको कंसीडरेशन में लेना चाहिए

और उन किसानों का मुआवजा पर पूरा पूरा अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला ही नहीं पूरा उत्तर बिहार का मामला है इसलिए इसको उस रूप में लेना चाहिए कि कहीं से कोई रिपोर्ट दिया नहीं, तो वह कर्मचारी और अफसर नहीं दिया रिपोर्ट और सफर कर रहा है आपका किसान, इसलिए सरकार से इसमें मैं मांग करता हूँ मंत्री महोदय से कि इसका रिपोर्ट लेकर के और अविलंब इस पर कार्रवाई करना चाहिए।

टर्न-10/मधुप/28.07.2021

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । (व्यवधान) सब लोग एक ही बार पूछ लीजिएगा ? पूछ लीजिए ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उत्तर बिहार के करीब-करीब सभी जिलों में बिचड़ा नष्ट हो गया है, मैं कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या जिला कृषि पदाधिकारी ने आपको जिस जिला का सूचना नहीं दिया है, अगर हमलोग सूचित करते हैं जैसे मान लीजिए कि हम सीवान से आते हैं, छपरा है, गोपालगंज है, उस इलाके में भी काफी बारिश हुई है, अतिवृष्टि हुई है और बिचड़े नष्ट हो गये हैं, धान की रोपणी नहीं हुई है तो मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जिला से आप निश्चित रूप से एक प्रतिवेदन माँगें कि कौन-कौन जगह के बिचड़ा खराब हुए हैं । ऐसा करने से किसानों को आप मदद कर सकते हैं । यही मैंने आसन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, यह सुझाव कोई ऐसा नहीं है कि मानने योग्य नहीं है और सरकार इसे स्वीकार नहीं करती है । ऐसी बात नहीं है । आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल व्यवहारिक बात की है । जहाँ-जहाँ के बारे में आप स्पेसिफिक जानकारी देंगे, अध्यक्ष महोदय, अगर आप स्पेसिफिक जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से उसपर कार्रवाई होगी । प्रत्येक जिला के डी0एम0 से और जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा हम फिर से एक रिपोर्ट मँगवा लेते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, एक अंतिम प्रश्न ।

अध्यक्ष : अब अंतिम प्रश्न आपका पहले ही खत्म हो गया । कई लोग बोल चुके हैं इसलिए आपका अंतिम प्रश्न समाप्त है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम समयसीमा चाहते हैं । अभी कोरोना काल से किसान पीड़ित थे और अभी बाढ़ से पीड़ित हैं । महोदय, केवल इतना ही कि जिला पदाधिकारी से कबतक प्रतिवेदन मँगाकर इसपर किसानों के बीच अनुदान बॉंट देंगे ?

अध्यक्ष : जल्द ही मँगवा लीजिएगा ।

श्री ललित कुमार यादव : नहीं महोदय, समयसीमा ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, अनुदान की बात क्यों की जा रही है ? माननीय सदस्य भी जानते हैं, फसल जब नष्ट होता है तब अनुदान की बात होती है । लेकिन जब बिचड़ा ही नष्ट हो गया, उसमें कोई वैसा प्रावधान नहीं है लेकिन हॉं, 30 करोड़ हमारी जो उसमें स्वीकृत राशि है, उस आधार पर हमलोगों ने मुफ्त बीज का वितरण किया है, जहॉं-जहॉं जरूरी हुआ । इस प्रकार से जहॉं कहीं भी होगा, फसल नष्ट होगा तो मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के अन्तर्गत हमलोग उस क्षति का आकलन करके देते हैं । लेकिन उसमें नहीं प्रावधान है । जो प्रावधान है (व्यवधान) बिचड़ा ही जब नष्ट हो गया तो फसल नुकसान क्या हुआ । (व्यवधान)

अध्यक्ष : महासेठ जी, आपका नाम इसमें है ? महासेठ जी क्यों बोलने लगे ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, जो हाल है, किसान मजबूर हो गए और सरकार संवेदनहीन है । महोदय, सकारात्मक जवाब के लिए कहा जाय ।

अध्यक्ष : आप तो सकारात्मक बात करने की बात कहे थे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, धान की रोपणी हुई ही नहीं तो अनुदान की ही न बात करेंगे ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया । सरकार का प्रावधान जो है, मैंने बता दिया और वह प्रावधान आप जानते हैं । जो कुछ भी हो सकता है, उस प्रावधान के तहत ही हो सकता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका, अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री विजय कुमार खेमका, अवधेश सिंह एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [स्वास्थ्य विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, बिहार सहित देश में बढ़ती जनसंख्या पर नीतिगत विचार करते हुए अगले 50 वर्षों के हिसाब से नीति निर्धारण की आवश्यकता है । सीमित संसाधन पर विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधन कम पड़ने लगा है । कृषि योग्य भूमि का आवासीय उपयोग होने लगा है तथा पानी का दोहन

काफी अधिक होने के कारण पानी का स्तर नीचे गिरने लगा है जिससे पर्यावरण पर खतरा उत्पन्न हो गया है । आम आदमी को स्वच्छ हवा भी नहीं मिलती है । जनसंख्या नियंत्रण के लिए दो बच्चों का प्रावधान समुदाय, क्षेत्र तथा जाति सभी पर समान रूप से लागू करने की आवश्यकता है । वर्ष 1999 के करूणाकरण कमिटी के सुझाव को लागू करने की आवश्यकता है । सरकार द्वारा महिलाओं को शिक्षित कर जनसंख्या पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है ।

अत: पर्यावरण संरक्षण एवं सीमित संसाधन के हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण के लिए दो बच्चों का प्रावधान समुदाय, क्षेत्र तथा जाति सभी पर समान रूप से लागू करने की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-11/आजाद/28.07.2021

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो आपका निर्णय है, उसको सदन को जरा बता दिया जाय । हमलोग जानना चाहते हैं, सभी विधायक हमलोग से पूछ रहे हैं तो हमने कहा है कि अध्यक्ष साहेब आयेंगे तो हम पूछकर बतायेंगे । हम चाहेंगे कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो आपका निर्णय है, सभी लोगों को सदन में बताने का काम करें ।

अध्यक्ष : आप सभी लोग तो थे ही । बैठक में विधायी कार्य के बाद अगर आपलोग चाहते हैं कि इस विषय पर अपनी कुछ बात रखें तो वह अवसर मिलेगा लेकिन विधायी कार्य निपटारे के बाद ।

प्रभारी मंत्री, वाणिज्यकर विभाग ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूँ ।

अध्यक्ष : अब आपका कौन व्यवस्था आ जाता है ?

श्री सत्यदेव राम : मैं लिखकर भी आपको दे चुका हूँ । महोदय, कल इसी घटना पर विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोल रहे थे, जिस समय सदन में शोरगुल हुई......XXX

अध्यक्ष : अब आप बैठिए । यह सब बात प्रोसिडिंग्स का पार्ट नहीं बनेगा । आप चाहते हैं न कि सदन शांति से चले ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लेकर कहें हैं तो जो 23 मार्च को हुआ है, उसका विडियो रेकोर्डिंग दिखा दिया जाय XXX

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए । दोनों व्यक्तियों का कोई बात प्रोसिडिंग्स में नहीं जायेगा । (व्यवधान)

आप दोनों बैठ जाइए । सत्यदेव जी बैठ जाइए । आप बैठिए । क्या हुआ है, उसको आसन को बताने की जरूरत नहीं है । उसपर जब हमने नियमन दे दिया है तो आपलोग बैठिए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आपलोग बैठ जाइए । संजय जी, बैठ जाइए । माननीय सदस्य, आपसे एक चीज का आग्रह करेंगे, बैठ जाइए आप भी ।

कोई भी बात प्रोसिडिंग्स का पार्ट नहीं बनेगा । आपलोग बैठ जाइए ।

श्री अख्तरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, एक बात कहनी है ....

अध्यक्ष : हम जो कह रहे हैं, उसको पहले सुन लीजिए । बोलिए ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, यह सदन कस्टोडियन है विधायकों का, यह सदन कस्टोडियन है मंत्री का और सरकार का XXX

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग सिनियर लोग होकर के इस तरह की बात करेंगे, इस तरह की कोई बात आपकी प्रोसिडिंग्स में नहीं जायेगी । कोई बात आपकी प्रोसिडिंग्स में नहीं जा रही है और न प्रेस मीडिया, कहीं भी यह बात नहीं जायेगी, इस तरह का कोई भी विषय प्रोसिडिंग्स में नहीं जायेगी । बहुत आपको चिन्ता है तो उनसे जाकर आप मिल लीजिए न ।

XXX इस अंश को अध्यक्ष महोदय के आदेश से विलोपित किया गया ।

(व्यवधान)

आप बैठिए । आप सदन की चिन्ता कीजिए ।

माननीय सदस्यगण, आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है । ध्यान से इस बात को पहले सुनिए । पहले बात को सुनिए, आपका मन शांत होगा ।

(व्यवधान)

आप दोनों व्यक्ति इस तरह से करियेगा तो फिर प्रोब्लम हो जायेगा । आप दोनों बैठ जाइए, आप सिनियर लोग हैं । सुन लीजिए पहले, माहौल को हल्का करने के लिए हमलोग प्रकृति की गोद में चलें ।

माननीय सदस्यगण, आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है । प्रकृति ही जीवन है और शक्ति है ।

(व्यवधान)

आप बैठिए । जब हम बोलने लगे तो पहले आप बैठिए । प्रकृति ही जीवन है और प्रकृति ही शक्ति है । स्वस्थ पर्यावरण सभी जीवों के जीवन का मूल आधार है । हमें हर हाल में पृथ्वी और इसके सम्पूर्ण प्रकृति परिवेश को जीने लायक बनाकर रखने के लिए इसको संरक्षित करना ही होगा । हम धरती माता कहते हैं, वह हम सबकी पोषक है । यदि हम सबका ख्याल नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम रहने के लिए कैसा वातावरण प्रदान कर पायेंगे ? हमें यह विचारणा होगा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें भी अपनी प्राथमिकता, सामाजिक जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से निभाना होगा तथा पर्यावरण संरक्षण को हमें सर्वोच्च

प्राथमिकता में रखना होगा चाहे ध्वनि प्रदूषण ही क्यों न हो ? सदन के अन्दर प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें स्वयं संकल्प लेकर के भावी पीढ़ी को रहने लायक वातावरण प्रदान करना होगा और हमारे आचरण से उनको प्रेरणा मिले, यह याद रखना होगा । इस सामाजिक पहल में अगर कोई आवश्यकता होगी तो यह सभा भी आगे आकर अपना दायित्व निभायेगा । आइए हम सब प्रकृति को संरक्षित करने के लिए अपनी रचनात्मक भूमिका निभायें और जानकर आपको बड़ी खुशी और आश्चर्य होगा कि प्रकृति का सबसे संवेदनशील प्राणी जिसको नाग कहते हैं, जिसके डर से लोग भागते हैं । उस नाग का हमलोग पूजा करते हैं, दुश्मन नहीं मानते हैं । जब उसका हम सम्मान करते हैं और उसको हम संरक्षित करते हैं, उनको हम दूध और लावा का प्रसाद देते हैं तो वे भी हमें वरदान देते हैं ।

माननीय सदस्यगण, साथ ही कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है । बिहार में यह मौना पंचमी और नाग पूजा के रूप में मनाया जाता है । धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा से जीवन में काल का भय खत्म हो जाता है और जीवन में आया संकट भी दूर हो जाता है । देवों के देव, महादेव सबका कल्याण करते हैं और बिहार के विकास में हम सभी जनप्रतिनिधि रचनात्मक भूमिका निभायें । अगर कोई नकारात्मक वातावरण है तो उस विधायक को हम हृदय से धन्यवाद दूँगा और सम्मान करूँगा जो उसको सकारात्मक वातावरण में परिणत करेगा । माहौल जो तनावपूर्ण है, उसको हल्का करेगा, उसका सदन सम्मान करेगा लेकिन सदन की शांति को उत्तेजना में बदलने वाले के प्रति किसी की सहानुभूति नहीं रहेगी ।

माननीय सदस्यगण, अब एक बार पुनः हमलोग प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग से आग्रह करेंगे ।

(व्यवधान)

अब आपलोग बैठ जाइए, आप वरिष्ठ लोग हैं । आपस में कोई बातचीत नहीं कीजिए । अब आपलोग सुनिए, प्रभारी मंत्री खड़ा हुए हैं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात कहने के पूर्व हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे सदस्यों को इंगित करके इस तरह की बातें करके सदन के वातावरण को अशोभनीय करना यह कहीं से उचित नहीं है । इसपर आसन को सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए ।

टर्न-12/शंभु/28.07.21

विधायी कार्य

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री।

श्री तारकिशोर प्रसाद,उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद,उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।"

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव जी द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं मूव करूँगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे ।"

अध्यक्ष महोदय, बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 में सरकार द्वारा बार-बार संशोधन करने की आवश्यकता होती रही है । इसीलिए इसकी पूरी जॉंच परीक्षण एवं अति उपयोगी बनाने के उद्‌देश्य से मैं मांग करता हूँ कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड -2,3,4,5,6,7 एवं 8 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड -2,3,4,5,6,7 एवं 8 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड -2,3,4,5,6,7 एवं 8 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-9 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"विधेयक के खंड-9 में प्रस्तावित संशोधन के पांचवी पंक्ति के शब्द समूह "की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है," के स्थान पर शब्द समूह "के बैंक खाता" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये किया है क्योंकि सरकार प्रावधान करने जा रही है कि व्यवसायी की अचल संपत्ति कर दूकान जप्त कर ली जायेगी । यह किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है । इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक के खंड-9 में प्रस्तावित संशोधन के पांचवी पंक्ति के शब्द समूह "की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है," के स्थान पर शब्द समूह "के बैंक खाता" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-9 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-9 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-10, 11 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-10,11 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-10,11 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-12 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"विधेयक के खंड-12 के उपखंड(ख) में प्रस्तावित संशोधन के तीसरी पंक्ति के शब्द समूह "एक सौ" के स्थान पर शब्द "पचास" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक के खंड-12 के उपखंड(ख) में प्रस्तावित संशोधन के तीसरी पंक्ति के शब्द समूह "एक सौ" के स्थान पर शब्द "पचास" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-12 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-12 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-13 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : मूव करूँगा । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"विधेयक के खंड-13 में प्रस्तावित संशोधन के पहली एवं दूसरी पंक्ति के शब्द समूह "या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, आदेश द्वारा" को विलोपित किया जाय ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक के खंड-13 में प्रस्तावित संशोधन के पहली एवं दूसरी पंक्ति के शब्द समूह "या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, आदेश द्वारा" को विलोपित किया जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-13 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-13 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-14, 15 एवं 16 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-14,15 एवं 16 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-14,15 एवं 16 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

प्रभारी मंत्री ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

महोदय, पूरे देश में 1 जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 व्यवस्था लागू है तथा इसके लिए केन्द्र और सभी राज्यों में एक ही कानून बनाया गया है । यह कानून संविधान के अधीन गठित जी0एस0टी0 परिषद् के अनुशंसा पर तैयार किया गया है एवं इस व्यवस्था में कोई भी सुधार करने पर केन्द्र के कानून के साथ-साथ राज्यों के कानून में भी संशोधन किया जाना आवश्यक हो जाता है । जी0एस0टी0 परिषद् की अनुशंसा पर वित्त अधिनियम, 2021 के माध्यम से केन्द्रीय संसद द्वारा इस वर्ष केन्द्रीय कानून में संशोधन कर दिया गया है ।

क्रमशः

क्रमश:

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : एवं परिषद द्वारा राज्यों से भी ऐसे संशोधन करने का आग्रह किया गया है अत: बिहार माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, 2021 के माध्यम से बिहार जी.एस.टी. कानून में संशोधन का प्रस्ताव इस सदन में पेश किया गया है । महोदय, इस प्रस्ताव के निम्नलिखित खण्ड हैं :

क्लब एवं ऐसे संस्थानों द्वारा अपने सदस्यों को मूल्य के बदले दिए जाने वाले माल अथवा सेवा को कानून के तहत सप्लाई माने जाने के लिए धारा-7 में संशोधन का प्रस्ताव दिया जा रहा है ताकि इस विषय पर पर्याप्त स्पष्टता हो । महोदय, प्रक्रिया का पालन किए बगैर और बिना कागजातों के क्रेडिट लिए जाने की प्रवृति पर रोक लगाए जाने के लिए धारा-16 में संशोधन का प्रस्ताव है । व्यवसायियों द्वारा उनके खाता बही को इन्कम टैक्स जैसे अन्य कानून के अधीन ऑडिट कराए जाने के साथ साथ जी.एस.टी. कानून में भी उसी खाता बही के ऑडिट का प्रावधान वर्तमान में है । ऑडिट के इस दोहरे मार से राहत दिए जाने के उद्देश्य से जी.एस.टी. कानून की धारा -35 एवं धारा-44 में यह संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है । विलम्ब से कर भुगतान करने के कारण व्यवसायियों को जो ब्याज देना होता है और वर्तमान में व्यवसायी को मिलने वाले क्रेडिट की राशि पर भी वह लागू हो जाता है अत: क्रेडिट की रकम जो सरकार के कोषागार में जमा करायी जा चुकी है पर ब्याज नहीं लगाए जाने के लिए 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से ही धारा-50 में संशोधन का यह प्रस्ताव है । किसी व्यवसायी द्वारा पोर्टल पर बीजकवार बिक्री अपलोड कर दिए जाने के बावजूद उस बिक्री पर कर भुगतान नहीं किए जाने की प्रवृति पर रोक लगाने के लिए धारा-75 में संशोधन का प्रस्ताव है । किसी शासकीय आदेश के विरुद्ध अपील दायर किए जाने हेतु अग्रिम राशि जमा कराए जाने के उद्देश्य से धारा-107 में भी संशोधन का प्रस्ताव है । महोदय, वगैर कागजातों के मालों के परिवहन की रोक थाम के लिए कर एवं कर के बराबर शासकीय अधिरोपन का भी प्रावधान है जिस कारण इस प्रक्रिया में अनेक कठिनाईयाँ आ रही हैं । अत: कर के बदले दुगुनी शासकीय अधिरोपित किए जाने हेतु धारा 129 में भी संशोधन का प्रावधान है । आयुक्त द्वारा सूचना एकत्रित करने तथा प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करने के पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के उद्देश्य से धारा-151 तथा धारा-152 में भी संशोधन का प्रस्ताव है । गत वर्ष राज्य में विधान सभा चुनाव के कारण 1 अक्तूबर, 2020 से पूरे भारत में लागू अधिसूचना बिहार में 25 नवम्बर, 2020 से निर्गत

की जा सकी है । इस अधिसूचना के 1 अक्तूबर, 2020 से 24 नवम्बर, 2020 तक विधिमान्यकरण करने का भी प्रस्ताव है । वाणिज्य कर विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष के प्रथम त्रैमास में कुल 5,690 करोड़ का राजस्व भी संग्रह किया गया है । गत वर्ष इसी अवधि में विभाग का राजस्व संग्रहण 4,00,8 करोड़ था। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष प्रथम त्रैमास में राजस्व संग्रहण में भी 42 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । आज सदन इसको पारित कर रहा है । यह व्यवसायियों के हित में है और राज्य के हित में है और जी.एस.टी. कौन्सिल जो समय समय पर संशोधन करता है उसके अनुरुप राज्य को यह बाध्यता है कि उसको संशोधन करे जिससे कि व्यवसायियों को बेहतर ढंग से इसका लाभ मिल सके । इतना ही कहना था । अत: महोदय, इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाय । यह सदन से आग्रह है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक,2021

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमुत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

" बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो । "

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव श्री महबूब आलम द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मूव करता हूँ ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे । "

, महोदय, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 माननीय वित्त मंत्री द्वारा लाया गया है । बजट प्रबंधन का मूल उद्देश्य यह है कि उसको इस सरकार ने 2006 में लाया था और इस विधेयक का मूल उद्देश्य राज्य को कितना ज्यादा कर्ज मिल सके जो कि बिहार जैसे बीमार राज्य के लिए यह उचित नहीं है । 2005 में प्रति व्यक्ति जहाँ कर्ज 5 हजार रुपया था, आज प्रति व्यक्ति 1 लाख 35 हजार रुपया हो गया है। यही इनका बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन संशोधन, 2021, यह इसलिए लाए हैं कि जितना कर्ज लेकर घी पी सकें । यह सरकार सुशासन बाबू की है लेकिन कितना कर्ज लेंगे, इस राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन संशोधन, विधेयक 2021 का मूल स्वरुप यही है । 2005 में प्रति व्यक्ति कर्ज 5 हजार था वहीं 2021 में प्रति व्यक्ति 1 लाख 35 हजार हो गया है । इस बीमारु राज्य के लिए इस राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन का हम तो विरोध करते हैं । इतना ही नहीं जो इस राज्य पर इतना कर्ज है और इस राज्य जो देश के अन्य राज्य के सूचकांक पर काफी नीचे है बिहार और ऐसे बीमारु राज्य के लिए, आप हमेशा मांग करते हैं कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का हमको पैकेज मिले । आपको क्या हुआ जबकि डब्ल इंजन है ।

अध्यक्ष : आपको बहुत अवसर आयेगा । संक्षेप में ।

श्री ललित कुमार यादव : नहीं महोदय, मैं संक्षेप में ही रखता हूँ । माननीय मंत्री जी यह कर्ज का सवाल है । बिहार की पूरी जनता पर कर्ज का बोझ आयेगा । माननीय मंत्री जी को बहुमत है वह अपना पास करा लें लेकिन हम विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना । बस कनक्लुड कर रहे हैं । यह राज्य के हित में

नहीं होगा । कर्ज का दायरा इतना बढ़ाना यह राज्य को प्रगति पर ले जाना नहीं है । यह राज्य को दुर्गति पर ले जायेंगे । सुशासन में अपना संसाधन बढ़ाने पर जोर नहीं दे रहे हैं । अपना संसाधन बढ़ाईये आप इसके लिए आपको कौन रोक रहा है । आप बढ़ाईये अपना संसाधन । अच्छी सरकार और सुशासन की सरकार आप संसाधन बढ़ाईये । आप संसाधन बढ़ा नहीं रहे हैं और आप बिहार की जनता पर कर्ज बढ़ा रहे हैं बिहार की जनता का, आप कैसे शासक हैं । कर्ज लेकर घी पी रहे हैं । इसलिए महोदय, इतने गंभीर विषय पर आपसे आग्रह करेंगे कि इसको प्रवर समिति में भेज दें ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे । ''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्ष: अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2 में दो संशोधन है क्या माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित उपधारा 2(ख)(5)(i) के दूसरी पंक्ति के अंक एवं शब्द समूह '' 4% (चार प्रतिशत)'' के स्थान पर अंक एवं शब्द समूह '' 2.5 % (ढ़ाई प्रतिशत)'' प्रतिस्थापित किया जाय । ''

टर्न-14/अभिनीत-पुलकित/28.07.2021

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित उपधारा 2(ख)(5)(1) के दूसरी पंक्ति के अंक एवं शब्द समूह ''4 प्रतिशत (चार प्रतिशत)'' के स्थान पर अंक एवं शब्द समूह ''2.5 प्रतिशत (ढ़ाई प्रतिशत)'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मूव करेंगे । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

‘‘विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित उपधारा 2 (ख)(5)(1) के दूसरी पंक्ति के अंक एवं शब्द समूह ‘‘4 प्रतिशत (चार प्रतिशत)’’ के स्थान पर अंक एवं शब्द समूह ‘‘3 प्रतिशत (तीन प्रतिशत)’’ प्रतिस्थापित किया जाय ।’’

महोदय, बिहार सरकार की यह मानसिकता सही नहीं है कि कर्ज की सीमा जैसे ही बढ़ती है तुरंत कर्ज लेने के लिए बेचैन हो जाती है, इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है, इसलिए यह संशोधन लाया हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

‘‘ विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित उपधारा 2 (ख)(5)(1) के दूसरी पंक्ति के अंक एवं शब्द समूह ‘‘4 प्रतिशत (चार प्रतिशत)’’ के स्थान पर अंक एवं शब्द समूह ‘‘3 प्रतिशत (तीन प्रतिशत)’’ प्रतिस्थापित किया जाय ।’’

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

‘‘खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

‘‘खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

‘‘प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

‘‘नाम इस विधेयक का अंग बने ।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

महोदय, माननीय सदस्यगण इस बात से अवगत होंगे कि राज्य में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम-5, 2006) लागू किया गया था । इस अधिनियम द्वारा राज्य के राजकोषीय घाटे एवं ऋण उगाही की अधिसीमा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा रही है और उसी के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 में भी संशोधन किया जाता रहा है ।

महोदय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष से ही कोरोना महामारी से पूरा देश संघर्ष कर रहा है । बिहार जैसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य के लिए इस संक्रमण से निपटने के लिए चुनौतियां भी अधिक हैं । अभी पिछले वर्ष की महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था से बाहर निकलने की कोशिश हो रही थी कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण बिहार में पुन: लॉक डाउन मजबूरी में लगाना पड़ा । इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नकारात्मक एवं चुनौतीपूर्ण प्रभाव पड़ा । इस वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए काफी सक्रियता से कार्य किया है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए व्यापक पैमाने पर त्वरित कार्रवाई की गयी है । अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गयी है, नये ऑक्सीजन प्लांट लगाये गये वहीं दूसरी ओर इसके संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है । राज्य सरकार का अगले छ: माह में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण किये जाने का लक्ष्य भी है ।

अध्यक्ष महोदय, कोविड 19 महामारी से एक ओर राज्य के राजस्व संसाधन में कमी हुई वहीं दूसरी ओर राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि हुई है । इसके बावजूद राज्य सरकार अपने बेहतर वित्तीय प्रबंधन से निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है महोदय । यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्ष 2020-21 से लगातार चली आ रही वैश्विक आपदा कोविड 19 से जहां एक ओर राज्य के संसाधनों पर प्रतिकूल असर पड़ा है वहीं इस वैश्विक महामारी के विरूद्ध राज्य को अतिरिक्त व्यय करना पड़ा है । इसके बावजूद राज्य सरकार ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण पेश करते हुए किसी प्रकार के

अर्थोपाय अग्रिम जिसे वेज एण्ड मीन्स कहा जाता है एवं ओवर ड्रॉफ्ट का उपयोग नहीं किया है महोदय ।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा आखिरी बार वेज एण्ड मीन्स का उपयोग वर्ष 2004-05 में एवं ओवर ड्रॉफ्ट का उपयोग वर्ष 2003-04 में किया गया था । महोदय, इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार पिछले 16 वर्षों से अपने वित्तीय प्रबंधन को काफी सुदृढ़ रखा है । महोदय, इस संबंध में ''कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज'' के रिपोर्ट का भी उल्लेख करना चाहूँगा जिसमें बिहार को पूरे देश में बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाला राज्य बताया गया है । महोदय, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा एवं वार्षिक ऋण सीमा में अतिरिक्त दो प्रतिशत की वृद्धि कर पांच प्रतिशत किया गया था । महालेखाकार से प्राप्त अंतरिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे को पांच प्रतिशत सीमा के अंदर रखने में सफलता प्राप्त की, जो कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन को यह दर्शाता है । पुनः भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा एवं वार्षिक उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है । वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रारंभ में राज्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत ऋण उगाही की सुविधा प्राप्त होगी । शेष 0.5 प्रतिशत की उधार सीमा राज्य के लिए निर्धारित वृद्धिशील पूंजीगत व्यय पर आधारित होगी । महोदय, वर्ष 2021-22 के लिए उपर्युक्त निर्धारित 4 प्रतिशत की अधिसीमा के अलावा 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त उधार सीमा दिए जाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है । महोदय, यह उधार सीमा ऊर्जा प्रक्षेत्र में किये जाने वाले सुधार से संबद्ध होगा । अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त ऋण उगाही से प्राप्त राशि का उपयोग राज्य के विकासात्मक एवं पूंजीगत कार्यों में किया जा रहा है ताकि जहां एक ओर राज्य में परिसंपत्तियों का सृजन हो वहीं दूसरी ओर रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो सकें । अध्यक्ष महोदय, सदन के सारे माननीय सदस्य अवगत होंगे कि राजकोषीय घाटे की सीमा तक कि ऋण उगाही राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है । ऋण उगाही की सीमा प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा ही निर्धारित की जाती है ।

महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि ''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021'' को ध्वनिमत से पारित करने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार हो ।"

विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, श्री अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव, सिद्धांत और विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

टर्न-15/हेमंत-धिरेन्द्र/28.07.2021

श्री समीर कुमार महासेठ : नहीं, माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह जी मूव करेंगे ।
अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?
श्री अजीत शर्मा : नहीं, माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह जी मूव करेंगे ।
अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?
श्री अजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 के सिद्धान्त पर विमर्श हो ।''

इसमें जो ऑटोनॉमी है उच्चत्तर शिक्षा के लिए, स्वायत्तता जो है यह सबसे बड़ा विषय है । इसके लिए कई कमीशन बने हैं हमारे यहां । कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन और अमेरिका के विलियम डगलस के विचार जो आये इस पर वह निश्चितरूपेण उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए इन लोगों ने स्वायत्तता पर बल दिया है । इसका मूल कारण है कि सरकार का इसमें इंटरफेरेंस जब होगा तो सरकार आइडिया बेस्ड होती है और स्वायत्तता में आइडिया का सृजन होता है, महोदय । इसमें बच्चों के विचार का सृजन होता है । इस संबंध में, मैं कहना चाहूँगा कि इस विश्वविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए निश्चित रूप से जैसे लोकायुक्त केन्द्र में या प्रदेश में चयन पद्धति से नियुक्त होता है या चांसलर के रूप में राज्यपाल अगर रहें तो इसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होगा । मैं इस प्रदेश को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के चांसलर होने पर, इनकी इंटीग्रिटी पर मैं सवाल पैदा नहीं करना चाहता लेकिन बड़े-बड़े विचारकों ने जो अपने विचार रखे हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए स्वायत्तता का होना जरूरी है । महोदय, इस संबंध में मैं आपके समक्ष एक सूचना देना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जो है उसके चांसलर के रूप में वहां की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी थीं । इसके बाद सरकारें बदली, अखिलेश जी के बाद भी सरकारें बदली, मेरी बात हुई वहां के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों से, वहां वह अपने को असहज महसूस कर रहे थे तो मेरा यह कहना है कि सरकार का इंटरफेरेंस जब उच्च शिक्षा में होगा तो विचारों का सृजन कुंद हो जायेगा, वहां विचारों का सृजन हो ही नहीं सकता । चूंकि, सरकार अपने विचार पर बेस्ड होती है, आइडियोलॉजी बेस्ड सरकार होती है । इसलिए इसके स्वायत्तता के मामले में, मैं चाहूँगा, यह अलग बात है कि आसन से पूछा जायेगा कि बहुमत उधर है, बहुमत इधर नहीं है । पास हो जायेगा विधेयक, मैं मानता हूँ लेकिन इसके लिए उद्धरण पेश करना चाहता हूँ ।

जब देश के पार्लियामेंट में पर-कैपिटा आमदनी पर चर्चा हुई, कांग्रेस की सरकार बहुमत में थी लेकिन जब डॉ0 लोहिया जी ने उस पर दस्तावेजी प्रूफ के साथ बहस की तब बहुमत की सरकार को मानना पड़ा था और स्वायत्तता के मामले में हमको लगता है कि इस सदन को मानना चाहिए ।

अध्यक्ष : विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श के बाद अब संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार सिंह जी का संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

महोदय, यह विधेयक राज्य में प्रथम बार आया है और भविष्य में यह और अधिक प्रभावी बने, अति लोक महत्व का विधेयक बने । इसलिए हम मांग करते हैं कि इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री महबूब आलम द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री महबूब आलम अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अन्दर दे ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अन्दर दे ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड (26) के शब्द समूह ''इस अधिनियम के अधीन सम्मिलित'' को विलोपित किया जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड (26) के शब्द समूह ''इस अधिनियम के अधीन सम्मिलित'' को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में दो संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड (3) के पहली एवं दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे'' के स्थान पर शब्द समूह ''भागलपुर होगा'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड (3) के पहली एवं दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे'' के स्थान पर शब्द समूह ''भागलपुर होगा'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड (3) को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जायः-

''विश्वविद्यालय का मुख्यालय मधुबनी में होगा ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड (3) को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जायः-

''विश्वविद्यालय का मुख्यालय मधुबनी में होगा ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-4 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-16/संगीता-सुरज/28.07.2021

अध्यक्ष : खण्ड-5 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक के खंड-5 के उपखंड (4) के पहली पंक्ति के शब्द समूह "के पैटर्न" स्थान पर शब्द समूह "की पद्धति" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"विधेयक के खंड-5 के उपखंड (4) के पहली पंक्ति के शब्द समूह "के पैटर्न" स्थान पर शब्द समूह "की पद्धति" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खण्ड-5 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-6 में तीन संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"विधेयक के खंड-6 के उपखंड (9) के दूसरी पंक्ति के शब्द "पर" एवं शब्द "यथा" के बीच शब्द समूह "क्रमश: बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित" अंत:स्थापित किया जाय ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"विधेयक के खंड-6 के उपखंड (9) के दूसरी पंक्ति के शब्द "पर" एवं शब्द "यथा" के बीच शब्द समूह "क्रमश: बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित" अंत:स्थापित किया जाय । "

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजित शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक के खंड-6 के उपखंड (14) के पहली एवं दूसरी पंक्ति के शब्द समूह "दुनिया के किसी भी हिस्से में शिक्षकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के साथ संबंध विकसित करना और बनाए रखना" के स्थान पर शब्द समूह "विज्ञप्ति प्रकाशित कर विशेषज्ञ की सेवा प्राप्त करना" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-6 के उपखंड (14) के पहली एवं दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''दुनिया के किसी भी हिस्से में शिक्षकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के साथ संबंध विकसित करना और बनाए रखना'' के स्थान पर शब्द समूह ''विज्ञप्ति प्रकाशित कर विशेषज्ञ की सेवा प्राप्त करना'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजित शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-6 के उपखंड (18) के पहली एवं दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''या वसूल करना'' विलोपित किया जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-6 के उपखंड (18) के पहली एवं दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''या वसूल करना'' विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-6 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-7 में एक संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक के खंड-7 के परन्तुक की दूसरी पंक्ति के शब्द "के" एवं शब्द "सामाजिक' के बीच शब्द समूह "आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग" अंतःस्थापित किया जाय ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"विधेयक के खंड-7 के परन्तुक की दूसरी पंक्ति के शब्द "के" एवं शब्द "सामाजिक" के बीच शब्द समूह "आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग" अंतःस्थापित किया जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-7 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-7 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-8 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक के खंड-8 की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह "एक तिहाई" के स्थान पर शब्द समूह "पैंतीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"विधेयक के खंड-8 की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह "एक तिहाई" के स्थान पर शब्द समूह "पैंतीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-8 इस विधेयक का अंग बने ।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-8 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-9 में 3 संशोधन है । माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा एक ही तरह का संशोधन दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मूव करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक के खंड-9 के उपखंड (1) के शब्द "मुख्यमंत्री" के स्थान पर शब्द "राज्यपाल" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

महोदय, हम इसलिए यह संशोधन दिए हैं कि राज्य में सभी विश्वविद्यालयों में जब चांसलर (कुलाधिपति) जब राज्यपाल होते थे तो सरकार को इस विधेयक की क्या जरूरत पड़ गई कि इस विश्वविद्यालय का चांसलर (कुलाधिपति) राज्यपाल के जगह पर मुख्यमंत्री को लाना पड़ रहा है । महोदय, इसमें सरकार को क्या जरूरत पड़ गई, क्या दाल में कुछ काला है क्या । महोदय इसीलिए यह महामहिम राज्यपाल महोदय की गरिमा पर भी ठेस पहुंचेगा और हमारी परंपरा के विपरीत भी होगा इसलिए हम इस विधेयक के खंड-9 के उपखंड (1) के शब्द "मुख्यमंत्री" के स्थान पर शब्द "राज्यपाल" को प्रतिस्थापित किया जाय महोदय मेरा यही संशोधन है महोदय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"विधेयक के खंड-9 के उपखंड (1) के शब्द "मुख्यमंत्री' के स्थान पर शब्द "राज्यपाल' प्रतिस्थापित किया जाय ।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । बैठ जाइये ।

मैं पुनः प्रस्ताव रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"विधेयक के खंड-9 के उपखंड (1) के शब्द "मुख्यमंत्री" के स्थान पर शब्द "राज्यपाल" प्रतिस्थापित किया जाय ।"

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, हां के पक्ष में बहुमत है।

(व्यवधान)

टर्न-17/राहुल/28.07.2021

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, घंटी बजाईए, समय बीतता जा रहा है और पीछे से लोग आ रहे हैं ।

अध्यक्ष : लोगों के आने से...

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, और लोग आ रहे हैं ।

अध्यक्ष : उधर भी लोग आ रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, वोटिंग होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पुनः एक बार प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-9 के उपखंड (1) के शब्द ''मुख्यमंत्री'' के स्थान पर शब्द ''राज्यपाल'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए वोटिंग होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : सचिव घंटी को बजायें ।

(घंटी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं है उन्हें बाहर भेजा जाय । श्री आशोक चौधरी को बाहर भेजा जाय ।

अध्यक्ष : वे वोट नहीं करेंगे, उनकी गिनती नहीं होगी । जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं वे बैठे रहेंगे लेकिन यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : जो विधान परिषद् के सदस्य हैं वे बैठे रहेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनाये रखिए । अब सुनिये, माननीय सदस्य अब सुनिये ।

''आंच न आये कभी आन पर, घटे न जनतंत्र की शान ।
लोकतंत्र के प्रहरी हैं हम निरंतर रहे हम सजग और सावधान ।।''

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, पांच मिनट हो गया है ।

अध्यक्ष : सचिव घंटी के समय को देख रहे हैं । ललित जी आप पुराने सदस्य हैं । सचिव घंटी के समय को देख रहे हैं आप बैठ जाइए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ललित बाबू धैर्य खो चुके हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं पुनः रखता हूं । प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-9 के उपखंड (1) के शब्द ''मुख्यमंत्री'' के स्थान पर शब्द ''राज्यपाल'' प्रतिस्थापित किया जाय ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये । जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे खड़े हो जायं ।

आप इधर-उधर अजीत बाबू मत होइये । सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह पर रहिए ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, यहां न बाहर से अंदर आ सकते हैं और न अंदर से बाहर जा सकते हैं ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, सुदामा जी । जो इसके विपक्ष में हैं वे खड़े हो जायं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, काउंटिंग बढ़िया से होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : आपका विश्वास डगमगा रहा है क्या ?

श्री ललित कुमार यादव : श्रवण बाबू पीछे से किन किन लोगों को घुसाये ?

अध्यक्ष : अब धैर्य से सुनिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : पहले से धैर्य से बोल रहे थे ।

श्री ललित कुमार यादव : हम लोग कह रहे हैं धैर्य से सुनने के लिए ।

अध्यक्ष : हमने इन लोगों को एक शेर सुनाया था, लेकिन हम एक बार फिर से सुना देते हैं ।

''आंच न आये कभी आन पर, घटे न जनतंत्र की शान ।
लोकतंत्र के प्रहरी हैं हम निरंतर रहे हम सजग और सावधान ।।''

खड़े होकर मतदान का फलाफल निम्न प्रकार है :-

हां पक्ष में - 89

ना पक्ष में - 110

प्रस्ताव 21 मतों से अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-18/यानपति-अंजली/28.07.2021

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, बड़ा आश्चर्य लगा कि भाजपा के लोग भी राज्यपाल महोदय के विरोध में खड़े थे, यानी राज्यपाल महोदय पर भरोसा नहीं था ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा: महोदय, नहीं, जब आप कर ही दिए,सब बदल ही दिए तो क्या मूव करेंगे।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-9 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-9 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-10 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-10 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-10 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-11 में दो संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-11 के उपखंड (6) के बाद एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

परन्तु यह कि कुलपति की परिलब्धियां राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अधिक नहीं होगी ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' विधेयक के खंड-11 के उपखंड (6) के बाद एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

परन्तु यह कि कुलपति की परिलब्धियां राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अधिक नहीं होगी ।''

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-11 के उपखंड (7) के तीसरी पंक्ति के शब्द ''तब'' के स्थान पर शब्द समूह ''तीन माह'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-11 के उपखंड (7) के तीसरी पंक्ति के शब्द ''तब'' के स्थान पर शब्द समूह ''तीन माह'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-11 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-11 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-19/सत्येन्द्र/28-07-21

अध्यक्ष: खंड-12 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे?

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आसन के अनुमति के बिना नहीं।

(व्यवधान)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा मूव करेंगे। नहीं करेंगे।

प्रश्न यह है कि

''खंड-12 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-12 इस विधेयक का अंग बना।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: वीरेन्द्र जी,बैठ जाईए। आपकी बात को माना गया, वोटिंग भी आपलोगों ने देख लिया,बहुमत भी देख लिया। अब बैठ जाईए,शांति से बैठिये।

(व्यवधान)

खंड-13,14,15,16 एवं 17 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि

''खंड-13,14,15,16 एवं 17 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-13,14,15,16 एवं 17 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: खंड-18 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे?

(व्यवधान)

ललित जी, अब आप उनको मना कर रहे हैं, वे बोलें कि करेंगे या नहीं ? नहीं करेंगे।

प्रश्न यह है कि

''खंड-18 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-18 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: खंड-19 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि

'' खंड-19 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-19 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: खंड-20 में तीन संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे?

श्री ललित कुमार यादव: नहीं महोदय, मैं संशोधन मूव नहीं करूंगा, आगे हमलोगों को समय बढ़ा दीजियेगा और अजीत शर्मा जी भी कह रहे हैं कि मूव नहीं करेंगे इसीलिए आप पास कर दीजिये।

अध्यक्ष: ललित जी, आप अपनी बात रखें, अजीत शर्मा जी अपनी बात रखेंगे।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे?

श्री अजीत शर्मा: सर,ऐसा है कि डिबेट में हमलोगों को कुछ बोलने का मौका मिले चूंकि समय साढ़े तीन हो गया है इसलिए हमलोग इसको नहीं पढ़ेंगे।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-20 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-20 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: खंड-21 में दो संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे?

(मूव नहीं किया गया)

प्रश्न यह है कि

"खंड-21 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-21 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: खंड-22 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि

"खंड-22 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-22 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: खंड-23 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे?

(मूव नहीं किया गया)

प्रश्न यह है कि

"खंड-23 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-23 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: खंड-24 में कोई संशोधन नहीं हैं

प्रश्न यह है कि

" खंड-24 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-24 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: खंड-25 में दो संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे?

(मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे?

(मूव नहीं किया गया)

प्रश्न यह है कि

"खंड-25 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-25 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: खंड-26,27,28,29,30,31,32,33,34 एवं 35 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि

"खंड-26,27,28,29,30,31,32,33,34 एवं 35 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-26,27,28,29,30,31,32,33,34 एवं 35 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: खंड-36 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे?

(मूव नहीं किया गया)

प्रश्न यह है कि

"खंड-36 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-36 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: खंड-37 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे?

(मूव नहीं किया गया)

प्रश्न यह है कि

" खंड-37 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-37 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: खंड-38,39,40,41,42,43,44 एवं 45 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि

"खंड-38,39,40,41,42,43,44 एवं 45 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-38,39,40,41,42,43,44 एवं 45 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

" प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

" नाम इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

टर्न-20/मधुप/28.07.2021

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

किसी भी देश या राज्य के समग्र एवं सतत विकास में नवीनतम ज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक महत्व है । इसी समग्र विकास की नींव एवं अवधारणा को लक्ष्य के रूप में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय कार्यक्रम के प्रथम चरण (2015-20) में सभी जिलों में सरकारी क्षेत्र में एक नया अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया, जो अब फलीभूत हो चुका है ।

निजी क्षेत्र में भी वर्त्तमान में कई अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित हैं । राज्य में अभियंत्रण महाविद्यालयों की संख्या में हुई वृद्धि एवं विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में तेजी से हो रहे परिवर्तन तथा बाजार एवं उद्योग की माँग को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञान एवं प्रावैधिकी के क्षेत्र में परंपरागत विषयों के अतिरिक्त नये एवं उभरते हुए तकनीकी पाठ्यक्रमों को संबंधन प्रदान करना, पाठ्यक्रमों को लगातार अद्यतन किया जाना, इसके अनुरूप शिक्षकों तथा छात्रों को यथोचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना एवं संस्थानों में शोध एवं नवोन्मेष कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आवश्यक हो गया है । इस प्रकार समग्र रूप में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर अभिवर्धन किये जाने के लिए एक पृथक एवं अत्याधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता है । अब इन स्थापित अभियंत्रण महाविद्यालयों में अभियंत्रण शिक्षा को सुदृढ़ करने तथा तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक परिवर्त्तन लाये जाने के उद्देश्य से बिहार सरकार के सात निश्चत-2 (2020-25) कार्यक्रम अंतर्गत राज्य में एक पृथक विश्वविद्यालय ''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय'' की स्थापना का निर्णय लिया गया है । इसी उद्देश्य से बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 बिहार विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया है ।

बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पूरे राज्य में अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला तथा योजना, प्रबंधन कार्यक्रम एवं सहबद्ध विषयों के लिए संबंधन, परीक्षा एवं मूल्यांकन तथा उपाधि प्रदान करने आदि का कार्य करेगा ।

इस प्रस्तावित अभियंत्रण विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्नातक एवं इससे उच्च स्तर के अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, आर्किटेक्चर एवं योजना पाठ्यक्रमों तथा इस तरह के संस्थानों में संचालित प्रबंधन कार्यक्रम को रखा गया है । इसका उद्देश्य यह है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय के द्वारा मात्र स्नातक एवं इससे उच्च स्तर के अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, आर्किटेक्चर एवं योजना पाठ्यक्रमों तथा इस तरह के संस्थानों में संचालित प्रबंधन कार्यक्रम की गुणवत्ता में अभिवृद्धि किये जाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके ।

अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला तथा योजना पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान, यदि प्रबंधन पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करते हों, तो उक्त पाठ्यक्रम का संबंधन भी प्रस्तावित विश्वविद्यालय के द्वारा किया जायेगा ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जैसे शीर्ष नियामक निकायों की बहुत सारी ऐसी योजनायें, जो शिक्षक एवं छात्र के अकादमिक विकास से संबंधित है, के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय की प्रत्यक्ष भूमिका है । इस दृष्टिकोण से प्रस्तावित विश्वविद्यालय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के साथ अन्य संबंधित विभाग, बिहार सरकार और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जैसे शीर्ष नियामक निकायों के साथ प्रभावकारी समन्वय का प्रावधान रखा गया है ।

प्रस्तावित बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के प्रमुख बिंदु :-

<u>अधिकारिता</u> : 1. विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य से होगा । 2. सरकार द्वारा स्थापित एवं राज्य के विद्यमान विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध या भविष्य में स्थापित होने वाले सभी अभियंत्रण महाविद्यालय एवं संस्था जो अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन कार्यक्रम जैसा कि अखिल भारतीय तकीनीकी शिक्षा परिषद् या अन्य शीर्ष नियामक निकाय द्वारा तकनीकी शिक्षा के रूप में परिभाषित है, के पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करने वाले हो, वे उस तिथि से जैसा कि सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे एवं उस रीति से जैसा कि एतद्सम्बन्धी परिनियम या विनियमावली में प्रावधानित हो,

विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता हेतु पात्र होंगे । 3. तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी कानून में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट महाविद्यालय अथवा संस्था जो अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी तथा वास्तुकला एवं योजना कार्यक्रम में शिक्षा प्रदान करते हैं तथा राज्य विधान मंडल के कानून द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं उस विश्वविद्यालय से जिससे ये महाविद्यालय अथवा सम्बद्ध रह चुके हैं, सम्बद्ध नहीं रह जायेंगे तथा ऐसे महाविद्यालय और संस्था इस विश्वविद्यालय से उस तिथि से सम्बद्ध समझे जायेंगे जो उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट हों । 4. विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और संस्थाओं पर ऐसी शर्त्तों और निबंधनों को अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक, अनुकूल अथवा आनुषंगिक समझे एवं तब सम्बद्धता प्रदान करेगा । 5. किसी न्यास अथवा सोसाइटी अथवा कंपनी द्वारा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन कार्यक्रम में शिक्षा देने वाली स्ववित्तपोषित संस्था के रूप में स्थापित विद्यमान महाविद्यालय अथवा संस्था इस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेंगे जो इस संबंध में बनाये गए परिनियम और विनियमावली में दी गयी शर्त्तों को पूरा करने के अधीन होगा ।

<u>नामांकन में आरक्षण</u> : बिहार राज्य अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु समय-समय पर लागू उर्ध्वाधर आरक्षण के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रत्येक संस्था एवं महाविद्यालय में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों का एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए क्षैतिज रूप में आरक्षित रहेंगी ।

<u>कुलाधिपति के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे</u> : 1. कुलपति, 2. डीन, 3. रजिस्ट्रार, 4. वित्त पदाधिकारी, 5. परीक्षा नियंत्रक, 6. पुस्तकालयाध्यक्ष, 7. ऐसे अन्य पदाधिकारी जिन्हें परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय का पदाधिकारी होना घोषित किया जाय ।

<u>कुलपति</u> : कुलपति अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले शिक्षाविद और प्रतिष्ठित विद्वान या एक प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकीविद् या अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की अकादमिक पृष्ठभूमि के साथ मानव संसाधन विकास में पर्याप्त अनुभव रखने वाले एक प्रशासक होंगे ।

<u>विश्वविद्यालय के प्राधिकार</u> : विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे -

1. सामान्य परिषद्, 2. कार्यकारिणी परिषद्, 3. शैक्षणिक परिषद्, 4. अध्ययन बोर्ड, 5. योजना बोर्ड, 6. संबद्धता बोर्ड, 7. वित्त समिति और 8. अन्य ऐसे प्राधिकार जो परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये जायें ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकार, अधिनियम और परिनियम के अनुरूप कार्य संचालन के लिए विनियम बना सकेंगे ।

सामान्य परिषद् : सामान्य परिषद् विश्वविद्यालय का पूर्ण प्राधिकरण होगा और समय-समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण और समीक्षा करेगा और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय तैयार करेगा और उसके पास तद्नुसार शक्तियाँ और कार्य भी होंगे । सामान्य परिषद् को विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न विषयों पर कतिपय शर्त्तों के साथ परिनियम बनाने की शक्ति रहेगी । कुलाधिपति सामान्य परिषद् के अध्यक्ष होंगे ।

कार्यकारिणी परिषद् : कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा । कुलपति कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष होंगे ।

अकादमिक परिषद : अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियम और विनियमों के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी । कुलपति अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष होंगे ।

योजना बोर्ड : योजना बोर्ड अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के विकास और संवृद्धि के लिए योजना तैयार करने हेतु प्रमुख निकाय होगा जिसकी अध्यक्षता कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

विभिन्न नियामक निकायों के साथ बेहतर समन्वय एवं शिक्षण तथा पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में अभिवृद्धि एवं परामर्श हेतु विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारों में निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना, निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना, निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना, निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान, पटना जैसे लब्धप्रतिष्ठित विद्वानों एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व भी रखा गया है ।

अत: मैं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को सदन द्वारा पारित किए जाने का अनुरोध करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-21/आजाद/28.07.2021

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब आप सबों की भावनाओं के अनुकूल एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी । उस चर्चा की समाप्ति तक सदन की अवधि बढ़ायी जाती है ।

(सदन की सहमति हुई)

माननीय सदस्यण, आप सब अवगत है कि दिनांक 23 मार्च, 2021 की घटना इस सदन के लिए जो घटित हुई, इससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ । लेकिन आपसी विमर्श से हम व्यवधान से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है । उस दिन की घटना के बाद आपके मन में बसे नकारात्मक भाव से मुक्त करने और सदन के वातावरण को एक बार फिर सकारात्मक बनाने के लिए अपने अभिनव विचारों को संयम के साथ हम रखकर हम नये लोगों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं । जो घटना घट गई, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई । इसके बाद ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा संकल्प तो हम ले ही सकते हैं, अपने आचरण व्यवहार को संयमित बना ही सकते हैं । वैसे भी इतिहास गवाह है कि अपनी गलतियों से सीख लेकर ही हम नया इतिहास गढ़ पाते हैं । आज फिर से सदन में आप सब ऐसा संदेश दें ताकि देश में यह गुंजामान हो सके कि लोकतंत्र की जननी बिहार में अपना गौरव को कायम करने की दिशा में नई मिशाल पेश की है और हर विवाद को अपने व्यवहार से, संवाद से हल करने में हम सक्षम हैं । अँधेरा को कोसने से बेहतर होगा कि एक दीया जलायें । आइए हम अपने संयम, अनुशासन और आचरण से बिहार में विकास का दीया जलायें और बिहार की गौरव की नई कहानी लिखने से हम सब अपनी रचनात्मक भूमिका निभायें ।

हम आग्रह करेंगे सभी से कि :-

कल न हम होंगे न गिला होगा,
सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा,

जो लम्हें हैं चलों हंसकर उसे बीता लें ,
न जाने कल जिन्दगी का क्या फैसला होगा ।

अब एक आग्रह रहेगा सभी माननीय सदस्यों से कि मुझे अन्दर से खुशी है कि सभी की सजगता, संवेदनशीलता जो चर्चा के लिए है । जब भी पार्टी के दल के नेता बोलें तो धैर्य से सुनें, पक्ष हो या विपक्ष हो, धैर्य से सुनें । नेता आपस में संवाद करेंगे, वार्तालाप करेंगे और हमलोग उसमें कुछ सीखने का प्रयास करें तो हम नेता, प्रतिपक्ष को कहेंगे कि अपनी बात को संयमित ढंग से रखें । समय 10 मिनट ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हम आसन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस सदन में बहस का मौका दिया । जहां सभी अपने दल के नेता अपनी-अपनी बातें रख सकते हैं । आज जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो कोई नेता विरोधी दल के नाते नहीं खड़ा हूँ, एक जनप्रतिनिधि के नाते खड़ा हुआ हूँ और जनप्रतिनिधि का मान-सम्मान बचा रहे, इसके लिए हम खड़े हैं महोदय । हम किस पार्टी से हैं, आप किस पार्टी के हैं, आप किस विचारधारा के हैं, कौन किस विचारधारा का है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अलग-अलग पार्टी, अलग-अलग रंग, अलग-अलग रूप के लोग जो है, इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं और जब यहां आते हैं तो हमलोग जनता से चुनकर के आते हैं, लाखों लोग हमको चुनकर भेजते हैं लेकिन वाकई में अगर बात की जाय उस काले दिन की घटना आपने देखी, हमने देखी, सबने देखी लेकिन वो कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गयी उस दिन और बिहार जो है महोदय वह लोकतंत्र की जननी है और जिस जिले से हम जीतते हैं वैशाली, वह लोकतंत्र की जननी रही है । हम हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे, जहां लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाय, उसकी हत्या कराने की कोशिश की जाय । विधायकों का मान-सम्मान बचा रहे और यह हम नहीं कहते महोदय, विधायक तो छोड़िए, मंत्रियों का मान-सम्मान नहीं रह गया है । सरकार के खुद यहां सहनी साहेब बैठे हैं, क्यूं इस्तीफा दिया था भईया, क्या कारण था इस्तीफा देने का । अधिकारी बिहार में पूरी तरह ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट सुन लीजिए । आप बैठ जाइए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सबों की सहमति बनी थी कि 23 मार्च को जो घटना हुई, उसके संदर्भ में अपनी-अपनी बातें लोग कहें तो मेरा आग्रह है आसन से भी और सभी माननीय

नेताओं से कि उसी पर सीमित रहें तो ज्यादा लगता है कि सार्थक बहस हो पायेगी, अन्यथा बहस कहीं न कहीं दूसरी ओर जायेगी तो विषय न आ पायेगा । इसलिए जिस विषय के लिए इतनी गंभीरता से आपने कार्य मंत्रणा की बैठक बुलायी और हम सब आपके आसन के निर्णय को हम सबों ने सम्मान किया तो एक बात आपलोग इंगित मत कीजिए, आसन हमको कहेगा । हम आसन के अनुमति से बोल रहे हैं, आसन कहेगा कि बैठ जाइए तो बैठ जायेंगे । लेकिन आपके कहने से हम नहीं बैठ जायेंगे । महोदय, यह गलत बात है न । आसन जब यहां पर है तो आप इंगित मत कीजिए । नये जो माननीय सदस्य हैं उनको यह बात जानना चाहिए। हमलोग इसी विषय पर रहें तो लगता है कि ज्यादा सार्थक बहस करके एक सकारात्मक एवं सुखद समाप्ति हो पायेगी इस बहस का, मेरा इतना ही आग्रह है ।

अध्यक्ष : आपका सकारात्मक विचार है । महबूब जी, आप बैठिए । जब नेता इधर हैं और उधर हैं । आप क्यों उठ गये हैं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, नेता, माले के जो हैं उनको बताना पड़ेगा, आपके आसन से उनको बताना चाहिए कि उँगली और हाथ कैसे चलाना चाहिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष । एक चीज मैं फिर आग्रह करूंगा एक मिनट, जिस विषय पर, जिस गंभीरता के साथ हमलोगों का सहमति बनी है, हम उस विषय की गंभीरता को क्योंकि बहुत अवसर आता है अपने विषय को रखने का, हमलोग विषय से विषयांतर न हो, जो एक विषय लिये हैं, उसी विषय को हमलोग रखें, क्योंकि आप नये लोगों के लिए ही नहीं, पुराने लोगों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकते हैं सभी लीडर ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, किसने कहा कि हम विषय पर नहीं बोल रहे हैं । यह हम और आप कौन तय करने वाले हैं, उप मुख्यमंत्री जी जनता को डिसाईड करने दीजिए न, जनता मालिक है लोकतंत्र में और अधिकारियों के कारण यह हुआ है महोदय, यही तो हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं ...

अध्यक्ष : नेता, प्रतिपक्ष आप आसन की ओर देखिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, जब मंत्री खुद कहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी हैं, मंत्री का नहीं सुनते हैं तो विधायकों का कहां से सुनेंगे, यह हकीकत है । पूरे बिहार में अफसरशाही है महोदय, हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं लेकिन कल ये दिन हम देखना पड़े कि जो घटना हुई, ठीक है जिसके भी इजाजत से हुई, हालांकि आप ही पर सारा चीज थोपा जायेगा महोदय, लेकिन आप कितना भी कहेंगे कि यह आपके आदेश से हुआ, लेकिन इसको तेजस्वी यादव मानने वाला

नहीं है, किसी और के आदेश पर करवाया गया है, किसी और के दबाव में करवाया गया है । .... क्रमशः ......

टर्न-22/शंभु/28.07.21

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : क्रमशः....कितना भी आसन कहेगा, आसन ऐसी गलती नहीं कर सकता, हमको विश्वास है कि अपने ही अपने ही बाल-बच्चों को पिटवाने का काम करे, यह नहीं हो सकता है महोदय । इसे मानने को हम तैयार ही नहीं हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी बात तो रखने दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये माननीय मंत्री जी, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : लोकतंत्र में बोलने दिया जाता है, विपक्ष को तो बोलने ही नहीं दिया जाता है । यह लोकतंत्र है सबको अपनी बात रखने का अधिकार है ।

(व्यवधान)

आप इतने अनुभवी हैं, गार्जिजन हैं ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, एक मिनट नेता प्रतिपक्ष । माननीय मंत्री जी, मौका दिये हैं नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं । सदन की ओर से संसदीय कार्य मंत्री या उप मुख्यमंत्री जी बोलेंगे । आप धैर्य से सुनिये । आपस में बाकी लोग उसमें पार्टिसिपेट- जब आसन अनुमति दे तभी कीजिए । ऐसा मत कीजिए । आप बैठिए, बिना अनुमति के नहीं बोलियेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय, हमने साफ कहा कि हम काले कानून के खिलाफ हैं और जनता ने हमें जनता के काम के लिए भेजा है और जनता काला कानून नहीं चाहती है । जनता को उम्मीद है विपक्ष से तो विपक्ष अपना काम कर रहा था, हम कानून का विरोध कर रहे थे न कि सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन अगर समस्या इतनी बढ़ गयी तो कई राज्यों में भी सरकारें हैं, केन्द्र में भी सरकार है । कई बार बुलाकर बात की जाती है, एक बार नहीं बात बनी तो दुबारे विपक्ष के लोग को बुलाते हैं, कमिटी में बिल को भेजा दिया जाता या मौनसून सत्र में भेज दिया जाता तो यह नौबत नहीं आती, लेकिन अगर कोई गलती लगी तो आप उस समय एक्शन ले ही सकते थे विधायकों पर, लेकिन यह कौन सी मजबूरी आ गयी कि भैय्या पुलिस बुलाकर बुट से पिटवाओ और माँ बहन की गाली

खिलवाओ । अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी आये थे, सादे लिबास में बाहर घूम रहे थे । हम तो नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन सत्ता आती जाती रहती है और कल को ऐसा न हो कि हमलोग उधर बैठ जाएं और यह परंपरा शुरू हो जाय, आप विरोध करें और हम गोली चलवा दें और मात्र दो सिपाही का निलंबन कर दें और निलंबन के बाद न आपको पता चलेगा न हमको पता चलेगा उस सिपाही का । यह आपके मान सम्मान की बात भी हम रख रहे हैं । अब तो फंड रहा नहीं आप लोगों के पास, रहा क्या मान सम्मान, अगर वह भी छिन जायेगा तो हम जनता को क्या मुंह दिखायेंगे । जनता कैसे उम्मीद करेगी कि हमारे विधायक के पास न मान सम्मान है, न फंड है तो क्यों जुड़ेगी आपसे ? जो मान सम्मान है इसकी रक्षा होनी चाहिए । महोदय, हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं लोग कहते थे कि भाई नीतीश कुमार जी से सीखिये । तब पूछते थे कि क्या सीखना चाहिए- धैर्य । हम लगातार कुछ सेशन देखते आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी का भी धैर्य खोता जा रहा है और जाहिर सी बात है 70 से कद 40 पर आ गया तो बार-बार धैर्य खोते ही रहेंगे । इसमें हमलोग यही चाहते हैं कि इसके कारण महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो कई विधायकों को पीटा गया, कई दलित विधायक हैं दिल्ली एम्स तक जाकर इलाज कराकर आये हैं । उनका ब्लड क्लोटिंग हुआ । अगर खुदा न खास्ते कुछ हो गया होता तो उसकी जवाबदेही कौन लेता । इसलिए हम सबलोगों को विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए और महोदय, सही कारण बतायें तो हमको जहां तक लगता है नाम हम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन कुछ लोगों के मन में टीस था, कुछ लोगों के मन में गुस्सा था वे मौका की तलाश में थे और उस दिन उनको मौका मिल गया । जाहिर सी बात है देखिए संख्या पर जाइयेगा तो इस बार पक्ष और विपक्ष में- विपक्ष अच्छी संख्या में है । हालांकि पिछले दरवाजे से सरकार बनी है उसपर हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है ।

(व्यवधान)

अरे, बोल लेंगे तब बाद में बोल लीजिएगा न ।

अध्यक्ष : प्रोसिडिंग में कोई भी असंसदीय शब्द नहीं जायेगा, बैठिए । कोई असंसदीय शब्द किसी का नहीं जायेगा यह पहले से निदेशित है । आप बैठिए । कौन इस तरह से हुहा कर रहे हैं, सदन से निकाल देंगे । एक चीज सुन लीजिए जब इतनी गंभीरता के साथ आप सब लोगों के विषय को लेकर हम सदन चलाना चाहते हैं और निदेशित बार-बार कर रहे हैं तो इस तरह से- आप विधायक हैं और लाखों लोगों के विश्वास को लेकर आाये हैं ऐसे शब्दों का उच्चारण मत कीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय, हम इतना कह रहे हैं कि इस बार सब लोग कह रहे हैं कि विपक्ष बड़ा मजबूत है, अच्छी संख्या है और यह सच्चाई है । संख्या में ज्यादा नहीं कुछ का ही अंतर है और अगर वोट में जाएं तो मात्र 12 हजार आपके गठबंधन और हमारे गठबंधन में अंतर है । आप अगर सोचते हैं कि जनता और जमात आपके साथ है तो इस गलतफहमी में मत रहिये, जनता और जमात हमारे साथ भी है । इसलिए महोदय, हम इतना कहना चाहते हैं कि हमलोगों ने विरोध क्यों किया ? बिना वारंट के पुलिस किसी को भी उठा लेगी, कुछ भी कर देगी और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा न कि बिहार में कानून का राज नहीं, पुलिस का राज है । अगर ऐसे कानून बन जाते हैं तो पुलिस कितनी गुंडागर्दी पर उतरेगी । यहां मांझी जी भी बैठे हैं बताइये शराबबन्दी हुई है, लेकिन गरीब दलितों को सताया जा रहा है कि नहीं सताया जा रहा है, वसूली की जा रही है कि नहीं की जा रही है ? पूरी तरीके से बतायें ये कि पुलिस कितनी बेइमानी कर रही है, घूसखोरी होता है, पुलिस कितना बड़ा घुसखोड़ होता है और इनको अगर गलत मिल जाय कानून बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के किसी के भी घर शक के आधार पर आपकी तलाशी ले, उठा ले तो भुक्तभोगी कौन होगा गरीब, पैसा वाला तो कहीं न कहीं से निकल जाता है, लेकिन मरता कौन है ? गरीब मरता है । शराब बन्दी हुई तो हमलोगों ने समर्थन किया, लेकिन आज कानून का क्या हो रहा है आप सबलोग देख रहे हैं, जान रहे हैं । इसलिए हमलोगों ने विरोध किया सरकार चाहती तो भैय्या बात कर लेते एमेन्डमेंट ले आते । कितना विधेयक अभी तीन विधेयक पास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसी विधेयक का हमलोग विरोध क्यों कर रहे थे क्योंकि वह जनहित में नहीं था । उससे पुलिस गुंडागर्दी बढ़ती इसलिए हमलोगों ने उस कानून का समर्थन नहीं किया था । लेकिन महोदय सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा हादसा हो जाता है और एक शब्द नहीं बोलते हैं विधायकों के पक्ष में और कौन थे वे अधिकारी, कौन वे एम0एल0सी0 थे सफेद दाढ़ी वाले, सफेद बाल वाले जो नालन्दा मॉडल वाले अधिकारी के साथ सांठगांठ करके विधायकों को चुनचुन कर ले जाकर के बाहर जाकर पिटवाने का काम कर रहे थे । कुछ लोग कहियेगा कि आसन पर हम चले गये तब हाऊस नहीं चल रहा था । हम देख रहे थे महिलाओं को घसीटकर ले जाया जा रहा था, साड़ी खुल रहा था हम जाकर देख रहे थे कि क्या हमारी महिला विधायक के साथ हो रहा है वही हम जाकर देख रहे थे और कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम आसन पर चढ़कर गुंडागर्दी कर रहे थे । यह नहीं होना चाहिए । आज मान सम्मान की बात है और इस लोकतंत्र के मंदिर को

हम नहीं बचायेंगे, डेमोक्रेसी को नहीं बचायेंगे तो तानाशाही नहीं चलनेवाली है । हिटलरशाही का क्या अंजाम हुआ सबलोग जानते हैं, लेकिन यह बिहार लोकतंत्र की जननी है इसके लिए चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो सभी माननीय सदस्यों को एकजुट होना पड़ेगा और उन अधिकारियों को दंडित कराना पड़ेगा जिन्होंने माथा फोड़वाने का काम किया, बाहर उठाकर फेंकने का काम किया । इसलिए हमको आसन पर भरोसा है आपने आचार कमिटी में भेजा है, लेकिन आप यह बताइये महोदय कि जो दो सिपाही सस्पेंड हुए- किसी सिपाही की हैसियत नहीं है कि वह विधायक को विधान सभा में गाली देकर के पीट सके, जरूर कोई न कोई आर्डर आया होगा, अगर आपका आर्डर गया होगा कि विधायकों को बाहर ले जाइये ताकि सदन की व्यवस्था बनी रहे, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं वह ठीक है, आपने आर्डर दिया ठीक है कि बाहर ले जाओ, लेकिन ये किसने आर्डर दिया कि विधायकों को गाली दो, जूते से मारो और बाहर ले जाकर फेंको । यह किसने आर्डर दिया । इसका जवाब हमलोग चाहते हैं । बहुत लोग कानून और नियमावली का हवाला देते रहेंगे, लेकिन जब मान सम्मान नहीं बचेगा तो किस बात का कानून, किस बात की नियमावली अगर ऐसी नियमावली है तो उस नियमावली को फेकिए और नया नियमावली बनाइये जहां आपके मान प्रतिष्ठा और सम्मान बचा रहे । महोदय, इसपर ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे और अगर आपको एक्शन लेना है, अगर आप चाहते हैं विधायकों पर भी एक्शन लें तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले पदाधिकारियों को दंडित करें ।

क्रमशः

टर्न-23/ज्योति/28-07-2021

क्रमशः

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : चाहे एस.पी., डी.एम. या पुलिस कमीश्नर या और होम सेक्रेट्री सब बैठे हों उन तक जॉच कर लीजिये । अगर आप चाहते हैं महोदय, विधायकों को तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी विधायक को दंडित मत कीजिये, हमको दंडित कीजिये लेकिन हमारे कोई विधाायक को दंडित नहीं कीजिये । यह मान सम्मान की बात है । ऐसे कैसे हो जायेगा कि आज विधान सभा में घुसकर आपलोगों को पीटेगा, कल यह परंपरा बन जायेगी । कल फिर विरोध करेंगे, अगले बिल का विरोध करेंगे तो फिर से हम लात घुस्सा खायेंगे और गोली खायेंगे । हमलोग संघर्ष करने वाले लोग हैं । जो सजा देना है, आपको देना है, आप दीजिये लेकिन हमको दीजिये । लेकिन साथ साथ उन अधिकारी को मत छोड़िये चाहे कितने फर्स्ट क्लास के अधिकारी हों, डी.

एम. हों, एस.पी. हों इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें आप पर भरोसा है, सदन चले । बाढ़ का मसला है, खेती का नुकसान हो गया, मजदूर, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, कोराना इतनी बड़ी महामारी चल रही है, सब पर हम लोगों को बहस करनी है । बिहार की उन्नति और तरक्की कैसे हो, इसपर हम लोगों को बात करनी है इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम हेलमेट लगाकर तो न आयें । काला पट्टी पहन कर तो विधायक नहीं आए । डरा और सहमा हुआ तो न आयें । अब कोई कहेगा तो कार्रवाई होगी तो दोनों तरफ होगी तो भईया – होगी तो होगी, हम जिम्मेदारी लेते हैं अपनी तरफ से, हम पर करे कार्रवाई लेकिन उन अधिकारी को कौन बचा रहा है भाई इसलिए हम तो सभी लोगों से हाथ जोड़कर चाहते हैं जितने भी माननीय सदस्य हैं जो सजा देना है हमको दीजिये लेकिन उन अधिकारियों को भी आपलोग मत छोड़िये नहीं तो आपकी मान प्रतिष्ठा नहीं रहेगी । इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं ।

अध्यक्ष : चलिए एक चीज माननीय सदस्य ।

''लम्हे फुर्सत की आए तो रंजिशें भूला देना,
लम्हे फुर्सत की आए तो रंजशे भुला देना,
किसी को नहीं खबर कि श्वासों की महल कहाँ तक है ।''

इसलिए थोड़ा सा हेल्दी माहौल में, तनावपूर्ण माहौल में नहीं, हेल्दी माहौल में अपनी बात को रखेंगे । माननीय श्री जीतन राम मांझी जी ।

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो घटना बिहार विधान सभा में घटी उसकी किसी भी प्रकार से प्रशंसा नहीं की जा सकती है, वह निंदनीय है । लेकिन विपक्ष के जो साथी हैं और पक्ष के साथी हैं, हम लगभग 36 वर्ष से बिहार विधान सभा के अनुभव के आधार पर आपसे कहते हैं कि एक बार जब स्वर्गीय और जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी विरोधी दल के नेता थे तो आज माननीय तेजस्वी जी हैं, उसी पर वो भी बैठे थे और किसी मुद्दा को लेकर काफी हंगामा हुआ । लोग वेल में भी आ गए थे । उस समय अध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ कि अब ये लोग नहीं मानेंगे इन लोगों को मार्शल आउट करो । उस समय बात सही है कि पुलिस नहीं बुलायी गयी थी । मार्शल ही अपना काम किए थे । तो हमने यह देखा कि एक अजीत सरकार के अलावे किसी माननीय सदस्य ने माननीय अध्यक्ष का जो आदेश था कि मार्शल आउट किया जाय, प्रतिकार नहीं किया । मार्शल आते गए उनके नजदीक और वो लोग सब अपना निकल गए यहाँ से । शांतिपूर्वक सब कुछ घट गयी । सारी बातें हो गयीं

लेकिन आज क्या हो रहा है ? आज हो रहा है कि हम कहे न कि 36 वर्ष का अनुभव है कि माननीय अध्यक्ष की कुर्सी पर जाकर कोई विपक्ष के लोग नहीं बैठे थे । यह बात है और यह घटना यहॉ घटी इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि विरोध करना विरोधी दल का फर्ज है लेकिन सारी जो मर्यादाएं है उन मर्यादाओं को जरुर ध्यान में रखा जाना चाहिए । हम नाम नहीं लेना चाहते हैं लेकिन दुख होता है इसलिए भी कि जो हमारी उम्र है और हम हो सकता है कि विधान सभा का यह लास्ट मेरा टेन्योर हो, समय हो लेकिन दर्द होता है कि एक तरफ कर्पूरी ठाकुर जी थे, रघुवंश बाबू थे, ये सब लोग जिसतरह से विरोध करते थे और आज का विरोध का जो तर्ज हम देखते हैं तो आकाश जमीन का फर्क होता है इसीलिए हम कहना चाहते हैं माननीय विरोधी दल के विधायकों को कि बात ऐसी होती है, वाक्य कैसा है जिसके तहत सारी बातें हम कह सकते हैं । हम अपना बल को जिसको मशल बल कहते हैं वही यूटिलाईज कर ले । हम बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, कुछ एब्सर्ड बातें करें यह हम नहीं समझते हैं कि उचित होगा और जहॉ तक पक्ष का सवाल है पक्ष में भी कुछ लोग ऐसे हैं एक दो आदमी जो थोड़ा मर्यादा से भी बाहर चले जाते हैं । हमारा कहना यही है कि आप निर्णय लीजिये । आपके सामने सारा उदाहरण पड़ा हुआ है लेकिन माननीय तेजस्वी जी का यह भी कहना कहॉ तक सत्य है कहॉ तक उचित होगा कि अगर मान लीजिये कि हम दोषी हों तो हमारे दोष के चलते तेजस्वी जी को दंड दिया जाय, यह क्या कहीं किसी कानून में है तो मेरा कहना है कि यह भी उनका कहना ऐसा न करें यह इनडायरेक्टली हम समझते हैं कि आसन को किसी न किसी रुप में थ्रेटनिंग देते हैं तो यह नहीं होना चाहिए । मेरा यही कहना है और हम कहना चाहेंगे हर हालत में संयम बना कर रखिये और विधान सभा की जो सैंक्टिटी है, उसको बना कर रखिये, यही मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया ।

अध्यक्ष : श्री अजीत शर्मा जी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, पहले के इतिहास को देखा जाय आसन पर बैठकर लोगों ने सदन चलाया है ।

अध्यक्ष : बैठ जाईये ।

श्री अजीत शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस चर्चा पर, 23 मार्च की घटना पर जो हमलोग आज चर्चा कर रहे हैं । उस दिन की घटना सभी माननीय विधायक जो यहॉ बैठे हैं सब के लिए शर्मशार करने की बात है लेकिन अभी मांझी साहेब

बहुत आदरणीय है और 36 साल से हैं । सी.सी.टी.वी. कैमरे का फुटेज देखियेगा जो नयी सदस्या और सदस्य थे वह जरुर मंच पर गये थे लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठे थे, कोई कुर्सी पर नहीं बैठा है । बिल्कुल सदन में कोई गलत चीज नहीं बोलना चाहिए । यह लोकतंत्र का ..

अध्यक्ष : बचौल जी बैठिये । आप माननीय सदस्य बीच में कोई नहीं बोलेंगे । जब बार बार आसन कह रहा है तो फिर शांति बनाये रखिये और आसन के आग्रह के बाद भी बोल रहे हैं माननीय सदस्य, वह उचित नहीं है । अभी बैठिए आप ।

श्री अजीत शर्मा : निश्चित तौर पर उस समय अध्यक्ष महोदय कुर्सी पर नहीं थे जो काला कानून बिल आया था जो जनता के हित में नहीं था । उसका विरोध करना हमारा कर्त्तव्य होता है, यह बात मानते हैं । लेकिन वह पहली बार जीते हुए विधायक थे और वह मां बहन के रुप में हैं और वह सम्मानित हैं । बिना मां बहन के कोई भी व्यक्ति बिना महिला के इस धरती पर नहीं हो सकता चाहे हम हों या कोई भी सदस्य हों इसलिए इनको सम्मान हमलोगों का पहला कर्त्तव्य है और यहीं से मैसेज जाता है कि महिलाओं को सम्मान नहीं करेंगे उनका रुप भगवती का रुप होता है सब लोग उनको प्रणाम करते हैं फिर भी उस दिन जो घटना घटी विपक्ष का काम है विरोध करना । जब घटना इतनी बढ़ गयी क्या संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी या माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को क्या सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठकर बात नहीं करनी चाहिए थी ? इतनी बड़ी शर्मशार करने वाली घटना हो रही थी उसके बाद भी बैठ कर बात नहीं किए । यह उनको करना चाहिए था ताकि हमलोगों को लगता कि आज सरकार भी इस काला कानून पर बहस करना चाहती है, हमसे बात करना चाहती है । ठीक है विपक्ष बहुत बार हुआ है जब आपलोग भी विपक्ष में थे । मैंने देखा है इसी विधान सभा में आप लोग भी किस तरह से हल्ला करते थे । वह विपक्ष का काम है करना लेकिन बैठ कर काम होता तो अच्छा होता और सदन की गरिमा बढ़ती फिर भी जो कुछ हुआ उस दिन । घटना बहुत शर्मशार हैं चर्चाएं होती है । आपको एक बात बता दें कि जिसतरह से माननीय विधायक को जनता चुन कर भेजती है ।

क्रमशः

टर्न-24/पुलकित-अभिनीत/28.07.2021

क्रमशः

श्री अजीत शर्मा : अगर किसी भी विधायक को कोई पुलिस लाठी मारता है तो सिर्फ विधायकों को नहीं पीटता है पूरी बिहार की जनता को पीटता है यह बिहार को बहुत ही शर्मसार करने वाला है, इसलिए इस पर बहुत ही गंभीरता से, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो उसको सोचना पड़ेगा । चूंकि सभी विधायक चुनकर आते हैं और किसी को भी लाठी लगे, उसे जूता से पीटा जाय बिल्कुल यह कभी नहीं होना चाहिये, नहीं तो इतिहास हमलोगों को, किसी भी विधायक को, किसी भी मंत्री को, किसी को माफ नहीं करेगी । जनता पूछेगी कि आपलोगों ने उसके लिए क्या किया, यह आपलोगों को, सबको सोचना होगा । सर, गलतियां हुई हैं हम मानते हैं लेकिन कार्रवाई सही होनी चाहिये चूंकि जनता बिहार की, पूरे देश की देख रही है । जो महिलाएं गयी हैं मंच पर हम मानते हैं कि उनको खेद प्रकट करना चाहिये लेकिन जो पुलिसकर्मी जिस तरह से माननीय विधायकों को उछाल कर पीटे हैं उस पर कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई सरकार को भी करनी चाहिये और हम आसन से, माननीय अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह करेंगे कि आपको निर्देशित करना चाहिये कि फ्यूचर में ऐसी परिपाटी न बने कि कभी आप विपक्ष में रहें और हम सत्ता में रहें तो हम भी वही काम बदला लेने की भावना से करें, यह परिपाटी पूरे बिहार के लिए, पूरी जनता के लिए अच्छा नहीं है । इसलिए हम आग्रह करेंगे, आसन पर मुझे विश्वास है और आपको मैं बहुत दिनों से जानता हूँ कि आप न्याय करेंगे बिहार की जनता के हित में, विधायकों के सम्मान के लिए पूरे सम्मान के साथ हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब विराम करते हैं चूंकि समय बहुत हो गया है । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं । अनुमति नहीं है बैठिए ।

श्री अखतरूल ईमान ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जो घटना घटी है उससे मैं समझता हूँ कि पक्ष और विपक्ष दोनों लोग शर्मिंदा हैं और सिर्फ हम ही सदन के लोग शर्मिन्दा नहीं हैं, आसन की इज्जत करना, आसन के आदेश का पालन करना हमारा परम दायित्व है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सदन किस से है, आदमी उसी वक्त आदमी है जब उसके शरीर में आत्मा है और आत्मा शरीर से निकल जाय तो फिर वह लाश है इंसान नहीं है, यह सदन उसी वक्त तक सदन है जब यहां विधायक हैं और जब विधायक यहां नहीं हैं तो फिर इस सदन का कोई औचित्य नहीं है और फिर कोई आसन भी नहीं है । इसलिए विधायकों के मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और सबसे ज्यादा मर्माहत आप

होंगे, क्योंकि आप कस्टोडियन हैं, हमारे गार्जियन हैं । रिश्तेदारों को, बच्चों को, क्षेत्रवासियों को फख्र होता है कि हमारा नेता जीता है । अपने नेता का नाम लेकर वह शहर में हो प्रदेश में हो फख्र करता है, लेकिन पिछले दिनों में बिहार के विधायकों की पीटाई देख कर बेटा अपने बाप का नाम लेते हुए शर्माया है, पड़ोसी अपने पड़ोसी को पहचानने से शर्माया है कि वह विधायक मेरे क्षेत्र का नहीं दूसरे क्षेत्र का विधायक होगा । कैसी हालत हमने देखी, मैं समझता हूँ महोदय, मैं आसन को मशवरा देने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी सारी दिक्कतें इसलिए हैं कि हमलोगों ने लकीर का फकीर अपने को बना लिया है । चार करोड़ का बिहार, ढाई करोड़ का बिहार और बारह करोड़ के बिहार में हम फर्क महसूस नहीं कर पा रहे हैं । समस्याएं बढ़ी हैं, विभाग बढ़े हैं, इसलिए सदन का समय बढ़ना चाहिये । सदन का समय नहीं बढ़ने के कारण ये सारी दिक्कतें आ रही हैं ।

महोदय, हमने देखा है और आपने भी अपने बच्चों के हाथ से कभी-कभी बच्चे ने जब चाकू पकड़ लिया है तो चाकू अगर यूं ही छीनने की कोशिश की है तो बच्चों की उंगलियां कट गयी हैं, लेकिन जब मां ने चाकू पकड़े हुए बच्चों के हाथों में खिलौना पकड़ा दिया है तो चाकू वाला हाथ उनका ढीला हो गया है और चाकू को छोड़ दिया है । मैं समझता हूं कि इस क्रायसिस से निपटने के लिए हमारे पास एक मौका था और आप सर्वोपरि हैं और आप कह सकते थे कि ठीक है सदन को दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए, उबलते हुए पानी में चेहरा नजर नहीं आता, रोष और आक्रोश में सच्चाई दब जाती है, अगर आपने समय दे दिया होता, समय बढ़ा दिया होता तो शायद यह स्थिति पैदा नहीं हो सकती थी मैं मशवरे के तौर पर कह रहा हूं । मैं आखिर में कहूंगा कि इस बात को लेकर बहुत दिनों तक, प्रेम किसी से कितना भी हो हम मुर्दे को अपने घर में नहीं रख सकते उसे दफनाने में ही भलाई हमारी है, इसलिए उसे दफनाने का उपाय होना चाहिये, क्योंकि सत्ता पक्ष में जो लोग होते हैं, कहा किसी कवि ने कि

''फलदार ही के दरख में होती है पत्थरों की चोट,
न हो जिसको यह हौसला वो बेसमर रहे।''

यानी फल नहीं आयेगा, जिनके गोद में बच्चे होते हैं उस महिला का आंचल गंदा होता है । जो नि:संतान होती है उसके गोद को कोई गंदा नहीं करता । सत्ता पक्ष को चाहिये कि अपना बड़ा उदार दिल करे और मैं विपक्ष के लोगों को भी कहूंगा कि माफ करना बड़प्पन है और दूसरों की गलतियों को भी माफ करना यह भी बहुत बड़ा अजीम कारनामा है तो हम इनको मिटायें । आखिर में एक बात कह कर जाउंगा कि वक्त सबसे बड़ा मुनसफ हुआ करता है । अगर हमने पुलिस

के उन बिगड़े हुए अफसरों की खैरियत नहीं ली, यकीनन यह कभी आपने नहीं कहा होगा कि आप विधायकों को पीटो, मैं सरकार को भी नहीं कहूंगा कि सरकार का कोई मंत्री कहेगा कि विधायकों को पीटो, नहीं, वो कहाजदा हां कहा तो हुलकुम पकड़ लिया । थोड़ा सा उनको कहा कि क्रायसिस को मेनटेन करो, मार्शल को मदद करो तो मार्शल को मदद करने के बजाय जो पुलिस और नेता के दरम्यान दुश्मनी है तो पुलिस ने उसको मौका माना । महोदय, महिला के साथ जो हुआ है तो मैं समझता हूं कि वह खेद का विषय है, पूरे सदन को खेद व्यक्त करना चाहिये । मैं समझता हूं कि पूरे सदन को खेद व्यक्त करना चाहिए और उस मुर्दे को दफना देना चाहिए और हमारे सीनियर्स जो फैसला करें हम सबको सहमत होना चाहिये । आपका निर्णय आखिरी निर्णय होगा अपने दिल की भड़ास को सबलोग मिटा लें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री महबूब आलम : महोदय, बहुत तकलीफ के साथ दर्द और पीड़ा का अहसास करते हुए मैं आपके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं कि पिछले दिनों जो शर्मनाक घटना हुई, लोकतंत्र की हत्या हुई, लोकतंत्र के मंदिर में विधायकों की पिटाई हुई, पिटाई ही नहीं महोदय, विधायकों को बाहर निकालने के आदेश का पालन होने के बावजूद भी बूट की ठोकरों से विधायकों का अपमान किया गया । इतना ही नहीं, हमारी महिला विधायकों का चीरहरण तक की कोशिश की गई । महोदय....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखें ।

श्री महबूब आलम : देखिये । महोदय । शांति बनाये रखें ।

अध्यक्ष : महबूब साहब । माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखें । माननीय सदस्यगण, अपने सदन की गरिमा बढ़ायें ।

श्री महबूब आलम : महोदय, सत्ता पक्ष व्यवधान पैदा कर रहे हैं । हम मानते हैं कि सत्ता पक्ष...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्री महबूब आलम : सत्ता पक्ष की एक धारा लोकतंत्र के खिलाफ, एक साजिश के तहत फांसी स्टेट निर्माण करने की प्रक्रिया में है, लेकिन निश्चित रूप से महोदय, हम मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की वह धारा नहीं है । हमने सर्वदलीय बैठक में सुना है हमारे वरिष्ठ मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद जी ने तीन-तीन बार खेद व्यक्त किया है । सरकार खेद व्यक्त करती है, सरकार खेद व्यक्त करती है । लेकिन हम तो इतना ही चाहते हैं महोदय कि सरकार बंद कोठरी में जो खेद व्यक्त करती है ।

जिस सदन के अंदर विधायकों का अपमान हुआ, अगर वहां खेद व्यक्त करे, हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं तो क्या दिक्कत आती ? हमलोग चाहते हैं .....

अध्यक्ष : आप खेद व्यक्त कर रहे हैं ?

श्री महबूब आलम : महोदय, हम चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी, बेरोजगारी, मौत के आंकड़ों का झूठा आंकड़ा, इसका मुआवजा देने की जो जिम्मेदारी हमारे उपर है, 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व हम करते हैं । महोदय, हम कोई फर्जी विधायक बनकर नहीं आये हैं और सत्ता को यह समझ होनी चाहिए कि प्रतिपक्ष के लोग भी यहां एक निर्णायक भूमिका में है । हम हर विधेयक का सांकेतिक विरोध करते हैं । महोदय, हां और ना हल्का फुल्का में, लेकिन जिस तरह से बिहार सशस्त्र पुलिस बल के खतरनाक मनसूबों को हमने महसूस किया है । महोदय, हमारा धर्म बनता है, जोरदार ढंग से, निर्णायक ढंग से विरोध करना, सिर्फ सांकेतिक विरोध करना नहीं । महोदय, क्योंकि जब हम सड़कों पर जाते हैं, रेल में सफर करते हैं, जब कानून व्यवस्था का सवाल आता है, हमारी बॉडी की जब जांच करने की बात होती है महोदय तो हम अपने को समर्पित करते हैं, इसलिए कि पदाधिकारी बोलते हैं कि सर कानून तो आप ही लोगों ने बनाया है और निश्चित रूप से महोदय उस वक्त हम इंकार नहीं करते कि कानून बनाने में हमारी भागीदारी नहीं थी ।

अध्यक्ष : कनक्लूड कर लीजिये ।

श्री महबूब आलम : बिल्कुल महोदय, कानून बनाने में हमारी भागीदारी है, लेकिन जिस कानून को हमने महसूस किया कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा है, जनतंत्र को खतरा है, हमारी निजता को खतरा है, हमारे अपमान और बिहार की पूरी जनता अगर हमसे सवाल करेगी तो निर्णायक रूप से विरोध करने का हमने रास्ता लोकतांत्रिक रूप से अख्तियार किया है।

अध्यक्ष : ठीक है ।

टर्न-25/हेमंत-धिरेन्द्र/27.07.2021

श्री महबूब आलम : यह तो तय है यह हमारा गुनाह है और महोदय, आपने इससे पहले भी, इससे पिछले सदन में भी महोदय, आज आसन में है महोदय पिछले सदन में हमलोगों ने इसी राजनीतिक टेबल पर चढ़कर विरोध किया है सत्ता का । यही सत्ता में थे महोदय, जो दलित और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का जो उन्मूलन हुआ है

उसका विरोध हमलोगों ने किया है, महोदय और जैसे ही हम बाहर फेंक दिये जाते हैं महोदय, तब तो फिर हमारी गरिमा, ये भी एक.....

अध्यक्ष : अब हो गया, बैठ जाइये ।

श्री महबूब आलम : एक खूबसूरत आचरण है महोदय, हमको टांग कर, हम इसका रिस्पॉन्स चाहते हैं महोदय । अखबारों में छपता है कि हमको टांग कर निकाल कर फेंक दिया । महोदय, हमको टांग कर, निकाल कर फेंक ही नहीं दिया बूट के ठोकर से मारा गया और वह पदाधिकारी अभी भी चिन्हित नहीं है । उस पदाधिकारी को चिन्हित कर के उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, महोदय । खेद हम क्या व्यक्त करें ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, हम तो दर्द से पीड़ित हैं, हम तो आहत हैं । हमारे महोदय एक शायरी बोल रहे थे, हम फरमाना चाहेंगे-

कल हम नहीं होंगे लेकिन सदन का वजूद रहेगा ।
यादों की बारात में इस अपमान का दर्द रहेगा ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री महबूब आलम : इसी के साथ हम चाहते हैं, आप पर पूरा भरोसा है और विश्वास है । सत्ता के कुछ लोगों की लगातार नाकाम कोशिशों के बावजूद भी आपने जो इस विषय पर....

अध्यक्ष : बैठ जाइये । श्रीमती स्वर्णा सिंह ।

श्री महबूब आलम : चर्चा का अधिकार दिया, महोदय । इसके लिए हमलोग सम्मान व्यक्त करते हैं । महोदय, निश्चित रूप से सत्ता पक्ष ताकत के बल पर, लाठी के बल पर हमारी आवाज को दबाने की ही नहीं कोशिश की, पूरे सदन को शर्मसार किया है, महोदय ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये, महबूब जी ।

(व्यवधान)

महबूब जी, बैठ जाइये । बैठ जाइये ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह पहला सेशन था । हम जैसे 105 विधायकों का नया सेशन था, जिनका अनुभव मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा रहा इस बार । तो मैं यह चाहती हूँ जो घटना हुई थी, वह बहुत दुखद थी । मैं बस दो लाइन ही बोलूंगी कि आपलोग सब भूल कर और जो नये 100 विधायक आये हैं, उनको भी मौका दीजिये क्योंकि आने वाली पीढ़ी में वही आगे बढ़ेंगे, तो उनको भी अच्छा अनुभव दीजिये और जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको सिखाइये कि यह सेशन कैसे चलता

है ताकि उनका अच्छा एक्सपीरियंस हो । मैं ज्यादा नहीं बालूंगी, बस मेरा यही है कि जो सीनियर्स हैं, वे नये जितने भी विधायक हैं, उनको सिखायें ताकि आगे यह सत्र शांतिपूर्ण चलता रहे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । श्री अजय कुमार ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, 23 मार्च शहीद-ए-आजम भगत सिंह की शहादत दिवस के दिन जो सदन के अंदर घटना घटी, उसके कारण को पहले देखना चाहिए । मैं समझता हूँ कि बिहार सैन्य अधिनियम को लाया जा रहा था और उसके जो मुद्दे थे, उस पर विपक्ष की असहमति कुछ बिन्दु पर होनी लाजमी थी, चूंकि हम यहां बैठकर सिर्फ हाथ उठाने के लिए नहीं आते हैं । हम जब यहां आते हैं तो जनता की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आते हैं और उस अधिनियम में जो तीन-चार बातें थीं, उसमें बिना किसी निर्देश के किसी को पकड़ लेना, बिना किसी वारंट के किसी को सर्च कर लेना और सबसे गंभीर बात उसमें जो था कि हाजत के अंदर भी किसी की पिटाई हो तो आप उस पर कोई प्रतिकार नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते । तो इसके खिलाफ में आवाज उठाना और अपनी बात को रखना, हम समझते हैं कि वह लाजमी था और उस आवाज को उठाया जा रहा था । कई जो पुराने सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं जो 36 साल के अनुभव को ले कर, उन्होंने बताया कि कैसे जब मसले आते थे तो उसका निदान किया जाता था । सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के पास जा कर, बैठकर बात करते थे तो वह किया जा सकता था । लेकिन मैं समझता हूँ कि चूक हुई है और चूक जो हुई है तो हाउस को एडजर्न कर देना था । उसके बाद उस समय आप एक समय लेकर आप बात कर सकते थे, प्रवर समिति को सौंप सकते थे लेकिन यह न कर, जो विपक्ष की आवाज थी उसको दबाने की कोशिश हुई, मैं इसके खिलाफ में उस दिन भी था और मैं आज भी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सत्ता पक्ष को और गंभीरता से सोचना चाहिए कि इस हाउस को आप विपक्ष के बिना चलाइयेगा तो जब भी वॉक-आउट हुआ है, तो यहां पर हाउस किस तरह चल रहा होगा, वह खुद ही आप जानते हैं । इसीलिए, मेरा साफ तौर पर कहना है कि एक-दो बातें जो लायी गई हैं, मैं सम्मान करता हूँ मांझी जी का । वह कहां से लाये, आसन पर कोई जाकर नहीं बैठा था, आप किसी फुटेज को देख लीजिये, मैं पूरी जिम्मेदारीपूर्वक कह रहा हूँ तो फिर आसन पर किसी को बैठने की बात कहां से लायी गई है । यह गलत आरोप विपक्ष के ऊपर नहीं देना चाहिए और मांझी जी जब बोल रहे थे तो मैं उनसे उम्मीद यह कर रहा था.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त कीजिये ।

श्री अजय कुमार : मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ, लेकिन डिस्टर्ब भी कर रही हैं । मैं यह कहना चाहता हूँ कि विधायकों के साथ जो घटना घटी ठीक है, पुलिस बुलाई गई, पुलिस को आपने भेजा लेकिन आसन के द्वारा यह नहीं कहा गया होगा कि विधायक को बाहर ले जा कर बूट से रौंदा जाय । किसकी ताकत पर उसने बूट से रौंदने की कोशिश की है चिन्हित किया जाय । वह कौन अख्तर है, जिस अखतर के कहने पर विधायकों को बूट से पीटा गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूँ और कार्रवाई के लिए विचार करना चाहिए, मैं आसन से यह मांग करता हूँ और साथ ही मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह के गंभीर मसले हों तो सत्ता पक्ष को थोड़ा उदार होना चाहिए । विजय बाबू अक्सर हमलोगों को बोलते हैं क्या हालचाल है, कैसा हालचाल है, सब चीज ठीक है, व्यक्तिगत कुछ बात होती है तो फोन भी करते हैं, श्रवण बाबू भी फोन करते हैं लेकिन जब इतना बड़ी सामूहिक बातें हो रही थीं, इतना बड़ा मसला था तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए और इस पूरे घटनाक्रम के लिए सदन के नेता को माफी मांगनी चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री राम रतन सिंह ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये । आप बिना अनुमति के खड़े हो गए, बैठिये । बोलिये, श्री राम रतन सिंह जी।

(व्यवधान)

शांति बनाये रखिये ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, 23 मार्च ऐतिहासिक दिवस के अवसर पर बिहार विधान सभा के अंदर जिस तरह की घटना घटी....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये । बोलिये, श्री राम रतन सिंह जी ।

श्री राम रतन सिंह : हम तमाम माननीय सदस्य काफी दुख व्यक्त पिछले दिनों भी किये हैं और आज भी उसी तकलीफ को व्यक्त करने के लिए बारी-बारी से हमलोग अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख की घटना के बारे में ढेर सारी बातों की चर्चा हुई है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें सदन को चलाने में हम तमाम लोगों की, हम तमाम माननीय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हम तमाम लोग पिछले दिनों आसन को सहयोग करते रहे हैं और मेरा यह कमिटमेंट है कि आने वाले दिनों में भी हम विधान सभा के अंदर आसन का

जो भी आदेश होगा उस आलोक में निश्चित रूप से हम उसको मानते हुए सदन को चलने और चलाने में पूरा सहयोग करेंगे लेकिन हमारी राय यह है कि माननीय विधायकों के साथ जिस तरह की घटना हुई यह न केवल विधायकों के लिए बल्कि बिहार की 12 करोड़ जनता के साथ यह एक तरह से समझा जाय तो उनके साथ यह सबसे दुखद घटना हुई है । मैं इतना ही केवल कहना चाहूँगा कि अगर जिस बिल के विरोध में विपक्ष के लोग अपनी बातों को रख रहे थे

क्रमशः

टर्न-26/संगीता-सुरज/28.07.21

(क्रमशः)

श्री राम रतन सिंह : जिस तरह से विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास पदाधिकारियों के द्वारा किया गया, मैं समझता हूं कि वैसे तमाम पदाधिकारियों को चिन्हित करके आदेश जहां से भी मिला हो इसकी भी जानकारी लेने की जरूरत है और वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित करके दंडित करने की जरूरत है अन्यथा आने वाले दिनों में विधायकों का जो मान-सम्मान है उस पर बहुत बड़ा ठेस इस घटना की वजह से पहुंचा है । मैं समझता हूं कि यह केवल विपक्ष का सवाल नहीं है, यह सत्ता और विपक्ष दोनों के जो माननीय सदस्य हैं सबके लिए यह विचार का विषय है इसलिए गंभीरता से इस पर विचार होना चाहिए और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई उस दिशा में करने की जरूरत है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री राम रतन सिंह : एक बात और कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मांझी जी ने जिस बात को कहा कि अध्यक्ष महोदय के आसन पर, कुर्सी पर लोग जाकर बैठ गए मैं समझता हूं कि वह सही बात नहीं है । मैं शुरू से लेकर अंत तक इस बीच में यहां मौजूद था ऐसी कोई घटना नहीं घटी । महिला सदस्या वहां जरूर मौजूद थीं बगल में लेकिन कुर्सी को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया...

अध्यक्ष : अच्छा ठीक है अब बैठ जाइये । माननीय श्री नंद किशोर यादव जी ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, कितने गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है आपके पहल पर । आप समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन माननीय मुख्यमंत्री सदन नेता हैं और इतने गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है । माननीय मुख्यमंत्री जी रहते तो बहुत अच्छा होता । माननीय मुख्यमंत्री जी से हमलोग अनुरोध करते और जवाब भी उन्हीं के माध्यम से आता । महोदय, ये सदन की एक उच्च परंपरा होती ।

अध्यक्ष : अच्छा ठीक है । माननीय नन्द किशोर यादव जी ।

श्री नन्द किशोर यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमलोग जिस घटना पर आज चर्चा कर रहे हैं क्यों चर्चा कर रहे हैं बात मेरी समझ में नहीं आ रही है । महोदय, जो घटना घटी वह दुखद है कोई दो मत नहीं है लेकिन यह भी सच है कि उस घटना के बाद आपके द्वारा आदेश जारी किया गया, आचार समिति बनी, आचार समिति को मामले सुपुर्द किए गए, प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए तो सबकी रिपोर्ट आए बिना इस पर चर्चा करने का औचित्य मेरी समझ से परे है फिर भी जब आपने निर्णय लिया है और आपके निर्णय के आलोक में जब चर्चा हो रही है तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूं । महोदय, बार-बार चर्चा हो रही है काला कानून, काला कानून, काला बिल, काला बिल । कभी-कभी मुझे हंसी आती है महोदय 36 साल का तो मुझे अनुभव नहीं है केवल 26 साल का अनुभव है 10 साल उनसे कम है । महोदय, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र का यह मंदिर है और लोकतंत्र का तकाजा क्या है । हमारे भारत के संविधान में लिखा क्या है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में बहुमत से फैसला होगा, सर्वसम्मत नहीं है अगर मतभेद होते हैं किसी विषय पर तो बहुमत से फैसला होगा और बहुमत चाहे एक वोट का हो या 100 वोट का, बहुमत बहुमत होता है । बार बार क्यों कहा जाता है कि आपने चोर दरवाजे से सरकार हासिल कर लिया है । केवल इसलिए महोदय कि लोगों ने मान लिया था कि मुख्यमंत्री बन जायेंगे, बन नहीं पाए, दर्द आज तक छुपा नहीं पा रहे हैं प्रकट कर रहे हैं । महोदय, जिस कानून की चर्चा की जा रही है, उस कानून को बने हुए कितने महीने हो गए, चार महीने हो गए । एक घटना बता सकते हैं आप उस कानून के दुरुपयोग का...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह उचित नहीं है । बैठिए । ये उचित नहीं है । बैठ जाइये सब लोग ।

(व्यवधान)

श्री नन्द किशोर यादव : आपकी बात हम बड़े गौर से सुन रहे थे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ये उचित नहीं है । शांति से सुनिए । आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो और धैर्य रखना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, एक घटना नहीं घटी, इसकी शिकायत नहीं आई लेकिन चूंकि लोग चाहते थे इस कानून का लाभ कैसे लिया जाय । महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष यहां नहीं हैं, उनके बड़े भाई हैं । इनको नहीं याद होगा चूंकि थे ही नहीं

वे उस समय । मैं यह बात मजाक में नहीं कह रहा हूं गंभीरता से कह रहा हूं । हमलोग उनके पिताजी के साथ आंदोलन में थे । महोदय, मुझे आज भी याद है मैं छात्र समिति का अध्यक्ष था लालू जी हम सबके नेता थे, सुशील मोदी जी थे, नरेंद्र भाई थे सब लोग नेता थे । महोदय, तय होता था कब लाठी चलवाना है और उसके हिसाब से लोग रणनीति बनाते थे और उस रणनीति को सफल करते थे पुलिस लाठी चलाती थी । महोदय, मुझे पूरा अंदेशा है कि उस कानून को जब यहां बिल को पेश किया गया तो उस बिल के माध्यम से कैसे ऐसी स्थिति पैदा की जाय ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके मुझे इसकी पूरी आशंका है । महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे मैं पुलिस के किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं कर रहा हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कई पुराने लोग बैठे हुए हैं दूबे जी बैठे हुए हैं और सब लोग बैठे हुए हैं और महोदय, मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि मैं वहां भी बैठा हूं जहां नेता प्रतिपक्ष आज बैठे हैं मैं वहां भी बैठा हूं और मैंने भी कई बार वेल में आने का काम किया है और याद होगा जब नेता प्रतिपक्ष यहां उपमुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे मैं तो सो गया था यहां तीन-चार घंटे तक बैठा रहा यहां वेल में, स्वाभाविक है । विपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है । विपक्ष को सरकार के किसी प्रस्ताव से असहमत होने का पूरा अधिकार है और असहमति के सवाल पर अपनी बात पुरजोर ढंग से कहने का भी पूरा अधिकार है । तल्खी हो न हो यह अलग विषय है लेकिन उनको इस बात का अधिकार है लेकिन क्या किसी माननीय सदस्य को चौधरी जी बतायें हमें कि क्या किसी माननीय सदस्य को इस बात का अधिकार है कि उपमुख्यमंत्री जी के हाथ से कागज का पन्ना फाड़कर फेंक दे यह अधिकार है किसी को कैसे हो सकता है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठीक है । सुन लीजिए ।

श्री नन्द किशोर यादव : आलोक जी बैठिये...

अध्यक्ष : मेहता जी एक बार सुनें । इनकी भी बात सुनी गई है ।

श्री नन्द किशोर यादव : सही सिद्ध नहीं कर सकते हैं आप चाहे कोई करे । अगर मैंने भी कभी किया होगा तो गलत है गलत गलत है चाहे कोई भी करे । महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं उस कानून के विरोध के स्वर में जिस प्रकार की स्थिति यहां पैदा हो गई मेरा तो मानना है अगर आपने हस्तक्षेप नहीं किया आपको बंद कर दिया गया, आपको निकल कर आने नहीं दिया गया, आप कोई कोशिश करते ऐसी कोई स्थिति पैदा होने नहीं दी गई...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये सुरेन्द्र जी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री नन्द किशोर यादव : बैठ जाइये । दिया था, मैं कह रहा हूं मैंने दिया था लेकिन...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य शांति बनाए रखिए और सुनिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : संयमित होकर धैर्य से सुनिए विषय को ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, जिस प्रकार से टेबुल तोड़ा गया, चीजें तोड़ी गईं, कोई अच्छी बात है क्या, कोई ठीक बात है क्या ? क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई ? महोदय, मेरा तो मानना है कि अगर सत्तारूढ़ पक्ष के लोग अगर संयम नहीं रखते तो महोदय कितने लोगों का ये खून कर देते कोई भरोसा नहीं जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, हम डर गए थे महोदय । ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : धैर्य से सुनिए...

(व्यवधान)

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, याद करिए आप । आपके जाने के बाद...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए, बैठ जाइये ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, आपके जाने के बाद जब श्री प्रेम कुमार जी वहां बैठे थे आसन पर, क्या घटना घटी उनके साथ कैसे उनके हाथ से कागज छीना गया, कैसी स्थिति पैदा की गई महोदय क्या नहीं हो सकता था । लेकिन महोदय...

(व्यवधान)

टर्न-27/राहुल/28.07.2021

अध्यक्ष : बाकी लोग मत बोलें, ये बोल रहे हैं ।

श्री नन्द किशोर यादव : मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं । महोदय, कुछ अच्छी बातें यहां पर चर्चा में आईं । मेरे पुराने मित्र बैठे हैं वे कह रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि गलती को माफ करना बड़प्पन है, बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको स्वीकार करता हूं लेकिन गलती तो स्वीकार करो, कोई कहो कि यह गलती हो गई, माफ

कर दो, कोई तो कहो, महोदय, कोई कहने वाला नहीं है, कोई कहता नहीं है, महोदय, कोई नहीं कहता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शांति से सुनिये, क्यों बोल रहे हैं, भाई । शांति से सुनिये ।

(व्यवधान)

श्री नन्द किशोर यादव : अरे, कोई तो माने गलती हो गई ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये । अब बोल रहे हैं बैठ जाइये ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : महोदय, माननीय नन्द किशोर बाबू पुराने सदस्य हैं, इनके साथ मैं भी सदन का सदस्य रहा हूं । मैं कहना चाहता हूं कि चाहे सत्तापक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, हम दोनों आपस में भाई हैं ।

अध्यक्ष : चलिए, बहुत अच्छी बात है ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : महोदय, किसी भी कीमत पर किसी का खून कभी नहीं हो सकता है, ऐसा किसी के मन में गलत भावना नहीं है ।

अध्यक्ष : बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है । सकारात्मक बात करें, चलिए ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, सच कहें कि नहीं कहें ?

अध्यक्ष : अच्छी बात बोले हैं ।

श्री नन्द किशोर यादव : सच बोलें कि नहीं बोलें ?

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मेरा प्रारम्भ का शुरू का जो 10 साल था वर्ष -1995 से 2005 तक, वहां पर बैठने का अवसर मुझे मिलता था । महोदय, उस समय सत्तारूढ़ दल में आर0जे0डी0 के लोग बैठा करते थे । उसके बाद के कालखंड में मैं यहां बैठा । महोदय, फिर ढाई साल में वहां चला गया तो महोदय, आने-जाने का क्रम होता रहा । महोदय, हर समय हंगामा हुआ, हर समय हंगामा हुआ । हम वहां बैठे तब भी हुआ, यहां बैठे तब भी हुआ, लेकिन महोदय, आश्चर्य की बात यह है कि जब भी हंगामा हुआ तो महोदय, उनलोगों ने हंगामा किया, हम भाजपा और जदयू के लोगों ने नहीं किया, क्यों आखिर, आखिर क्यों ऐसा, क्यों ऐसा होता है ? केवल इसलिए कि आपको लोकतंत्र में आस्था नहीं है, मैं मानता हूं कि आस्था है लेकिन आप उस बहुमत के निर्णय को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, आप विधान सभा को हाईजैक करना चाहते हैं । जिसको जनता ने सरकार बनाने का अवसर दिया है, आप उसकी बात सुनने का अवसर नहीं देना चाहते हैं गलत तरीका है । महोदय, मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो कदम उठाया है, जो आचार समिति के सामने आपने

विषय रखा है, आचार समिति का निर्णय आने दीजिए और महोदय, जो आचार समिति का निर्णय हो, आपका निर्णय तो अंतिम है, आचार समिति के निर्णय को सबको स्वीकार करना चाहिए और आचार समिति जो फैसला दे सबको स्वीकार है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति से सुनिये, आपस में बातचीत मत कीजिए ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, अधिकारियों के बारे में आपने निर्णय लिया है, मैं तो सबसे कहना चाहता हूं और महोदय, सब लोगों ने राय प्रकट की है कि आप अंतिम रूप से जो निर्णय लेंगे सबको स्वीकार होगा, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह घटना दोबारा नहीं घटनी चाहिए यह हम सबकी जिम्मेवारी है और विशेषकरके प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है चूंकि विरोध के स्वर उनकी ओर से आते हैं और महोदय, सत्तारूढ़ दल का काम है, मैंने उस दिन इनलोगों का संयम देखा, मैं उस संयम को सलाम करना चाहता हूं और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आचार समिति के निर्णय पर कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिसकर्मियों के बारे में आप जो भी निर्णय करेंगे हम सब उसको स्वीकार करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय विजय कुमार चौधरी जी । आप शांति बनाये रखें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : दूसरे सदन में भी कार्य चल रहा है, वहां पर बिल पेश हो रहा है, बैठ जाइये । अच्छी पहल के लिए ही हम सब बैठे हैं, अब सुन लीजिये, आप बैठ जाइये, ललित जी बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : ललित बाबू, आपको तो पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस सदन के सदस्य हैं और उस सदन में अभी महत्वपूर्ण विधायी कार्य, जिन विधेयकों को आपने कल यहां पारित किया था उसी पर विमर्श चल रहा है तो वे सदन नेता के साथ-साथ उस सदन के सदस्य भी हैं । आप जैसे यहां मतदान करा दिए, वहां भी हो सकता है, उनको वहां भी रहना है, लेकिन ललित जी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सुन लीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, लेकिन वे तो उस सदन के सदस्य हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए । सुन लीजिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, अगर सदन नेता होते तो आसन का भी सम्मान बढ़ता और सदन का भी सम्मान बढ़ता । माननीय अध्यक्ष महोदय की पहल पर यह चर्चा हो रही है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इतनी तो सुरक्षा दीजिए, बार-बार सदस्यों की सुरक्षा की बात हो रही है ।

अध्यक्ष : ललित जी, अब धैर्य से सुनिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि वे तो उस सदन के सदस्य हैं इसलिए वहां हैं, लेकिन नेता विरोधी दल तो इस मुद्दे को उठाए हैं और इसी सदन के सदस्य हैं वे कहां हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बैठ जाइए । आप बैठ जाइए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी पिछले तीन दिनों से हम लोग लगभग इस विषय के चारों ओर घूम रहे हैं । यह मुद्दा दिनांक 23 मार्च, 2021 को जो अप्रिय दुखद घटना घटी, उसकी चर्चा लगातार इस सदन में पिछले 3 दिनों से किसी न किसी रूप से होती आ रही है और कम से कम आज मुझे उम्मीद है कि आज इसका पटाक्षेप हो जाएगा । ऐसा फिर नहीं हो कि आज चर्चा कर लिए और कल से फिर ये मुद्दे उठने लगे । हमने तो सरकार की तरफ से कहा है कि भाई विपक्ष, इसी में कहीं आप ही की तरफ से बराबर पढ़ कर सुनाते हैं जब सरकार से कोई बात होती है कि विरोधी दल सरकार के अंग होते हैं, लेकिन लगा देते हैं कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेवारी है । अगर सदन चलाना सरकार की जिम्मेवारी है और विरोधी दल भी सरकार के ही अंग होते हैं तो सदन चलाना आपकी भी जिम्मेवारी है । उसे भी साथ-साथ मिलकर चलाइए । हम सरकार की तरफ से, वही आप ही की नजर में हम वहां की लिखावट पढ़ रहे हैं कि आप जो देख रहे हैं न, आपकी नजर में दिख रहा है और महोदय, हम तो सरकार की तरफ से यही कहना चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से हम लोग सदन में आए हैं आप लोग भी उसी तरीके से आए हैं हम लोग किसी भी हालात में आपको अपने से कमतर या छोटा नहीं मानते हैं । फर्क इतना है कि हम लोगों को कुछ संख्या आपसे अधिक मिल गया तो हम लोग इधर हैं, आपको जनता ने थोड़ा सीमित करके संख्या दिया तो आप उधर पहुंच गए तो इसलिए ये तो जनता का फैसला है, बराबर का फैसला है इसलिए हम शुरू में भी यही कहते हैं कि इस फैसले को दिल से पचा लीजिए क्योंकि अगर यह नहीं पचेगा तो बार-बार कुछ न कुछ अप्रिय बातें हो जाएंगी । इसलिए ये फैसला पच के रहना चाहिए और महोदय, जहां तक सरकार की बात

कहते हैं तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हमने सरकार की तरफ से सरकार की राय को रखा था, ठीक कहा नन्द किशोर बाबू ने कि इस बहस का औचित्य हम लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन हमने सरकार की तरफ से सदन चलाने के हित में, लोकतंत्र की सुगमता के हित में हम लोगों ने यह भी कहा था कि हम लोगों की राय यह है, लेकिन अन्त में फैसला आसन का है । आप जो फैसला करिएगा हम लोग उसके साथ हैं । (क्रमशः)

टर्न-28/यानपति/28.07.2021

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: आपने फैसला किया इसपर चर्चा कराने का, हमलोग फैसले में आपके फैसले को सिर आंखों पर रखते हुए आज के इस विमर्श में भाग ले रहे हैं नहीं तो महोदय यह आसन के भी सोचने की बात है, पूरे सदन को सोचने की बात है कि आखिर ये अनोखा और ऐतिहासिक अवसर है कि सदन में ऐसी चीज पर विमर्श हो रहा है इस रूप में विमर्श हो रहा है कि सरकार को किसी को पूरे विमर्श पर जवाब नहीं देना है । सरकार से न कोई सवाल पूछा जा रहा है, न पूछा जाता है, न सरकार इस विषय में कुछ उत्तर दे रही है । महोदय, मैंने सरकार की तरफ से लगातार आपसे अनुरोध और विनती की थी कि ये मामला विशिष्ट रूप से आपके क्षेत्राधिकार का है, चाहे सदन के अंदर का मामला हो या जो आपने व्हाइट लाइन खिंचवाया है, अध्यक्ष के आदेश से ही बना हुआ है उसके तहत जो भी घटनाएं घटती हैं उसपर अध्यक्ष का ही एकाधिकार होता है, आप जो फैसला चाहें लीजिये, सरकार आपके साथ है लेकिन कहे न कि यह तो पहला अवसर है कि हमलोग सरकार की तरफ से जो भी चर्चा हुई है, अब आप बताइये आसन की तरफ से महोदय कि सरकार किस चीज का जवाब दे क्योंकि जिस घटना का जिक्र ये लोग कर रहे हैं वह सब घटना आपके नियंत्रण में, आपके आदेश से, आपके निदेश से, आपके बुलाने पर, सरकार ने तो सिर्फ आपके आदेश का उस दिन भी पालन किया था हमने उस दिन भी आपका जो निदेश हुआ, सरकार ने तो कोई अपने तरफ से कहा नहीं कि फोर्स हम भेज देते हैं और इसलिये महोदय कि आखिर महोदय और जो भी पुलिस के अधिकारी आये, जो भी पुलिसकर्मी आये वे तो आपके आदेश पर आये और आपके...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, हम तो चाहते हैं कि सरकार के संसदीय कार्यमंत्री जी ने क्या सलाह दी । जरूर आपने परामर्श किया होगा सरकार के लोगों से । हम तो चाहते हैं कि क्या सलाह में बोला पुलिस को बुला लीजिये ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वो भी बतायेंगे । खाली....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, जब आप अध्यक्ष थे, हम डिप्टी सी0एम0 थे, भाजपा के लोगों ने भी आपका चेम्बर घेरा था, बैठे हुए थे । पीछे हरी रंग की साड़ी में गायत्री देवी जी है बैठी हुई हैं उनका भी सिर फूटा था तो क्या-क्या इल्जाम लगा रही थी वो दिन भी याद करना चाहिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय .....

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : नेता प्रतिपक्ष आपने बिलकुल सही याद दिलाया कि जब हम अध्यक्ष थे और आप यहां पर थे तो भाजपा के लोगों ने हमारे चेम्बर के सामने धरना दिया था लेकिन शायद आपको भी स्मरण होगा कि इन लोगों ने मेरी वो गति नहीं की थी जो आपने इनकी गति कर दी और महोदय, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए......

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : जब गति आप कह दिये तो इल्जाम हमको लगा रहे । आपको किसी ने कुछ अपशब्द कहा, आपको किसी ने हाथ तक लगाया हम पूछना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । बैठ जाइये । इनको बोलने दीजिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : फिर आप तो आरोप लगा रहे हैं, किसी ने आप पर हाथ उठाया या आपको अपशब्द कहा ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष आप बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : ये ऑन रिकार्ड से वापस ले लें ।

अध्यक्ष : ठीक है, बोलिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अगर आप....

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : ये ऑन रिकार्ड से वापस ले लें ।

अध्यक्ष : वह बोल रहे हैं, आप पूरी बात सुनिये । वह पूरा विश्लेषण कर रहे हैं । बैठ जाइये, आपकी बात धैर्य से सुनी है, अब आप भी सुनिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों का कोई पैर तो नहीं है कब किधर जाकर पलटी मारेंगे, वैसी ही भाषा बोलते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अब बैठ जाइये । नेता प्रतिपक्ष आप बात को धैर्य से सुनिये, आपकी बात भी सुने हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : लेकिन अब शूल जो है दूसरी तरफ लगने वाला नहीं है ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष अब आप बैठ जाइये । धैर्य से आपकी बात को लोगों ने सुना है, अब आप भी धैर्य से सुनें क्योंकि एक जिम्मेवारी की जगह पर आप हैं, इसलिए धैर्य से सुनें ।

(व्यवधान)

नहीं, वह भी आप ही ने कहा कि वह इस आसन को सुशोभित कर चुके हैं और आज संसदीय कार्य की जिम्मेवारी में सरकार की ओर से बोल रहे हैं । हम सबों की जिम्मेवारी है कि सभी माननीय विधायक बहुत जिम्मेवारी के साथ इस सदन में बैठे हैं तो तब धैर्य से सुने हैं तो हम सबको अंतिम शब्द तक सुनना चाहिए । इसलिए एक बार धैर्य से सुनें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी । फिर आपकी ये क्या स्थिति है ? आप बैठ जाइये ।

टर्न-29/सत्येन्द्र/28-07-21

(व्यवधान)

अध्यक्षः वह भाषा का भाव समझिये पहले। आप बैठिये तो, भाषा का भाव समझिये।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्रीः महोदय, ललित जी ठीक कह रहे हैं। ये एकदम ठीक कह रहे हैं कि हमने होशो-हवास में गति की चर्चा की है और इसलिए कि मैं वो भी नहीं करता और मैं इसको भी आप ही को कहने के लिए छोड़ देता लेकिन मुझे मजबूरन इसलिए करना पड़ा, इसकी चर्चा हमको करनी पड़ी कि आपने जो इनकी गति की, उस गति में हम भी लपटा गये और हम भी घेरा गये, हम भी उसी के अंदर बंद हो गये थे इसलिए बाकी चीजों को तो हम माननीय अध्यक्ष जी के लिए छोड़ दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्षः ललित जी, अकेले में बतिया लीजियेगा।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्रीः महोदय, इसलिए हमने कहा कि ये पहला मौका है अनोखा मौका है जब सरकार भी अपनी बातों को आपके समक्ष रख रही है, हम जवाब नहीं दे रहे हैं । हमारे माननीय सदस्यों ने, नेताओं ने अपने विचार रखे हैं, उन विचारों के

संबंध में हम भी अपना सिर्फ विचार रख रहे हैं क्योंकि सारी बातों को, सब ने अपनी अपनी बातों के उत्तर के लिए तो आप हीं की तरफ देख रहे हैं क्योंकि सरकार की तो कोई भूमिका थी नहीं, सरकार ने कुछ किया नहीं था । अब कैसे पुलिस आयी, कैसे पुलिस ने किया, आपने क्या आदेश दिया, क्या हुआ, ये सब आपके संज्ञान में है और महोदय हमने इसीलिए कहा था कि सरकार माननीय सदस्यों से लेकर सबके सम्मान के प्रति हम पूरे रूप से संकल्पित हैं और सरकार मानती है कि अगर सदस्यों की इज्जत नहीं बचेगी तो फिर सदन की इज्जत क्या बचेगी, सदस्यों की इज्जत नहीं बचेगी तो सरकार की इज्जत क्या बचेगी इसलिए महोदय हमने कहा था और हम वहीं से अपनी बात को कहना चाहते हैं जो पहली पंक्ति आज आपने जहां से शुरूआत की या हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी उसी पंक्ति से अपनी बातों की शुरूआत की। आपने कहा कि लोकतंत्र शर्मसार हुआ, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई । हम यहीं सिर्फ कह रहे हैं कि हमलोगों को तो देखना चाहिए कि लोकतंत्र आखिर बचता कहां है, लोकतंत्र कहां बचता है इसी सदन में न बचता है अगर इस सदन के और इस सदन के सबसे ऊंचा स्थान यह आसन है महोदय, इस सदन की कोई इज्जत नहीं रहेगी, इस आसन की कोई इज्जत नहीं रहेगी तो लोकतंत्र की हत्या तो होगी हीं । लोकतंत्र की हत्या तो हुई ही हैं लेकिन देखना यह है कि लोकतंत्र की हत्या या लोकतंत्र अगर शर्मसार हुआ तो लोकतंत्र शर्मसार इस सदन के अंदर हुआ कि बाहर हुआ, यह भी देखना चाहिए कि लोकतंत्र शर्मसार होता है अंदर की घटनाओं से अधिक महोदय और अंदर में जो हुआ, यह आप सब जानते हैं महोदय और अंत में और अधिक बहुत बातें हम सब पर कह सकते थे लेकिन हम तो अपनी राय कह चुके थे । इन बातों पर ज्यादा विमर्श या छिद्रान्वेषण करने से कोई निष्कर्ष तो निकलना नहीं है, जो सब लोगों ने भावना व्यक्त की है, सरकार भी चाहती है कि सदन अच्छे ढंग से चले, विपक्ष मर्यादित ढंग से जो नियमावली है और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने तो कह दिया, पता नहीं आवेश में कि इस नियमावली को फेंकिये, छोड़िये और उसमें भी कह दिये कि भाई हमलोग तो जानते हैं कि आपकी पार्टी एकजुट है और आपके नेतृत्व में सब लोग ठीक हैं तो आपको अन्य सदस्यों के लिए अपनी कुर्बानी दिखाने की कोई जरूरत नहीं कि कोई गलती किया है तो सजा हमको दीजिये । ये तो कहीं, मांझी जी ने ठीक कहा कि यह तो नियमावली में कहीं अध्यक्ष महोदय है नहीं कि गलती कोई करेगा और सजा किसी दूसरे को मिलेगा, आप भी नहीं दे सकते है इसलिए महोदय, हम ये कहेंगे अंत में कि सभी सदस्यों की मर्यादा, इज्जत सम्मान बना रहे, बचा रहे और ऊंचा उठे, सरकार की यही मंशा है और आने वाले

समय में भी हम चाहते हैं कि सदन मर्यादित ढंग से, संयमित ढंग से और आपके नियमावली और संविधान के हिसाब से चले और सरकार इसमें आसन का पूरा सहयोग करेगी और आसन ने जो अपना नियमन दिया, आप देख लीजिये सब कुछ आपके नियंत्रण में है और कब्जे में है, चाहे जिस किसी ने, किसी पदाधिकारी ने या किसी सदस्य ने सदन की मर्यादा भंग की है, सदन की अवमानना की है तो नियमानुसार आपको कार्रवाई करनी चाहिए, यही हम सब लोग चाहते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण,

जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उसी चप्पल पर लगाया सबने,
जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उसी चप्पल पर लगाया सबने,
महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया जिसने ।

ये आसन सभी माननीय सदस्यों के आस्था का स्थल है । लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जो जन्म लिया है मरना तय है, जो आया है जाना तय है । इस सत्य से हम मुंह नहीं मोड़ सकते और जो मुंह मोड़ते हैं, वह महामूर्ख हैं इसलिए वीरता उसमें नहीं कि हम किसी को लज्जित कर दें, कलंकित कर दें या किसी का दोहन और शोषण कर लें, बरप्पन उसमें है कि हम उसके दिल को कैसे जीत लें और बहुत अच्छी सभी लोगों ने कहा, एक सदस्य माननीय उठकर के अभी, अभिभावक तूल्य चौधरी साहब ने कहा कि हम और आप भाई है । सभी माननीय सदस्य, इस सदन में जो बैठे हैं, न उनकी जाति, न उनका धर्म, न उनका परिवार अलग है, सभी एक जाति के, एक धर्म के, एक परिवार के हम सदस्य हैं और जिस दिन मन के अंदर ये भाव आयेगा तो कभी हम किसी को हीनता की भावना से न अपमानित करेंगे, न कलंकित करेंगे, न गंदगी राजनीति के कारण उसे बदनाम करने का प्रयास करेंगे । गलती हुई है, अपमान हुआ है, वह अपमान इस आसन का नहीं, इस सदन का हुआ है क्योंकि सभी इस आसन से जुड़े हुए उनकी आस्था का अपमान हुआ है । किसी विधायक को अगर जो बूट मारा गया तो वह एक व्यक्तिगत उस विधायक का नहीं, विधायिका का अपमान हुआ है । ये कहीं हम आप अपने को माफ नहीं कर सकते हैं । ये परिस्थिति उत्पन्न जिस कारण से हुई है, उस परिस्थिति को सबको मन के अंदर गंभीरता के साथ विचारना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति भविष्य में कभी उत्पन्न न हो । (क्रमश:)

टर्न-30/मधुप/28.07.2021

..क्रमश:..

अध्यक्ष : हमने इसके पूर्व भी कहा था कि

"कल हम न होंगे, न गिला होगा,
सिर्फ सिमटी यादों का सिलसिला होगा,
जो लम्हें हैं, चलो उसे हँसकर बिता लें,
न जाने कल जिन्दगी का क्या फैसला होगा ।"

अभी कोरोना काल में हमारे कितने माननीय चले गए । हर लोग डरे-सहमे खड़े थे, कल की सुबह कौन देखेगा, किसी को पता भी नहीं था । इस सच को स्वीकार कर लें । हर विकार से हम सब ग्रसित हैं लेकिन यह विकार जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ के अहंकार में ईर्ष्या और द्वेष की भावना को उत्पन्न करता है । आप आम नहीं खास हैं । आम के अन्दर एक ग्रसित भावना होती है तो कुछ देर के लिए क्षम्य होता है लेकिन जो आप यहाँ बैठे हैं, कल वे यहाँ भी बैठेंगे, वहाँ भी बैठेंगे और यहाँ भी बैठेंगे । कोई नहीं जानता है इनके तकदीर और उनके भाग्य को । किसको कहाँ अवसर मिल जायेगा और इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए कि हर का सम्मान हम दिल से करें, किसी को तुच्छ न समझें, किसी के भाव को दबाने का प्रयास न करें ।

आज आप सबकी भावना को लेकर संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वय, नेता प्रतिपक्ष, सभी दल के नेताओं ने अपने विचार को रखा है । हमारा सौभाग्य है कि ऐसे वरीय लोग भी बैठे हैं जिनका मार्गदर्शन हमको मिलता है और इस मार्गदर्शन को लेकर हम इस सदन की गरिमा बढ़ा सकते हैं क्योंकि एक सुख तन का मिलता है जो अपने कर्म से लोग हासिल कर लेते हैं, चाहे पाप से या पुण्य से । एक सुख मन का मिलता है जो येन-केन-प्रकारेण जुगाड़ से, ताकत से, विद्वता से हासिल करते हैं लेकिन जो एक सुख मिलता है आत्मीय सुख - वह सुख न ताकत से, न लोभ से और न कोई विकार से । वह आत्मीय सुख आपको मिलेगा अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को गौरवान्वित होने की राह प्रशस्त करेंगे और इस राह को प्रशस्त करने के लिए हमको-आपको मिलकर संकल्प लेना पड़ेगा कि ऐसी घटना घटित न हो । कोई अगर जो उत्तेजित होते हैं तो हम उसको रोकें । हम उसको इसके लिए प्रेरित न करें । उन विकारों को हम ताकत न दें । उस ताकत का ही परिणाम है कि आज हम सब, कितना बड़ा आपने इतिहास रचा था, 22 दिन में 21 दिन आपने सदन चलाया, आपके क्वेश्चन का 90 प्रतिशत से उपर का जवाब इस सदन के अन्दर आया । सरकार की संवेदनशीलता, सजगता और विपक्ष की जागरूकता ने मिलकर एक मिसाल पेश किया । लेकिन कुछ देर की घटना, एक दिन के कारण

कहीं मन के अंदर, सबके मन के अंदर यह स्पंदन पश्चाताप् का हो रहा है । मन के अंदर यह भाव न रखें, विधायिका को चोट लगी है, पूरा सदन मर्माहत है लेकिन सदन के अंदर आसन अगर जो अपमानित हुआ है तो फिर भी पूरे सदन के सदस्य मर्माहत हैं । यह भाव पुनः न आये, यह मनोभाव किसी के मन के अंदर आता है तो उस समय एक बार विचार कर लें कि यह भी मेरा भाई है, हमको मिलकर आगे बेहतर काम करना है, मधुरता के साथ सदन चलाना है । यही आग्रह और निवेदन है ।

पुनः आपसे आग्रह करेंगे कि एक बेहतर बिहार के लिए हम सब संकल्पित हों। धन्यवाद ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-28 जुलाई, 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या- 57 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक-29 जुलाई, 2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।